

भारतीय मजदूर संघ बिहार प्रदेश



सप्तम वार्षिक अधिवेशन
पटना

१६, १७ अप्रैल, १९७२

भारतीय मजदूर संघ का मुख

(हिन्दी, अंग्रेजी) पाक्षिक राष्ट्रवादी श्रमिक पत्र

मजदूर वार्ता

पढ़ें

मँगाने का पता :—

कीमत प्रति अंक—३५ पैसे

रामकृष्ण चिकित्सालय, सिधवी बिल्डिंग

वार्षिक सदस्यता शुल्क—५) रुपये

शंकर शेट रोड, ठाकुर द्वार

बम्बई-४

सूचना

भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश का प्रादेशिक कार्यालय
फ्लैट न० १६६, रोड न० ३, आर ब्लॉक से बदलकर
क्वार्टर न० १८, रोड न० ८, आर ब्लॉक, पटना-१ में आ गया है।

—कार्यालय मंत्री

भारतीय मजदूर संघ
बिहार प्रदेश



स्मारिका



सप्तम् वार्षिक अधिवेशन

पटना

१६, १७ अप्रील, १९७२

With best

Compliments

from —



M/s MUK MODELS ENTERPRISES

MAKERS OF TOOLS, DIES

and

ENGINEERING MODELS

B 31, ADITYAPUR INDUSTRIAL AREA

Jamshedpur

शुभकामनाएँ

राष्ट्रपति सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली-४

४ अप्रैल, १९७२

पत्रावली सं० द-ए म/७२

प्रिय महोदय,

राष्ट्रपतिजी के नाम भेजे दिनांक २८ मार्च, १९७२ के आपके पत्र से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश का सप्तम् वार्षिक अधिवेशन दिनांक १६ एवं १७ अप्रैल, १९७२ को होने जा रहा है। अधिवेशन की सफलता के लिए राष्ट्रपतिजी अपनी शुभकामनाएँ भेजते हैं।

भवदीय,

खेमराज गुप्त

राष्ट्रपति के अपर निजी सचिव

दारोगा प्रसाद राय
मंत्री, वित्त एवं योजना

पटना
दिनांक ५ अप्रील, १९७२

अर्ध—सरकारी पत्रांक २७७

प्रिय रामदेव जी,

बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के सप्तम वार्षिक अधिवेशन के संवाद से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी सफलता की कामना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

आपका
दारोगा प्रसाद राय

चुनचुन प्रसाद यादव
राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन,
बिहार

पटना
५ अप्रील १९७२

प्रिय रामदेव जी,

भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश के सप्तम वार्षिक अधिवेशन के सम्बन्ध में आपका पत्र मिला। जानकर प्रसन्नता हुई कि यह महत्वपूर्ण अधिवेशन पटने में ही १६ एवं १७ अप्रील को होने जा रहा है।

आधुनिक युग में देश की सर्वतोमुखी विकास में मजदूरों की महत्ता सर्वाधिक है। मजदूर वर्ग संगठित होकर अपने देशवासी को लाभ पहुँचावें तथा बदले में उन्हें उचित पारिश्रमिक मिले, इस लक्ष्य की सिद्धि आवश्यक है।

इस अधिवेशन के द्वारा संघ को अग्रसर होने में सफलता मिले इसकी मैं हार्दिक कामना करता हूँ।

आपका
चुनचुन प्रसाद यादव


श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी



- ★ १० नवम्बर, १९२० की वर्धा जिला (महाराष्ट्र) में जन्म
- ★ १९३६ से ३८ तक हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता
- ★ १९४१ में वकालत की परीक्षा में सफलता
- ★ १९४१ से १९४८ तक मद्रास, केरल, बंगाल, आसाम आदि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक
- ★ १९४३ में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, केरल के प्रधान
- ★ १९४९ में श्रमिक क्षेत्र में प्रवेश
- ★ १९५०-५२ में इन्डियन नेशनल ट्रेड-यूनियन कांग्रेस, मध्यप्रदेश के संगठन मंत्री तथा अखिल भारतीय जनरल कौंसिल के सदस्य
- ★ २३ जुलाई, १९५५ को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना
- ★ स्थापना-काल से भा० म० संघ के अखिल भारतीय महामंत्री
- ★ १९६४ में राज्य सभा के सदस्य

श्री रामदेव प्रसाद

- ★ १९४१ में नगरनौसा (पटना जिला) में जन्म
- ★ १९५० से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक
- ★ शिक्षा बी० ए० (आनर्स), बी० एड, एल० एल० बी०
- ★ १९६३ से पूर्ण समय देकर भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश के सस्थापक कार्यालय मंत्री
- ★ १९६६ से भा० म० संघ, बिहार प्रदेश के महामंत्री
- ★ भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय कार्यसमिति के सदस्य



सम्पादकीय

शोषण की अर्थनीति और सत्ता की राजनीति से संतुष्ट श्रमिक समाज अपनी समस्याओं तथा अपने देश की समृद्धि के सम्बन्ध में सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाता। फलस्वरूप वह भटक जाता है। उसे लगता है कि श्रमिक संघ का आन्दोलन रूस और चीन की देन है। सच्चाई यह है कि श्रमिक संघ का जन्म इंग्लैण्ड में हुआ। उसे समझाया जाता है कि श्रमिकों को शोषण से मुक्त कर अधिकार दिलाने वाला एक मात्र साम्यवाद ही है। ये साम्यवादी प्रचार और नारे के बल पर दुनिया के मजदूरों के सम्पूर्ण नेतृत्व को झपट लेने का प्रयत्न करते रहे हैं। और यह सारा प्रयत्न सत्ता-प्राप्ति का माध्यम बन कर रह गया है! यदि सन् १९७० में चेकोस्लोवाकिया के मजदूर महँगाई के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो रूसी साइकलों से उनकी आवाज बन्द कर दी जाती है। सन् १९७० में ही बिहार प्रदेश में शिक्षकेतर कर्मचारी संघ की हड़ताल कम्युनिस्ट नेतृत्व द्वारा न्यायपूर्ण माँग की पूर्ति के बिना दलीय हित के लिए खत्म कर दी गयी थी। यह तो निर्विवाद सत्य है कि साम्यवादी देशों में श्रमिक संघ केवल श्रम कराने का मंच बन गया है। अधिकार की बात प्रतिक्रियावाद की भाषा बना दी गयी है। असन्तोष की अभिव्यक्ति तो वह केवल सपने में ही कर पाता है। ऐसी स्थिति में आज का मजदूर कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिज्म के सम्बन्ध में सोचने के लिए बाध्य हो गया है।

भारत में श्रमिक संघ और श्रमिक आन्दोलन को मजदूरहित उद्योगहित, तथा देशहित के त्रिसूत्री सिद्धान्त की सही भूमिका पर प्रतिष्ठित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ कार्यशील हुआ है। मजदूरों को सत्ता की राजनीति से अलिप्त शुद्ध श्रमिक संघ के साथ खड़ा कर राष्ट्रवादी श्रमिक आन्दोलन द्वारा उन्हें आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण से मुक्त कराने के लिए भारतीय मजदूर संघ सचेष्ट हुआ है। आज रूस और चीन अपने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन तोड़कर अपने-अपने देश के स्वार्थ के लिए एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े हो चुके हैं। चीन ने तो पूंजीवादी अमेरिका से गठबन्धन कर 'दुनिया के मजदूरों एक हों' के नारे को खण्डित कर दिया है और अपने घातक

हथियारों से बांग्लादेश के लाखों किसान, मजदूर तथा छात्रों की निर्मम हत्या की है। इस परिस्थिति में भारत का मजदूर साम्यवाद के मोहक नारों तथा श्रमिक आन्दोलन के तथाकथित ठीकेदारों के जाल से अपने को मुक्त करना चाह रहा है। श्रमिक क्षेत्र में उभरता हुआ यह चिन्तन सही श्रमिक आन्दोलन को जन्म दे रहा है। यही आन्दोलन आज भारतीय मजदूर संघ के नाम से सुपरिचित हो चुका है। यह भी कहा जा सकता है कि भारत के अपने श्रम चिन्तन का परिणाम यह भारतीय मजदूर संघ है।

भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश का सप्तम वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ है। इसी अवसर पर पहली बार स्मारिका प्रकाशित हो रही है। राष्ट्रवादी श्रम चिन्तन, श्रमिक आन्दोलन तथा बिहार प्रदेश में मजदूर संघ के बढ़ते हुए कदम का परिचायक यह प्रकाशन समर्पित है। अपने प्रदेश में वर्षों से मजदूर संघ का कार्य हो रहा है। धरती उर्वर है। परन्तु अंकुरण एवं पल्लवन के लिए उसे स्वेदकण की तरलता की आकांक्षा है। आकांक्षा स्वाभाविक है। हम राष्ट्रवादी श्रम चिन्तन के साथ बहते हुए स्वेदकणों द्वारा श्रमिक जीवन से तादात्म्य पा लेना चाहते हैं जिससे हम उन्हें शोषण एवं विषमता से मुक्त सम्मानपूर्ण जीवन दे सकें। जैसे श्रम एक तप है, उसी तरह श्रमिक से एकात्म होना एक साधना है। उस साधना की एक झलक मिले इसीलिए इस स्मारिका की योजना बनी। अत्यल्प समय और अपर्याप्त साधन से जो कुछ बन पड़ा है— आपके समक्ष प्रस्तुत है।

—डॉ० शत्रुघ्न

अपनी बात



आज सम्पूर्ण विश्व में मजदूरों की समस्या और उनके समाधान की चर्चा चल रही है। अनेक श्रमिक संगठन इस दिशा की ओर अपने-अपने मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम की कड़ी के रूप में भारतवर्ष में भी अनेक मजदूर संगठन चलाये जा रहे हैं। उन्हीं मजदूर संगठनों में भारतीय मजदूर संघ भी श्रमिक वर्गों की समस्या एवं उसके समाधान राष्ट्रीयता के चौखट के अन्दर करना चाह रहा है।

प्रत्यक्ष आन्दोलन के माध्यम से जितना लाभ मजदूरों को मिल पाता है उससे अधिक लाभ आन्दोलन की पृष्ठ भूमि में प्रबन्धक सरकार एवं श्रमिकों के मनोवैज्ञानिक सामंजस्य से होता है। और उसी पृष्ठभूमि में लोक प्रचार का अपना एक महत्व है। प्रचार तंत्र से श्रमिकों

की समस्याओं का निदान देश की जनता की सहायता से यदि होता है तो, वह निदान अधिक श्रेष्ठतर, स्थायी एवं समीचीन है। भारतीय मजदूर संघ की बिहार शाखा की ओर से मुझ जैसे अल्पज्ञ को स्मारिका प्रकाशन का भार दिया गया। यह मात्र शिष्टता के शब्द नहीं, वरण वस्तु स्थिति है। यद्यपि प्रस्तुत स्मारिका का प्रकाशन मेरे वश के बाहर की बात है; फिर भी अनेक बन्धुओं के द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जो सहयोग मिला है, उसी के कारण आपके समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण संभव हो सका है। सहयोग के चार खण्ड हैं। प्रथम, प्रकाशन के निमित्त प्रत्यक्ष साथ देने वाले सहयोगी, दूसरा अपनी बहुमूल्य रचना समय पर देने वाले लेखक, तीसरा पत्रिका को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले विज्ञापन दाता, चौथा वे सारे पाठक बन्धु जिनके लिए इसका प्रकाशन हुआ।

अतः अपनी ओर से मैं सभी आदरणीय लेखकों एवं विज्ञापनदाताओं के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। श्री माणिक प्रेस के संचालक श्री किशोरी प्रसाद गुप्त जिनके कारण स्मारिका समय पर छप सकी है तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अ० भा० मंत्री श्री विश्वनाथ प्रसाद, जिन्होंने स्मारिका की साज-सज्जा में विशेष सहयोग दिया है, के प्रति भी आभार प्रदर्शित करना मैं आवश्यक समझता हूँ। उन्हीं प्रिय सहयोगियों, कार्यकर्त्ताओं एवं शुभेच्छुओं के नाम यह स्मारिका समर्पित है।

भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश की ओर से इस स्मारिका का प्रकाशन प्रथम प्रयास है। समयाभाव एवं अल्पज्ञता के कारण स्वाभाविक है इसके प्रकाशन में यत्र-तत्र त्रुटियाँ प्रतीत हो, जिसके लिए प्रिय पाठकों से क्षमा चाहता हूँ।

लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल

व्यवस्थापक

अनुक्रमणिका

शुभकामनाएँ	:	३
सम्पादकीय	:	५
अपनी बात	:	७
श्री शुक्राचार्यप्रणीत श्रम-संहिता	:	९
श्रम का राष्ट्रीयकरण करो, राष्ट्र का औद्योगीकरण करो, उद्योग का श्रमिकीकरण करो	:	१०
हमारा गीत (कविता)	:	१५
श्रमिक संघों के विकास की आदर्श दिशा	:	१६
राष्ट्रीय एकता और साम्यदायिक सेवा नियम	:	१९
श्रम-साधना (कविता)	:	२१
मजदूर क्या चाहता है ?	:	२२
भारतीय श्रम का मानवीय विवेचन— Labour's Onward March	:	२५
Government Employees' National Forum	:	28
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत	:	29
विद्युत उद्योग-विस्तार, महत्त्व-कर्त्तव्य-अपेक्षा	:	३२
बीमा कर्मचारियों का राष्ट्रीय संगठन	:	३४
मजदूरों की समस्याएँ	:	३९
कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति:	:	४१
औद्योगिक शान्ति एवं श्रम नीति	:	४३
बिहार राज्य विद्युत वर्षदः एक झांकी	:	४४
	:	४६
प्रदेश अधिवेशन : एक परिचय		
स्वागताभ्यक्ष का भाषण	:	४९
उद्घाटन भाषण	:	५२
अध्यक्षीय भाषण	:	५९
बिहार प्रदेश भा० म० संघ का वृत्त	:	६३
सत्रम अधिवेशन : एक झांकी	:	६५
भा० म० संघ, बिहार प्रदेश-कार्य समिति १९७२	:	६७
भा० म० संघ—अखिल भारतीय कार्यसमिति	:	६८

श्री शुक्राचार्यप्रणीत श्रम-संहिता

★

ये भृत्या हीनभृतिकाः शत्रवस्ते स्वयंकृताः ।
परस्य साधकास्ते तु छिद्रकोशप्रजाहराः ॥
वाकरारुष्यात् न्यूनवृत्त्या स्वामो प्रबलदंडतः ।
भृत्यं प्रशिक्षयेन्नित्यं शत्रुत्वं त्वपमानतः ॥१॥

★

★

★

भृतिदानेन संतुष्टाः मानेन परिवर्धिताः ।
सांत्विता मृदुवाचा ये न त्यजंत्यधिपं हि ते ॥२॥

★

★

★

दत्तादत्तेषु भृत्यानां स्वामिनां निणये सति ।
साक्षिभिलिखितेनाथ भुक्त्या चेतान् प्रसाधयेत् ॥३॥

★

★

★

एकं शास्त्रमधीयानो न विद्यात् कार्यनिर्णयम् ।
तस्माद् बहुगमः कार्यो विवादेषूत्तमो नृपः ॥४॥

★

★

★

सुभोजनेस्सुवसनेस्तांबूलैश्च धनैरपि ।
कांश्चित् सुकुशलप्रश्नैरधिकारप्रदानतः ॥
वाहनानां प्रदानेन योग्याभरणदानतः ।
छत्रातपत्रचमरदीपिकानां प्रदानतः ॥
क्षमया प्रणिपातेन मानेनाभिगमेन च ।
सत्कारेण च ज्ञानेन ह्यादरेण शमेन च ॥
प्रेम्णा समीपवासेन स्वार्घासनप्रदानतः ।
संपूर्णासनदानेन स्तुत्योपकारकीर्तनात् ॥५॥
(यथा यथा तु गुणवान् भृतकस्तद्भृ तस्तथा)

श्रम का राष्ट्रीयकरण करो, राष्ट्र का औद्योगीकरण करो उद्योग का श्रमिकीकरण करो

श्री गजानन राव गोखले

अ० भा० उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ

भारतीय मजदूर संघ ने उपर्युक्त तीन घोष वाक्यों का प्रयोग मजदूर आन्दोलन के प्रति अपने विशिष्ट दृष्टिकोण को संक्षेप में रखने का उद्देश्य से किया है। उक्त दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति के सनातन जीवन-मूल्यों पर आधारित है। आइये, इस दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण अंगों का विश्लेषण करें :

श्रम का राष्ट्रीयकरण करो

इस घोष वाक्य का सरल अर्थ यह है कि श्रमिकों के कार्य करने की मूल प्रेरणा देशभक्ति की भावना हो। इसका अभिप्राय यह भी है कि श्रमिक संगठनों की भक्ति देश के प्रति हो, न कि किसी क्षेत्र, सम्प्रदाय, जाति या ऐसे किसी छोटे वर्ग के प्रति हो जो कि राष्ट्र से कम या छोटा हो और न ही वे राष्ट्रेतर भक्ति रखकर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बहाव में बह जायें। फिर भी, इसका कतई यह अभिप्राय नहीं है कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय भावना की चौखट में किसी सामाजिक वर्गीकरण, जो कि उद्योग, श्रेणी या समान-हित स्थानीय अथवा वैचारिक और सैद्धान्तिक एकता पर आधारित हो, के खिलाफ है। साथ ही, इसका वह भी अभिप्राय नहीं है कि राष्ट्रीय श्रम आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय विचारों व कार्यों की गतिविधियों से एकदम अलग व अछूता बना रहे। अतः यदि कल कोई ऐसा एक सुझाव, जैसे कि यदि पाइलाट्स अथवा जहाज कम्पनियों के कर्मचारियों की जागतिक हड़ताल का सुझाव, सामने आता है तो भारतीय मजदूर संघ इस विचार को केवल इसलिए नहीं ठुकरा देगा कि इसका विस्तार राष्ट्र की परिधि के बाहर है। सभी सुझावों के गुणावगुण का विचार करके यथोचित कार्यवाही की जायगी।

‘श्रम का राष्ट्रीयकरण करो’ का हमारा नारा मार्क्स के “दुनियाँ के मजदूरों एक हो तुम्हें अपने बन्धनों के अलावा और कुछ नहीं छोड़ना है” के नारे के बिलकुल ही विपरीत है। उक्त मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार दुनियाँ के सारे मजदूरों को एक हित-वर्ग (one interest group) में रखा गया है और राष्ट्रभक्ति को एक बुजुर्ग सिद्धान्त कहा गया है। इसी सिद्धान्त के अनुसार चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण को मार्क्सवादियों ने चीनी श्रमिकों द्वारा भारतीय श्रमिक भाइयों की भारत की बुजुर्ग सरकार के मिलोटररी शासन से मुक्ति के आन्दोलन की संज्ञा दी है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय के अनुसार इस प्रकार के वैश्विक हितवर्ग (Interest group) के स्वरूप को ‘लोक’ की संज्ञा दी गयी है। ‘लोक’ एक विशिष्ट पद (term) है जिसका अर्थ यह होता है कि वैश्विक चेतना का एक ऐसा संगठन जिसमें सत्य (ज्ञान) की ही विभिन्न श्रेणियाँ हों और जिस प्रत्येक की अपनी एक अलग विशेषता हो। अतः भारतीय वाङ्मय एक श्रम-विश्व (श्रम-लोक) के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उस (श्रम) लोक की समान विशेषताओं, प्रवृत्तियों तथा शक्तियों पर भली भाँति विचार कर सकता है। यह एक मूल भावना है, जिसके साथ भारतीय मजदूर संघ मजदूर संगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना पार्ट अदा करना चाहता है। और यही मार्ग है कि जिसके द्वारा विश्व के श्रमिकों की समस्याओं को अधिक प्रभावी कुशलता से हल किया जा सकता है। किन्तु मार्क्सवाद का ‘दुनिया के मजदूरों एक हो’ का नारा श्रमिकों व लोगों को एक दूसरे ही प्राप्तव्य की ओर ले जाता है। यह श्रमिकों की समस्याओं को हल

नहीं करना चाहता, अपितु केवल 'सर्वहारावर्ग की तानाशाही' स्थापित करने के लिए संघर्ष करना चाहता है, और कल्पना करता है कि उसके (सर्वहारावर्ग की तानाशाही की स्थापना के) पश्चात् श्रमिकों की समस्याएँ किसी न किसी रीति से हल ही हो जायेंगी क्योंकि शत्रु अर्थात् पूँजीवादी लोग इस समय जिन्दा नहीं रहेंगे।

भारतीय दर्शन हमें बतलाता है कि प्रत्येक राष्ट्र एक राष्ट्रीय आत्मा का विशिष्ट स्वरूप होता है। ठीक जिस प्रकार एक व्यक्ति, आत्मा की विशिष्ट अभिव्यक्ति के रूप में अपने चारों ओर पदार्थ, जीवन, मन आदि लोको से लिए गए तत्वों के विभिन्न प्रकार के सामूहिकरण व वर्गीकरण के द्वारा एक जीवन का निर्माण करता है, उसी प्रकार से राष्ट्र भी अपने को राष्ट्र-आत्मा के एक जीवन के रूप में, विश्व के बुद्धि, शक्ति, वाणिज्य एवं श्रम आदि लोको से विभिन्न तत्वों को लेकर तथा उन्हें मिला कर, निर्मित करता है। जिस प्रकार का आत्मा का स्तर, विकास एवं अभिप्राय (उद्देश्य) होता है, वैसी ही प्रकृति व संस्कृति होती है। यह संस्कृति उसी वैश्विक लोक के समूहों को एक विशिष्ट प्रकार से प्रभावित करता है। अतः यह हो सकता है कि भारतीय श्रम में विश्व-श्रम के साथ कुछ समान विशेषताएँ व एकरूपताएँ हों किन्तु फिर भी जिस ढंग से इसका कार्य या प्रतिकार्य भारत में अन्य हितवर्गों (Interest groups) के साथ होगा, वह भारतीय संस्कृति के सिद्धान्तों व व्यवहारों से अवश्य ही प्रभावित होगा। और, यदि मनुष्य के सारे प्रयत्नों का उद्दिष्ट आनन्द या सुख मान लिया जाय, तो बुद्धिमत्ता इसमें होगी कि प्रत्येक राष्ट्रीय श्रम आन्दोलन अपने खुद की राष्ट्रीय प्रतिभा के आधार पर अपने विशिष्ट जीवन-दर्शन व दृष्टिकोण का विकास करें। उस समय मानवीय एकता के आदर्श हेतु किये गए प्रयत्नों को, अन्य तत्वों पर प्रभुत्व के लिए श्रम जैसे समान हित वर्गों के एकत्रीकरण के माध्यम से नहीं (क्योंकि वह सिद्धान्त मनुष्य नहीं, अपितु पशु निर्माण करने का है), अपितु राष्ट्रों के आत्मिक समन्वय से दिशा मिलेगी, जिसमें श्रम को उसका उचित और शायद सबसे बड़ा हिस्सा मिल सकता है। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समन्वय

में भारतीय मजदूर संघ का दृष्टिकोण 'मजदूरों, दुनिया को एक करो' के नारे से प्रकट किया जाता है। इस पद्धति में राष्ट्र को एक बाधा के रूप में नहीं अपितु एक व्यावहारिक इकाई के रूप में समझा जाता है।

कुछ लेखकों के द्वारा 'श्रम का राष्ट्रीयकरण करो' का हमारा नारा एक अन्य प्रकार से भी गलतफहमी का शिकार बना है। राष्ट्रीयकरण को सरकारीकरण की समानता प्रदान करते हुए तथा उस तर्क का सहारा लेते हुए कि जिस आधार पर किसी निजी उद्योग का स्वामित्व राष्ट्रीयकरण के पश्चात् निजी हाथों से सरकार के पास चला जाता है, लोगों ने हमारे उक्त नारे का यह अर्थ लगाया है कि ट्रेड यूनियनों तथा उनके आन्तरिक प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यह एक काल्पनिक अर्थ है जो कि दुर्भाग्य से राष्ट्र और राज्य के बीच जो विशेष भेद हैं उसे न समझने की भूल के कारण उत्पन्न हुआ है। राज्य राष्ट्र नहीं है। ट्रेड यूनियनों राष्ट्रीय जीवन की एक अंग हैं। वे राष्ट्रीय संस्कृति से प्रभावित होती हैं। उन (ट्रेड यूनियनों) का राष्ट्र के अन्य अङ्गों से, जिसमें सरकार भी सम्मिलित है, अङ्गिक (organic) सम्बन्ध है। किन्तु उनका सरकारीकरण तानाशाही राज्य पद्धति को छोड़कर नहीं हो सकता। वे सार्वजनिक प्रेस (समाचार पत्र; अथवा विश्वविद्यालयों की भाँति सार्वजनिक जीवन की अङ्ग तो हैं, किन्तु वे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों की भाँति सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं हैं। वे (ट्रेड यूनियनों) राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, न कि सरकारी संस्थान।

एक तीसरा और अधिक विस्तृत अर्थ भी कभी कभी "श्रम का राष्ट्रीयकरण करो" के उपर्युक्त नारे का लगाया जाता है। वह है कि श्रम की मूल प्रेरणा निजी स्वार्थ न होकर राष्ट्रीय धरोयताएँ व देशभक्ति की भावना हो। यह वास्तव में भारतीय मजदूर संघ का दूरस्थ (far off) उद्देश्य है। और भारतीय मजदूर संघ इस प्रकार का शुभ परिवर्तन लाने में एक सहायक साधन भी बन सकता है किन्तु वर्तमान समय में इस नारे से भारतीय मजदूर संघ का मुख्य अभिप्राय यह है कि सभी राष्ट्रीय विचारधारावाली यूनियनों एक मंच पर आकर

राष्ट्रीय प्रगति व विकास के लिये राष्ट्र के अन्य अङ्गों से समवेत रूप में वार्ता प्रारम्भ करें। ट्रेड यूनियन आन्दोलन में कम्युनिस्टों ने जो नारा दिया है, वह तो केवल वामपक्षीय एकता का है। इस तथाकथित वामपंथी मोर्चे (वैसे भारतीय मजदूर संघ 'वाम' व 'दक्षिण' सरीखे शब्दों को भारतीय श्रम आन्दोलन के लिए अव्यवहार्य मानता है) और सरकार अथवा समान हित वर्गों के साथ वार्ता प्रायः अनुचित दिशा ग्रहण कर लेती है, क्योंकि यह सर्वनिष्ठ (common) राष्ट्रीय हितों की मूल धारणा पर आधारित नहीं होता। इसीलिये भारतीय मजदूर संघ ऐसा समझता है कि यदि राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियनों एक साथ आकर एक राष्ट्रीय श्रम आन्दोलन प्रारम्भ करें, तो निश्चित ही यह (राष्ट्रीय श्रम आन्दोलन) राष्ट्र के अन्य अङ्गों से, राष्ट्रीय हित सम्बन्धों एवं परिस्थितियों की विस्तृत चौखट में एक स्वस्थ वार्ता (सम्पर्क) कायम रख कर चल सकते हैं। यह एक व्यावहारिक दिशा-निर्देश है, जिसे तुरन्त लागू किया जा सकता है और इसमें एक बड़ी शक्ति निहित है, जिससे राष्ट्र तथा श्रमिकों का उत्थान किया जा सकता है।

उद्योग का श्रमिकीकरण करो

भारतीय मजदूर संघ का दूसरा नारा 'उद्योग का श्रमिकीकरण करो' है जो कि उद्योगों के स्वामित्व व नियंत्रण के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ के विशिष्ट व भिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। कम्युनिस्टों का नारा है—उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करो और राष्ट्रीयकरण का उनका अर्थ है उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व। केवल यूगोस्लेविया में उद्योगों में एक प्रकार से श्रमिकों का प्रबन्ध (Management) है, किन्तु वहाँ भी उद्योगों का स्वामित्व सरकार के हाथ में है। पश्चिमी जर्मनी और ग्रीस में कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व कानूनी व्यवस्थाओं द्वारा उद्योगों के शेयरों के वितरण के माध्यम से निम्न-आय-वर्गों के हाथ में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में धनी श्रमिक भारी संख्या में उद्योगों के शेयर खरीद रहे हैं और इस प्रकार वे उद्योगों के स्वामित्व व लाभ में भागीदार बन रहे हैं। किन्तु उपर्युक्त किसी भी उदाहरण में उद्योगों का पूरा 'शेयर कैपिटल' (अंश पूँजी)

केवल ऐसे मजदूरों में वितरित नहीं है, जो उस उद्योग विशेष में कार्य करते हैं।

अनादिकाल से भारतीय सामाजिक-आर्थिक अनुशासन एक औद्योगिक परिवार के आदर्श पर केन्द्रीभूत रहा है। यह सत्य है कि प्राचीन भारत में वर्तमान काल की तरह मशीनों वाले कल-कारखाने अथवा बड़ी रेलें व विद्युत् संस्थान नहीं थे, तथापि उत्पादन के साधन किन्हीं भी एक व्यक्ति या परिवार की निजी सम्पत्ति नहीं समझे जाते थे। उदाहरणार्थ, हर एक गांव में एक अवधि के अन्तर से भूमि के पुनर्वितरण का काफी प्रचलन था। राज्य उक्त वितरण में उस हालत में सहायता करता था, जब उससे तदर्थ महायता माँगी जाती थी, किन्तु साधारणतः लोग नीति का अनुसरण करते थे और सम्पत्ति को एक ट्रस्ट (सार्वजनिक सम्पत्ति) के रूप में समझा जाता था।

भारतीय मजदूर संघ का दृष्टिकोण यह है कि प्रत्येक उद्योग अपना एक औद्योगिक परिवार बनाये, जिसमें उस उद्योग के दैनन्दिन संचालन में लगे हुए सभी लोग सम्मिलित हों। सभी उद्योगों के आन्तरिक प्रशासन के लिये एक निश्चित एवं एकरूपात्मक पद्धति नहीं निर्धारित की जा सकती है। प्रत्येक उद्योग की प्रकृति, इमकी कार्यपद्धति तथा राष्ट्रीय जीवन में उसका स्थान—ये सब उद्योग के सुव्यवस्थित कार्यसंचालन को सुनिश्चित करने के लिये उक्त विभिन्न पक्षों को परस्पर प्रभावित करने वाली वरीयताओं व प्रभावों का निर्धारण करेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने विभिन्न उद्योगों के लिये विभिन्न प्रकार के स्वामित्व, प्रशासन और जवाबदेही के वैज्ञानिक आधार के निर्धारण हेतु उच्चतम राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की माँग सामने रखी है। किन्तु भारतीय मजदूर संघ का यह आग्रह है कि इन सभी रूपों में जो भी कर्मचारी उस उद्योग के संचालन में लगे हैं, वे उस उद्योग की बढ़ती हुई सम्पत्ति का स्वतः (Automatic) लाभ उठा सकें तथा वे अपने भाग्य के निर्माण के लिए स्वतंत्र हों। ऐसा अनेक प्रकार से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—

(१) उद्योग के शेयर कैपिटल (लागत पूँजी) का स्वामित्व मजदूरों के हाथ में हो।

- (२) यूगोस्लेविया की भाँति उद्योगों का प्रबन्ध मजदूरों के हाथ में हो ।
- (३) उद्योग की नीति-निर्धारण (फैसला लेने की) प्रक्रिया में मजदूरों की प्रभावी भागीदारी हो, जैसा कि पश्चिमी जर्मनी में सह-निर्णय की प्रणाली (Method of Co-determination) है; अथवा जैसा कि उससे मिलता जुलता तरीका स्कैंडिनेवियन देशों में है ।
- (४) वर्तमान 'अपर हाउस' या 'राज्य सभा' का स्थान उद्योग-सभा ले ले जिस (उद्योगसभा) का गठन व्यवसाय के अनुसार मत-दाता-मण्डल पद्धति (Functional Electorate System) से हो ।
- (५) नीचे स्तर से मजदूरों को Micro-planning में संलग्न किया जाय, जिसके लक्षण मैक्सिकन तथा इसरायली नियोजन के तरीकों व उनके अनुपालन में दिखाई पड़ते हैं ।

उक्त प्रकार की नीति निर्धारण (फैसला लेने की) प्रक्रियायें व नियम और भी हो सकते हैं, जिसके द्वारा औद्योगिक-आय के वितरण की व्यवस्था होती है । ये सब ऐसे पारिवारिक मसले हैं, जिन्हें औद्योगिक परिवार के अन्तर्गत तय किया जा सकता है । किन्तु इनमें किसी भी तरीके में मजदूर को केवल वेतन—अर्जक (Wage-earner) नहीं माना जाता, जिसे कि बाजार से खरीदा जा सके अथवा जरूरत न होने पर उसे निकाल बाहर किया जाय । इस प्रक्रिया में सौदेबाजी के सम्पूर्ण सिद्धान्त को ही समाप्त हो जाती है और उसका स्थान सहभागी-दारी अथवा उससे भी अधिक अच्छा सहउत्तराधिकारिता ले लेती है । राष्ट्र-निर्माण के कार्यों के हेतु यह लोगों की व्यावसायिक कुशलता का एक ऐसा संगठन है, जिसका हेतु राष्ट्र-निर्माण का कार्य है । इसकी मूल प्रेरणा केवल लाभार्जन न होकर मानव मात्र के आनन्द के लिए अनुकूल सामूहिक जीवन का निर्माण करना है । इसके द्वारा मनुष्य को आर्थिक एवं भावना-शून्य मशीनों का दास नहीं बनाया जाता, अपितु उसे सामाजिक जीवन का एक स्वाभाविक अंग समझा जाता है, और उसे उत्पादन का साधन या यंत्र मात्र नहीं समझा जाता है । उद्योग मनुष्य के लिये वैश्विक-यज्ञ में उसकी आत्मअभिव्यक्ति और आत्म-योगदान का एक साधन है । उद्योग मनुष्य को उस

की रोजी-रोटी प्रदान करता है, जो कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है । उद्योग में उसका स्थान उसकी स्वाभाविक प्रतिभाओं गुण एवं कार्य (कर्म) के मूल्य के विकास के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिये । शिक्षा की एक राष्ट्रीय पद्धति और राष्ट्र निर्माण के नीतिशास्त्र (लोक संग्रह नीति) के आधार पर उसके प्रारम्भिक कार्य-जीवन का स्थान निर्धारित होना चाहिये और शेष उसके स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर रहना चाहिये । इस प्रकार सम्पूर्ण सामाजिक-आर्थिक जीवन का ढाँचा एक प्रकार के उपवन (बाग) के समान माना जाता है, जहाँ पर संस्कृति मस्तिष्क को संस्कारित करती है । सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को उत्पादन का यंत्र मात्र नहीं समझा जाता, जहाँ पर पूँजी तथा अन्य समान हित-वर्ग लोगों को यंत्रवत् वस्तुओं के उत्पादन के लिये दबाव डालते हैं । श्रम, उसको महत्वाकांक्षायें, भावनायें तथा विकास की आवश्यकतायें—ये औद्योगिक जीवन के प्रमुख अंग हैं । श्रमिकों द्वारा उद्योग का नियंत्रण होना चाहिये । उद्योग द्वारा श्रमिकों का नियंत्रण नहीं होना चाहिये । यही श्रमिकीकरण है । भारतीय मजदूर संघ इसी सिद्धांत को लेकर चलता है, जो कि न केवल मानवीय गुणों पर आधारित है अपितु जो उससे भी आगे की बात सोचता है । यह भारतीय मजदूर संघ नर में नारायण के उदय के लिये और मनुष्य-जाति में विकासशील चेतना के जागरण एवं संगठन के माध्यम से समूह जीवन के नियंत्रण के लिये कार्यरत है । यह मनुष्य को किसी सामूहिक मशीन का एक अंग या पुरजा मात्र नहीं मानता, अपितु उसे एक विशिष्ट चेतनायुक्त आत्मा एवं मन के रूप में आदर व पूजा का विषय मान कर चलता है । यह श्रमिक को समाज संगठन के उच्चतम स्थान पर उठाकर रखता है और पुरुषों व स्त्रियों को एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण समान मानता है । यह उस सभी प्रभुतावादी मान्यताओं को विदा देता है, जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य के ऊपर शासन तथा उसका विभिन्न रूपों, पद्धतियों नियमों, कानूनों तथा संस्थाओं के द्वारा शोषण करता है । श्रमिकीकरण का उद्देश्य यह है कि समाज के स्वभाविक वर्गों के जीवन में एक व्यवस्थित एकता निर्माण की जाय, जो कि आगे चल कर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय धातृत्व में विकसित हो सके ।

यही श्रमिकीकरण की भावना व उसका बीज है। इसका स्वरूप व पद्धति विशिष्ट सुविधा व वातावरण पर आधारित है।

राष्ट्र का औद्योगीकरण करो

यह कोई नया पद-वाक्य नहीं है। “राष्ट्र का औद्योगीकरण करो” की घोषणा के द्वारा भारतीय मजदूर संघ प्रगतिमान् यंत्र-युग का स्वागत करता है। यह सत्य है कि पाश्चात्य यंत्र-विज्ञान (Technology) का भारतीय परिवेश में अविवेकपूर्ण प्रयोग काफी खतरनाक है। औद्योगीकरण के विविध पक्षों का मनुष्य जीवन पर प्रभाव, जैसे कि सामुहिक उत्पादन का शास्त्र, कृषि का मशीनीकरण, स्वचालितकरण, शहरीकरण (Urbanisation) इत्यादि, अनुकूल नहीं होता। मनुष्य अभी भी विज्ञान तथा उसकी प्रगति में होने वाले भौतिकवादी विकास की गति व प्रभाव को पचा नहीं पाया है। लेकिन ये हमारे समय की चुनौतियाँ हैं। हमें समाज-निर्माण-शास्त्र (Social Engineering) के नये तकनीकों को खोजना है, जिससे हम यह देख सकें कि वर्तमान वैज्ञानिक खोजों के प्रयोग से सामान्य जनता को पूरा लाभ मिल सके, जबकि शर्त यह है कि मशीन को मनुष्य के ऊपर शासन करने या मनुष्य को मशीन का गुलाम बनने नहीं देना है। राष्ट्र को तेजी के साथ औद्योगीकरण की दिशा में बढ़ना अनिवार्य है। लेकिन हम इस बात को फिर दुहराते हैं कि राष्ट्र राज्य नहीं है। राज्य वह मशीनरी है जो कि कानून के शासन के अनुसार कार्य करती है। राष्ट्र वह भावना है जो कि लोगों को जड़ और हृदय से परिवर्तन के लिए उत्साहित करती है। यह राष्ट्र

ही है, जिसे अनिवार्य रूप से अपना औद्योगीकरण स्वयं करना है। क्योंकि वैसा करने से ही वह मशीन और मस्तिष्क दोनों का तालमेल बिठा सकता है। सरकार लोगों के प्रयत्नों का संयोजन कर सकती है, उन्हें आवश्यक ढाँचे प्रदान कर सकती है तथा सामाजिक व आर्थिक न्याय पाने हेतु उत्पादन के वितरण की देखभाल कर सकती है। किन्तु औद्योगीकरण के लिए आवश्यक दैनन्दिन प्रयास, खोज करने की शक्ति, विभिन्न प्रवृत्तियों का आपसी तालमेल, प्रशासन की उदारता, बहुविध सम्बन्धों के माध्यम से चलने वाला एक बड़ा ‘टीमवर्क’, समझदारी एवं अनुशासन—ये सभी जाति (Race) की प्रकृति व उसके व्यवहार (Habits) के विषय हैं। और ये सभी किये जा सकते हैं कि जब राष्ट्रीय संकल्प (National Will) दृढ़ता के साथ व अन्तिम रूप से अपने औद्योगीकरण के लिए निश्चय करता है। भारतीय मजदूर संघ का कार्य इस दृष्टिकोण, जो कि वैज्ञानिक वृत्ति है, के जागरण के लिए है।

सारांश

इत प्रकार वग-संघर्ष के व्यतीत-काल (Out-of-date) सिद्धान्त के बदले भारतीय मजदूर संघ वर्तमान औद्योगिक जीवव के तीन प्रमुख मौलिक अंगो—राष्ट्र, उद्योग तथा उद्योग के अन्तर्गत करने वाले लोग—में तालमेल बिठाने वाले दृष्टिकोण का हामी है। उक्त तीन नारों में अन्तर्निहित सिद्धान्त उक्त तालमेल बिठाने हेतु एक संकेत मात्र है। क्योंकि वास्तविक प्रगति संघर्ष में, नहीं अपितु समन्वय में है।

★

“Every duty is holy, and devotion to duty is the highest form of the Worship of God.”

VIVEKANANDA.

हमारा गीत

दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम

मानवता के लिए ऊषा की किरण जगाने वाले हम ।

शोषित, पीड़ित, दलित जनों का, भाग्य बनाने वाले हम ॥ध्रु॥

हम अपने श्रम-सीकर से ऊसर में स्वर्ण उगा देंगे ।

कंकर पत्थर समतल कर काटों में फूल उगा देगे ।

सतत परिश्रम से अपने हैं, वैभव लाने वाले हम ।

शोषित पीड़ित दलित जनों का, भाग्य बनाने वाले हम ॥१॥

अन्य किसी के मुंह की रोटी, हरना अपना काम नहीं ।

पर अपने अधिकार गंवाकर कर सकते आराम नहीं ॥

अपने हित औरों के हित का, मेल मिलाने वाले हम ।

शोषित, पीड़ित, दलित जनों का, भाग्य बनाने वाले हम ॥२॥

रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा आवश्यकता जीवन की ।

व्यक्ति और परिवार सुखी हो, तभी मुक्ति होती सच्ची ॥

हंसते-हंसते राष्ट्रकार्य में शक्ति लगाने वाले हम ।

शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम ॥३॥

भारत माता का सुख गौरव, प्राणों से भी प्यारा है ।

युग-युग से मानव-हित करना, शाश्वत धर्म हमारा है ॥

जीवन शक्ति उसी माता को, भेंट चढ़ाने वाले हम ।

शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम ॥४॥



श्रमिक संघों के विकास की आदर्श दिशा

रामनरेश सिंह, एम० एन० सी,

अ० भा० मंत्री, भारतीय मजदूर संघ

भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की प्रारम्भ हुये आज पचास वर्ष बीत चुके हैं। इस पचास वर्षों की अवधि में इस आंदोलन में कितने ही उतार-चढ़ाव आये, उलझने आईं, विखराव आये—पर इससे अनेक अनुभव भी प्राप्त हुये हैं। उन अनुभवों ने श्रमिक संघों के विकास की आदर्श दिशा निश्चित कर दी है तथा त्रुटियों व अनुभवहीनता के थपेड़ों ने सही रास्ता भी दिखा दिया है।

श्रमिक संघ-मजदूरों की मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा संचालित होना चाहिये। बाहरी लोगों की संख्या न्यून से न्यूनतर होते हुये समाप्त हो जानी चाहिये। उसके लिये यह आवश्यक है कि मजदूरों के नेतृत्व को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

श्रमिक संघों को राष्ट्र हित के चौखट के अन्दर मजदूर हितों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये। देश बचेगा तभी मजदूर बचेगा। उद्योगपतियों के अन्याय के बिरुद्ध लड़ने का तात्पर्य उद्योगों से लड़ना नहीं होता। अतः ट्रेड यूनियन का यह परम कर्तव्य है की मजदूर हित, उद्योग हित तथा देश हित—तीनों हितों की पूर्ति की दिशा में अपने आंदोलन को विकसित करें। ये तीनों हित एक ही आदर्श दिशा की ओर जाने वाले हैं।

अनुभव यह है कि आज जो श्रमिक वर्ग में विघटन व टूटन दिखायी पड़ रही है उसका बहुत बड़ा कारण राजनीतिक दलों का ट्रेड यूनियनों पर हावी होना है। अतएव श्रमिक संघों को राजनीतिक दलों के प्रभाव से विमुक्त होना चाहिये। वे नान पोलिटिकल करेक्टर (Non political character) की रहें। सब प्रकार के दवाव व शोषण से परे रहकर अपने आंदोलन को विकसित करें। उन्हें सब प्रकार से स्वतंत्र रहना चाहिये। न पुंजीपति का और न राजनीतिक दलों का और न ही सरकार का उन पर दवाव रहना चाहिये।

ट्रेड यूनियन का कार्य रचनात्मक दृष्टि से होना चाहिये, विध्वंसात्मक नहीं। मजदूरों का जीवन स्तर सभी दिशाओं में किस प्रकार ऊपर उठेगा तथा वे किस प्रकार सम्मानित व सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे-इसके लिये प्रयास करना ही इस आंदोलन का मुख्य कार्य है।

श्रमिक संघों को कानून के ढांचे के अन्तर्गत कार्य करना चाहिये। यदि कानून अपर्याप्त हैं या सद्दोष हैं तो उसके संशोधन के लिये विधिवत प्रयास किया जाना चाहिये। कानून की कमियों व खामियों को दूर करने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये, पर कानून को हाथ में न लेना चाहिये। इस प्रकार की आदर्श व्यवस्था के लिये आवश्यक है कि सरकार व मालिक मजदूरों के साथ जनतंत्रीय अनुशासन की पद्धति का विकास करें। मजदूरों से सम्बन्धित आदेशों व कानूनों में यदि मजदूरों की सम्मति का समावेश हुआ तो एक प्रकार के आत्मानुशासन (Self restraint) की भावना का विकास होगा जो अन्ततः औद्योगिक शांति के लिये साधक होगा।

श्रमिक शिक्षण (वर्कर्स एजुकेशन) की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस विषय में भारत सरकार ने जो प्रयास चलाया है, वह सराहनीय है। श्रमिक संघों को उससे लाभान्वित होना चाहिये। साथ ही उन्हें अपनी ओर से भी श्रमिक शिक्षण वर्ग की योजना करनी चाहिये।

भारत ने लोकतंत्र स्वीकार किया है। लोकतंत्र और श्रमिक संघवाद का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। बगैर ट्रेड यूनियनिज्म के लोकतंत्र दुर्बल रहेगा लंगड़ा रहेगा। लोकतंत्र के अभाव में सही ट्रेड यूनियनिज्म, जिन्दा नहीं रह सकेगा। अतः यह परमावश्यक है कि श्रमिक संघ के कार्यकर्त्ता लोकतंत्र का हर दृष्टि से समर्थन करें तथा लोकतंत्र के हिमायती हर दृष्टि से ट्रेड यूनियनिज्म का समर्थन व सहयोग करें।

पश्चिमी देशों में श्रमिक संघों ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् जो विपमता की खाई निर्माण हुई, और मालिक मजदूरों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, उस परिस्थिति में ट्रेड यूनियन आंदोलन उधर न होता तो खूनी क्रान्ति अटल थी। रक्तपात विरहित परिवर्तन तथा सुधार का मार्ग ट्रेडयूनियननिज्म ने ही सिद्धाया है।

श्रमिक संघों के आदर्श विकास के लिये उसके कार्यकर्ताओं को अनेक आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिये। जैसे जिन मजदूरों में उन्हें काम करना है, उनके मन की जानकारी, कानून के दायरे की जानकारी, मिद्धान्त की जानकारी, टेकनिक व समझौता आदि करने की प्रक्रिया की जानकारी चाहिये।

श्रमिक संघों की जितनी ही संख्या कम होगी, उतना ही वे शक्तिशाली होंगे तथा अपने आदर्श की दिशा की ओर वे बढ़ सकेंगे। 'एक उद्योग में एक यूनियन' यदि सम्भव नहीं होता है तो एक उद्योग में यूनियनों का 'एक राष्ट्रवादीमोर्चा' तो रहना ही चाहिये। यह भी हो सकता है कि गुप्त वोट से अनुपातिक प्रणाली के आधार पर संयुक्त सामूहिक सीदेबाजी एजेन्सी का निर्माण किया जाय तभी वह नियोजक से सीदेबाजी करने में सफल हो सकेगा। श्रमिक संघों की अधिकता, आपसी मनमुटाव, गतिरोध ये सब ऐसी बातें हैं जो मजदूर हितों की ओर दुर्लक्ष करती हैं, और उन्हें दुर्बल बनाये रहती हैं।

मजदूर संघों के सामने सदैव व स्पष्ट रूप से एक आखिरी लक्ष्य होना चाहिये कि आखिरकार वे किसलिये बनो हैं? स्पष्ट है श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य देश की उत्पादन वृद्धि करना है। 'संघर्ष' तो अन्याय के विरुद्ध एक लड़ाई मात्र है, अंतिम उद्देश्य नहीं। देश की दौलत बढ़े? यही लक्ष्य उनके सामने अहिंसित बन रहना चाहिये।

श्रमिक संघों के विकास की आदर्श स्थिति के लिये यह आवश्यक है कि वे किसी बंद पुस्तक अथवा इज्म से अपनेको न बाँधें। उन्हें देश हित, उद्योग हित व मजदूर हित की दृष्टि से जो आवश्यक है, उस व्यवहार वाद को स्वीकार करना चाहिए। यदि इज्म शब्द से उन्हें प्रेम है तो वे रियलिज्म (वास्तववाद) को स्वीकार करें।

श्रमिक संघ के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के आपसी व्यवहार कुटुम्ब के प्रकार का होना चाहिये, यूनियन के विधान में लिखा है इसलिये नहीं, अपितु एक कुटुम्ब के सदस्यों के व्यवहार को देखना चाहिये जहाँ विधान की धारयाँ नहीं, अपनत्व व प्रेम का शासन चलता है। विधान तो शरीर की रक्षा के लिये, पहने जाने वाले कपड़े के समान है, वही सब कुछ नहीं है। वास्तव में शरीर ही सब कुछ है। कपड़ा तो गौण मात्र है। जिस श्रमिक संघ में अपनत्व आत्मीयता समाप्त होकर विधान की बारीकियाँ उठने का प्रयास आरम्भ हो जाती है, उस यूनियन की प्रगति असम्भव हो जाती है वरन् आपसी अविश्वास व संदेह का वातावरण निर्माण हो जाने से वह दिनों दिन अधोगति की ओर बढ़ती है। अस्तु प्रारम्भ से ही परस्पर विश्वास व आत्मीयता से परिपूर्ण कौटुम्बिक वातावरण बनाकर रखनेके लिये सचेष्ट रहना चाहिये।

मालिक मजदूर संघर्ष में उपभोक्ताओं का सदैव स्मरण रखना चाहिये। उपभोक्ता भाव ही मजदूरों का मूलतः भाव है। यह उपभोक्ता अर्थात् तीसरा पक्ष ही देश की जनता है। उसको कष्ट देकर, उसके मूल्य पर संघर्ष नहीं चलाना चाहिये। जनता को अपने पक्ष में रखकर ही श्रमिक संघों द्वारा चलाया गया आंदोलन सफल होता है। जनमत की अवहेलना करके कुछ भी प्राप्त करने में श्रमिक संघ असफल हो रहेंगे।

श्रमिक संघों के कार्यालयों का नित्यप्रति नियमित रूप से समय पर खुलना, योग्य कार्यकर्ताओं द्वारा मजदूरों की दैनंदिन समस्याओं के हल करने का परामर्श मिलना यह जहाँ आवश्यक है, वहाँ ही प्रतिमास की नियमित सदस्यता, कार्यकारिणी की बैठकें, हिसाब-किताब की जाँच भी होनी आवश्यक है। आवश्यकतानुसार मजदूरों के दुख-सुख में सम्मिलित होने की प्रवृत्ति भी यूनियन कार्यकर्ताओं में अनिवार्य रूप से रहनी चाहिये। प्रत्येक श्रमिक संघ में कार्यकर्ताओं का एक जिम्मेवार व जानकार वर्ग तैयार हो ही-इसके लिये समय-समय पर शिक्षण वर्ग एवं अन्यान्य प्रकार के कार्य-क्रमों का आयोजन करते रहना चाहिये। इसके साथ ही श्रमिक संघों को यह भी देखते रहना चाहिये कि उत्पादन वृद्धि तथा बेतन व अन्य सुविधाओं की वृद्धि के लिए उद्योगों में कौन-कौन से सुधार व उपाय काम में लाये जा सकते हैं।

आदर्श श्रमिक संघ अपने सदस्यों को माँगों तक ही सीमित नहीं रहने देते, अपितु जहाँ वे एक फ़ैक्ट्री में मजदूर हैं वहाँ वे एक देश के नागरिक भी हैं, यह भाव भी उनमें निर्माण करना है। केवल स्वार्थ भाव नहीं, केवल रोटी नहीं, अपितु रोटी के साथ सम्मान व समाजनिष्ठ भाव भी पैदा करते हैं। मजदूर केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, उसके पास केवल पेट ही नहीं है, साथ में मन, बुद्धि और आत्मा भी है। पेट भरने के साथ ही उसके पास सुन्दर विचार भी चाहिये। पेट की शान्ति के साथ मन और बुद्धि की भी शान्ति चाहिये। इस प्रकार की दृष्टि देने के लिये उन्हें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये।

अक्सर देखा गया है कि जोश खरोश वाले नेता मजदूरों के सामने आते हैं और आसमान के तारे तोड़कर उनके हाथ में दे देने की ऊँची आवाज में घोषणा करते हैं। फलस्वरूप कितने ही भोले-भाले मजदूर उनके साथ जाने के लिये मचल भी उठते हैं। स्थिरता व विवेक को तिलांजलि देकर केवल जोश व खरोश से मजदूरों को गुमराह तो किया जा सकता है पर उनके द्वारा मजदूरों का हित कदापि सम्भव नहीं है। श्रमिक संघों का यह फर्ज है कि अपने सदस्यों को पूर्व से ही ऐसी बातों की जानकारी व चेतावनी देते रहें ताकि वे ऐसी बातों से गुमराह न हो सके।

श्रमिक संघों को अपने कर्तव्य व अधिकार दोनों की विधिवत जानकारी व दोनों की मर्यादाओं को भी समझना चाहिये। बहुधा नियोजक व मालिक लोग कर्मचारियों को काम में वास्तविक भागीदार बनाने का मूल्य नहीं समझते और न उन्होंने मानव श्रम के अतिरिक्त मानवीय प्रयास के महत्व और मानवीय भावनाओं को छू देने वाले तंत्र के सिद्धान्त को ही समझने का प्रयत्न किया है। उन्होंने काम करने के लिये ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करने की आवश्यकता कभी सोची ही नहीं, जिनसे कर्मचारी उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये स्वयं हँसी खुसी से आगे बढ़कर काम करे। इस महत्वपूर्ण कार्य की उपयोगिता नियोजक और मालिक समझें उसके लिये भी श्रमिक संघों का कम दायित्व नहीं है। इन्हें चाहिये कि नियोजक को भी यह दृष्टि दें कि प्रबन्धक काम के अतिरिक्त समय में भी कर्मचारियों से सीधा सम्पर्क

रखें। उन्हें यह सीख दें कि कर्मचारियों से काम लेना उतने महत्व का नहीं है, जितना कि ऐसा वातावरण पैदा करना कि कर्मचारी स्व-प्रेरणा से सर्वोत्तम काम कर सके।

श्रमिक संघों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने से सम्बन्धित फ़ैक्ट्री में एक संयुक्त समिति का निर्वाचन करावें। ये प्रतिनिधि चाहें सदस्य संख्या के अधार पर विभिन्न युनियनों से नामजद होकर आ जाय अथवा गुप्त मतदानों से चुनकर आवें। इस संयुक्त समिति का कार्य यह होगा कि वह मजदूरों कि व्यक्तिगत समस्याओं से सम्बन्धित सभी बड़े और महत्वपूर्ण विषयों-पारिश्रमिक, श्रम के घंटे व अधिलाभ आदि विषयों को प्रबन्धकों के सामने रखें। मालिकों को चाहिये कि ऐसी समिति को को मान्यता दें।

श्रमिक संघों को वित्तीय दृष्टि से काफी सुदृढ़ रखना चाहिये बिना उसके वे अच्छी प्रकार काम नहीं कर सकेंगे। साथ ही उनके पास विशेषज्ञ भी रहने चाहिये जो मजदूरों की माँगों को प्रभावी ढंग से मालिकों के सामने प्रस्तुत कर सकें। प्रथम के लिये सदस्यता वृद्धि तथा दूसरे के लिये शिक्षणवर्ग की योजना को कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

वेतनों में वृद्धि के वाक्जुद श्रमिकों के जीवन स्तर में यथेष्ट वृद्धि नहीं हो पा रही है अस्तु यह भी आज श्रमिक संघों के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है कि वे मालिकों व सरकार पर यह दबाव लावें कि श्रमिकों को आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्यों या उपयुक्त दरों पर प्रदान की जाय, चाहे इसके लिये वे अपने संचालित भंडारों द्वारा करावें अथवा सहकारिता का आश्रय लेकर करावें।

भारत के श्रमिक संघों के आदर्श विकास के लिये यह भी आवश्यक है कि वे जनता सरकार और उद्योगपति तीनों के सम्मुख यह रखें कि उन योजनाओं में जहाँ श्रम शक्ति की पहुँच है, यंत्र न लाया जाय विशेषकर स्वचालित यंत्र। देश के अधिक से अधिक हाथों को काम देने दिलाने के लिये श्रमिक संघों के सुझाव अधिक विश्वसनीय व लाभदायक सिद्ध होंगे तथा वे ही बेकारी दूर करने में सहायक भी होंगे। इसके साथ ही देहाती और शहरी क्षेत्रों के मजदूरों की ओर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके लिये देहातों में कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाना चाहिये ताकि शहरों की ओर बढ़ने वाली अतिरिक्त श्रम शक्ति को वहीं देहातों में ही रोका जा सके।

राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सेवा नियम

पृथ्वी राज कपानी

उप-प्रधान,

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय मंच (फोरम्)

भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व भारत केवल 'हिन्दुस्तान' अथवा 'इन्डिया' नाम से एक पूर्ण देश का भाव जागृत करता था परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् भारत अर्थात् हिन्दुस्तान को यूनियन आफ इन्डिया जिसका अनुवाद राष्ट्रीय भाषा में 'भारत संघ' किया गया है, का नाम देकर साम्प्रदायिक तत्त्व की पुष्टि की गई। इस प्रकार भारत के 'एक देश' की मूल राष्ट्रीय भावना को साम्प्रदायिकता के हाथों में छोड़ दिया गया।

गत २२ वर्षों में साम्प्रदायिकता शब्द का प्रयाप्त मात्रा में प्रचार हुआ है। भारत का प्रत्येक नागरिक, बच्चा, युवक, वृद्ध, महिला और पुरुष, वह गांव में रहता है अथवा बड़े नगर में, सभी के हृदय में, एक विचार, एक भावना उत्पन्न हो चुकी है कि साम्प्रदायिकता की भावना देश और राष्ट्र के लिए ही नहीं, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए दोष-युक्त संज्ञा है। प्रचार के प्रभाव में साम्प्रदायिकता एक बहुत बड़ा दोष ही नहीं अपराध भी स्वीकृत हुआ है और इसके लिए कई एक नियम, अधिनियम भी बनाए गए हैं। जहाँ तक साम्प्रदायिकता का प्रश्न है कोई भी राष्ट्रीय भावना अथवा विचार रखने वाला नागरिक इस को उचित और व्यावहारिक नहीं मानेगा तथा साम्प्रदायिकता की सीमा केवल उपासना की विधि अथवा धर्मालम्बना तक बांधना अनुचित ही माना जाएगा।

राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दलवाद, जातिवाद और प्रदेशवाद आदि को प्रमुख रखना अथवा मानना सब से बड़ी साम्प्रदायिकता है। इसी प्रकार श्रमिकों के अन्तर्गत कार्य अनुसार उनमें वर्ग भावना को उत्तेजित करके वर्गवाद को बढ़ावा देना भी साम्प्रदायिकता है। इससे भी बड़ी साम्प्रदायिकता है कर्मचारियों के लिए

अलग-अलग सेवा नियम लागू करके पृथक्वाद को पुष्ट करना। केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए एक नियम बनाती है और प्रदेश सरकार कुछ दूसरा। पब्लिक सेक्टर की संस्थाएँ एक नियम बनाती हैं तो स्वायत्तशासी संस्थाएँ दूसरा ही नियम लागू करती हैं। यहीं पर यह क्रम समान नहीं हो जाता, इससे आगे एक ही प्रकार के संगठन स्थान-स्थान पर अलग-अलग नियम लागू करते हैं। यदि इस स्थिति पर हम विचार करें तो प्रत्येक प्रकार की सेवाओं के नियमों में साम्प्रदायिकता का गहन प्रभाव दीख पड़ता है। भारत देश और राष्ट्र के चिन्तन में अच्छा होता यदि साम्प्रदायिकता की दृष्टि के वास्तविक रूप का प्रचार कर जन-जन के हृदय में राष्ट्र के वास्तविक रूप का एकमेव मूर्ति अंकित की जाती तो प्रत्येक नागरिक वर्गवाद, जातिवाद तथा प्रदेशवाद आदि वादों से रहित दृष्टिकोण से निज की उन्नति की अपेक्षा राष्ट्रीय उन्नति को प्रथम स्थान देता। परिणाम स्वरूप हमें आज स्वतंत्रता के २४ वर्षों पश्चात् भी अन्य देशों का सहारा खोजते हुए उन चंगुल में फँसना पड़ता।

आज एक अन्य वाद ने भारत में जन्म लिया है और उसको समाजवाद के नाम से प्रचारित किया गया है। प्रत्येक देश का समाज ही उसका राष्ट्र होता है और इसी प्रकार भारतीय संस्कृति और परम्पराओं के लिए हुए भारत एक समाज है फिर वह घोषित समाजवाद क्या है? इसकी व्याख्या अभी तक इस का प्रचार करने वालों ने नहीं की है। परन्तु एक बात अवश्य ही विचार में आती है कि यदि हम किसी नवसमाजवाद को भारत में जन्म देना चाहते हैं तो निश्चित ही वह भारतीय परम्परागत समाज नहीं, कोई विदेशी समाज है जिस का वाद हम भारत में

सर्वश्रेष्ठ, भोले-भाले समाज पर लादना चाहते हैं। यदि इस का अर्थ २४ वर्षों तक स्वतंत्रता की भावना के होने वाले शोषण में बदल लाकर कल्याण करना है तो इस क्रान्ति का नाम समाजवाद की उलझन नहीं अपितु सीधा जनकल्याणवाद होना चाहिए।

समाजवाद का उद्घोष आज के मजदूर को सम्भवतः सबसे प्रिय है क्योंकि अपना कर्तव्य पालन करने पर भी उसके मानवीय अधिकारों की अवहेलना हो रही है और यह पीड़ित मनुष्य अपनी आकांक्षाओं के अनुसार ही समाजवाद का अर्थ लगाकर मुनहले सपने देखता है। उसको कथित समाजवाद की ओट में देश और राष्ट्र के परतंत्रता की ओर बढ़ रहे चरण का ध्यान नहीं आता। यह कथित समाजवाद यदि वास्तव में जन-कल्याण का उद्देश्य रखता है तो इस को भारतीय परम्परागत जन-कल्याणवाद की संज्ञा देना उचित होता और इस ओर सबसे पहला कार्य होता चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार की जिम्मेदारी सरकार की अर्थात् श्रम का राष्ट्रीयकरण ताकि निजी, पब्लिक, अर्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में हो रहे श्रम के शोषण को रोका जा सके।

आज सरकारी क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण वर्षों तक लोगों को दैनिक वेतन पर रखा जाता है, वेतन भी मंहगाई के स्तर से कम दिया जाता है और जीवन भर उनकी नियमित कर्मचारी बनने की आशा में दैनिक वेतन पर अपने जीवन का अन्तिम श्वास पूर्ण करना पड़ता है और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में श्रम का शोषण निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं और लोकतंत्र के संसद में अल्पमत इसको पछुता भी चाहे तो कौन सुनता है। परन्तु यदि कहीं राजनीति में घाटा दिखता हो तो अल्पमत को साम्प्रदायिकता के स्थान पर मिर्नाटी अर्थात् अल्पसंख्यक कह कर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। यदि भारत सरकार के खाते में मजदूरों की संख्या भारत में अधिक है तो क्या वह अल्पसंख्यक उद्योगपतियों के जन-कल्याण से अतिरिक्त अधिकारों को अल्प-संख्यक के नाते सुरक्षित रखना चाहेगी और यदि सरकारी खाते में

मजदूरों की संख्या कम है तो क्या सरकार जन-कल्याण के नाते साम्प्रदायिकता से परे पूर्ण देश में एक ही नियम लागू करेगी? यदि हम दोनों प्रकार के अतिरिक्त अन्य भी किसी परिस्थिति में जन-कल्याण के आधार पर विचार करें तो एक ही मार्ग से पूर्ण संतुलित रखना सम्भव दीखता है। यह मार्ग है—उद्योग का मजदूर—करण। इस मार्ग से मजदूरों की संख्या उद्योगपतियों से कम रहे अथवा अधिक दोनों श्रेणियों में से किसी के भी अधिकारों को छीनने का अवसर उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार श्रम के शोषण का भी अन्त हो सकता है।

आज साम्प्रदायिकता के विरुद्ध कई एक संस्थाएँ गठित हैं जिसमें एक नेशनल-एन्टेग्रेसन काँन्सिल, अर्थात् राष्ट्रीय एकता परिषद भी है जो कि प्रधान मंत्री की देख रेख में कार्य करती है। राष्ट्रीय एकता के लिए साम्प्रदायिकता का समाप्त होना अनिवार्य है परन्तु इस के लिए साम्प्रदायिकता के संकुचित रूप की अपेक्षा विस्तृत रूप को समक्ष रख कर ही कार्य करना व्यवहारिक होगा। इसके लिए राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने और जन साधारण में एकता की भावना जांगुत करने के लिए देश भर के सभी कर्मचारियों के लिए एक ही सेवा नियम लागू करना चाहिए ताकि कहीं पर भी कुछ भेदभाव न हो सके और इस प्रकार सेवा नियमों में साम्प्रदायिकता समाप्त होकर एकता की भावना प्रपफुलित हो। इसके लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के स्थान-स्थान पर कानूनों की उलझन को हटाकर कर्मचारियों को तीन श्रेणियों—सरकारी, पब्लिक सैक्टर सहित केन्द्रीय तथा प्रादेशिक, स्वायत्तशासी (नगर निगम) नगर पालिका तथा अन्डर आटोनोमस संस्थाएँ आदि तथा निजी क्षेत्र में बांट कर सार्वदेशिक सेवा नियम लागू होनी चाहिए और इन सेवा नियमों को अलग अलग अन्य अन्य संस्थाओं अथवा प्रदेशों को स्वेच्छा से बदलने अथवा मजदूर हितों के विरुद्ध अथवा कम करने वाला कोई नया नियम बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम देश के एकात्म भाव तथा राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य की पूर्ति में अवश्य ही सफल हो सकेंगे।

श्रम-साधना

डा० शत्रुघ्न

श्रम
पूजा है
माँ घरतो की
विश्वम्भरा प्रकृति की
मानवता के क्षण क्षण निर्मित
गगनस्पर्शी शिखर शोभित
मन्दिर की ।
देवों ने
छोड़ सिंहासन को
खुले-खुले पैरों से
मुक्त मुष्कान जड़ित बांहों से
सागर के मंथन का
श्रम ही तो किया था;
स्वेदकण की मुक्ता माला से
लक्ष्मी का अभिनन्दन ही किया था ।
मानव ने
श्रम की बूँदों से
राह बना बनाकर
आरंभ कर पाषाण युग से
क्षत विक्षत उँगलियों और तलवाँ से
परमाणु युग तक
महायात्रा पूरी की है:

श्रम के फूलों से
सभ्यता सँवारी है ।
मिट्टी की गोद में
किलकारी भरता हर अंकुर
लम्बे डग भरता लौह यन्त्र
दास कबीर की
बीती हुई चदरिया
रैदास की पनहिया
श्रम को वेदी के निर्मात्य हैं ।
हम सभी देवता हैं
सभी हम श्रमिक हैं
श्रम षय के पथिक हैं ।
सागर मंथन-सा
परिश्रम कर
राष्ट्र लक्ष्मी का आवाहन करें ।
साधना का प्रसाद
सब में वितरित करें
और
राष्ट्र देवता के चरणों में
समता युक्त समाज को
अर्पित करें ।



मजदूर क्या चाहता है ?

रमाशंकर सिंह

उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ

तथा अध्यक्ष

भारतीय मजदूर संघ, बिहार-प्रदेश

यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज करीब पचास वर्ष के आधुनिक मजदूर आन्दोलन के बाद यह प्रश्न उठता है कि "मजदूर क्या चाहता है।" इससे साफ जाहिर होता है कि मजदूर आन्दोलन सही रास्ते पर न शुरू हुआ न चल सका।

यह सर्वविदित है कि मजदूर संस्था की नींव हमारे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के बाद सरकारी आन्तरिक व्यवस्था पर ही डाली गयी। आई० एल० ओ० में सर्वप्रथम मजदूर प्रतिनिधि यहाँ से श्री एन० एम० जोशी भेजे गए। उस समय यहाँ पर कोई मजदूर संस्था न थी। आई० एल० ओ० के नियम के अनुसार प्रतिनिधि तो सरकार द्वारा ही मनोनित होना चाहिए और मजदूर संस्था के द्वारा ही नाम भेजा जाना चाहिए। हमारे यहाँ विना मजदूर संस्था के ही मजदूर प्रतिनिधि को सरकार ने मनोनित किया तथा आई० एल० ओ० में भेज दिया। इस दिक्कत को हटाने के लिए एटक की नींव डाली गयी। जैसी नींव पड़ी उसी रास्ते पर इसकी प्रगति शुरू हुई। और आज भी मजदूरों की आवश्यकताओं से हमारे यहाँ के मजदूर संस्थाओं का उतना ही सम्बन्ध है जितना उन संस्थाओं के राजनैतिक तथा संस्थागत हित की पूर्ति हो सके। इसी का नतीजा है कि देश में तथा मजदूरों के सामने मजदूर आन्दोलन का सही नक्शा नहीं आ सका है, और आज सबके सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि आखिर मजदूर चाहता क्या है तथा मजदूर संस्थाओं की आवश्यकता और कार्यक्रम क्या हैं ?

इन प्रश्नों के जबाब में भारतीय मजदूर संघ के पास एक ही जबाब है। मजदूर एक मनुष्य है, और एक मनुष्य जो चाहता है वही मजदूर चाहता है। इसे

समझने के लिए बहुत प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। मजदूर जिन्दा रहना चाहता है एक साधारण मनुष्य की ही तरह जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता एक मनुष्य की होती है वही एक मजदूर की आवश्यकता है। पैदा होने के नाते जीवित रहने के लिए आवश्यकताओं को जानने के लिए मनुष्य चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो गरीब हो या धनी हो, अशिक्षित हो या विद्वान हो कहीं बाहर किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसे समझने लिए सरकारी नीति ने भी हमको थोड़ी सहायता की है। हमारी सरकार कमिटेड सरकार है। यह समाजवादी तरीका सामाजिक व्यवस्था के लिए है। उस समाजवादी तौर में एक मनुष्य के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या शर्त है यह बिलकुल साफ है। एक मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएँ क्या हैं यानि भोजन कपड़ा आवास, शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी मनुष्य में भेदभाव या अन्तर नहीं रहेगा। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश का सबसे धनी तथा उच्च पदाधिकारी के लिए सरकार की ओर से वही व्यवस्था रहेगी जो एक अशिक्षित गरीब मजदूर के लिए रहेगी। इस प्रकार मजदूर की प्रथम चाह जीवित रहने की आकांक्षा की पूर्ति का नक्शा बिलकुल साफ है।

इसके बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या इस सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि जहाँ अपने ही उसको करना है, वहाँ किसी पूँजीवाद या दूसरे साधन पर निर्भर नहीं करना है वही पर एक मजदूर तथा सरकार के एक उच्च पदाधिकारी भी इस आधारभूत आवश्यकताओं के मामले में एक हो एवं एक ही स्तर पर आवें। इसे समझने के लिए सरकारी उद्योगों तथा सरकारी कर्म-

चारियों की व्यवस्था को मोटी नजर से ही देखने से काम चल जाएगा ।

फिर प्रश्न यह उठता है कि सरकार की आर्थिक नीति ने यहाँ के पूजिपतियों को वहाँ पर लाने में किस मात्रा में सफल हो सकी है कि इन पूजिपतियों पर निर्भर करने वाले मनुष्य, मजदूर, उसी परिस्थिति में लाए जा सके जिसके लिए यह सरकार कमिटेड है ।

जीवित रहने से ही मनुष्य संतुष्ट नहीं होगा जीवित रहने की समस्या सुलझते ही इसकी आकांक्षा उभर पड़ती है । उसकी ख्वाहिश आगे बढ़ने की, तरक्की करने की उसे घर दबाती है । वह सिर्फ जिन्दा रहकर अगतिशील रहकर पड़ा रहना नहीं चाहता है । जीवित रहकर वह जहाँ पर है उससे आगे बढ़ना चाहिए यह मनुष्य की प्रकृति में है । पैदा होने के बाद से ही यह क्रम चल पड़ता है । जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए दूमरे पर निर्भर रहने की अवस्था में भी बच्चा प्रकृति के नियमानुकूल बढ़ना चाहता है और बढ़ता है । ठीक उसी प्रकार जीवित रहने के लिए सारी समस्याओं के सुलझते ही मनुष्य को वृद्धि की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है । मजदूर की आवश्यकताएँ जीवित रहने की पूरी हुई तो उसके बाद उसको तरक्की करने के लिए सारी सामग्री मिलनी चाहिए ।

इन समस्याओं के हल होने के बाद भी प्रकृति का नियम उसे मजदूर करता है यह सोचने के लिए कि केवल जीवित रहकर तरक्की करने के साधन से ही उसे संतोष नहीं होता । जीवित रहने और तरक्की करने के साधन के बाद वह एक आदर्श के साथ अपने को जोड़ देने के लिए उसी के साथ अपने को सन्नाहित करने एवं उसी के लिए जीवित रहने की उसी के लिए तकलीफ उठाने, त्याग करने की भावना प्रबल हो उठती है । बंगाल के एक महापुरुष ने कहा—“मानुष वाचते जाय, बाढ़ते जाय तारपोरे एकटा आदर्श चाय” *The principal hankering of human heart are anination, existence and augmentation.*

यही मजदूर चाहता है । इनकी पूर्ति के लिए मजदूर संस्थाओं की मजदूर आन्दोलनों की आवश्यकता

है । भारतीय मजदूर संघ के सामने यह एक जटिल समस्या है कि यहाँ के मजदूर आन्दोलन की नींव गलत होने के कारण मजदूरों की इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाये ही नहीं जा सके । संस्थाएँ अपने अपने उद्देश्य और राजनीतिक स्वार्थ के कारण मजदूरों के तीनों आवश्यकताओं को पीछे रखकर कुछ पर जोर देती गयी और कुछ को खासकर तीसरी की तरफ ध्यान नहीं दिया । किसी किसी परिस्थिति में तीसरी आवश्यकता पर जोर देने में उन संस्थाओं को नुकसान की ही संभावना थी । इस प्रकार जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी उसी के तरफ एकदम ध्यान नहीं दिया गया और इसका पूरा बोझ भारतीय मजदूर संघ के सिर पर आ पड़ा है ।

देश की और मजदूर संस्थाओं के कार्यक्रम तथा भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में अन्य भिन्नताओं के सिवा सबसे महत्वपूर्ण भिन्नता यह है कि यह उपरकथित मजदूर की तीनों आवश्यकता या आकांक्षाओं में से यह तीसरी आकांक्षा की पूर्ति ही अपना मुख्य कार्यक्रम मानना है । इस पर प्रकाश डालने के लिए केवल एक ही बात यहाँ बतला देना आवश्यक है । केवल जिन्दा रहने तथा किसी भी तरीके को अपनाकर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मजदूरों की संस्था को सही माने आदर्शवादी ट्रेड युनियन नहीं कहा जा सकता तथा उस के कार्यक्रम को मजदूर आन्दोलन की गिनती में नहीं रखा जा सकता । इस तरह की बहुत सी जमात समाज विरोधी तत्त्वों की या क्रिमीनल्स की भी होती हैं किपी भी तरह से अपनी आवश्यकताओं को केवल जिन्दा रहने के लिए पूरी करने के लिए अपनी जमात संगठित किए रहते हैं । उनमें भी एक अनुशासन तथा विधान का ढाँचा होता है । लेकिन आदर्श वहीन संगठन समाज हित को नुकसान पहुँचाकर संकीर्ण स्वार्थ की सिद्धि के लिए बना हुआ संगठन ट्रेडयुनियन नहीं कहा जा सकता । फिर ये समाज विरोधी संगठन भी जीवित रहने के अलावे संकीर्ण स्वार्थ की वृद्धि तथा तरक्की का भी कार्यक्रम अपनाते उऽसे उनके सदस्यों की तरक्की भी हो लेकिन आदर्श नहीं होने के कारण इस तरह की संस्थाओं तथा उनके कार्यक्रमों

के अन्त में मजदूरों का उद्योग का तथा उनके आदर्श का नुकसान नहीं होता है। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ सर्वप्रथम आदर्श ही सामने रखता है। किसी भी उच्च आदर्श की प्राप्ति के लिए सदस्यों तथा संस्थाओं को त्याग और बलिदान की नितान्त आवश्यकता होती है। मजदूरों को आर्थिक लाभ का लालच देकर, वोनस और वेतनवृद्धि के लालच के नशे में होश खोकर उनके व्यक्तिगतस्वार्थ के आधार पर ही संगठित करके मजदूर आंदोलन के आदर्शों के लिए उन मजदूरों से त्याग और बलिदान की आशा की जा सकती है। इन सब तरीकों से इस तरह के मजदूर संस्थाओं का राज-नैतिक तथा गलत स्वार्थ की सिद्धि हो सकती है तथा इसके साथ ही इन संस्थाओं से जुटे हुए मजदूरों को स्वार्थों की भी पूर्ति कुछ हद तक हो सकती है। लेकिन मजदूर आन्दोलन के आदर्शों का नुकसान ही होने की संभावना है। इन्हीं कारणों से आज मजदूरों की तथा उनकी आमदनी का श्रोत उद्योगों की यह दुर्दशा हो रही है। तथा मजदूर संस्थाओं और मजदूर आन्दोलन के संबंध में समाज की ऐसी धारणा बन गयी है कि अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है मजदूर क्यों चाहता है? उनकी संस्थाओं की आवश्यकता क्या है? समाज में एक धारणा बन गयी है कि मजदूर तथा उनके नेता वृन्द अपने आर्थिक एवं दलगत स्वार्थों के लिए कुछ समाज विरोधी तत्वों को इकट्ठा कर उद्योग तथा समाज का शोषण करते हैं।

मजदूर आन्दोलन ने नारा वृन्द किया कि मजदूरों को पूंजितियों के शोषण से रक्षा करने के लिए मजदूर संस्था की आवश्यकता है। गलत रास्ता अस्वित्यार करने के कारण आज मजदूर उनकी संस्थाएं तथा उनके नेता गण उद्योग तथा समाज सबके शोषक समझे जाने लगे हैं। इन्हीं कारणों से भारतीय मजदूर संघ ने इस कठिन जिम्मेवारी को अपने सिर पर लिया है। रास्ता कठिन तो नहीं काफी लम्बा है। लेकिन इसमें जितने धैर्य की आवश्यकता है उससे कड़ी अधिक धैर्य हमारे पास है। इसका

हमें गर्व है। आजकल के ट्रेड युनियनों की नजर में हम पागल हैं बेवकूफ भी हैं। काल्पनिक जगत के यात्री भी कहे जाते हैं। हम को पथ भ्रष्ट करने के लिए बहुत से उत्तेजक शब्द भी हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इन सब चीजों का हमारे उपर वह असर नहीं होता जिससे हमारे विरोधियों को लाभ हमारे आदर्शों का नुकसान हो। इस कटु आलोचनाओं का एक ही असर पड़ता है कि हम अपने संकल्प में और दृढ़ होते जा रहे हैं। किसी भी आदर्श-वादी आन्दोलन के लिए यही शुभ लक्षण है।

आज के समाज में ट्रेड युनियनिस्ट के नाम से जो लोग जाने जाते हैं वे हमारे साथ चल नहीं सकते हमारे विरोध में टिक नहीं सकते। इसलिए उनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है। कुछ पागलों की जमात हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो अपने आदर्शप्राप्ति की चिन्ता में, उसकी आसक्ति के नशे में पागल हो, अग्ने अगल बगल की परिस्थिति का उसपर उलटा असर नहीं हो, विरोधियों के सामने चट्टान की तरह ताकतवर साबित हो सके तथा विरोधियों की चोट का भीम की भुजा या पत्थर की भुजा की समान मुकाबला कर सके।

यदि आदर्श पूर्ति के लिए नशे में हम पागल नहीं होते, यदि उसके लिए आवश्यक धैर्य हम में नहीं होता तो २३ जुलाई १९५५ में नींव देकर बारह वर्ष तक अथक परिश्रम नहीं करते। और संस्थाओं की तरह इन बारह वर्षों में हम बारह रूप बनाए होते, मजदूरों तथा समाज को धोखा देने के लिए बारह से भी अधिक कला का प्रदर्शन किए होते और प्रथम अधिवेशन के ही पहले यानि बारह वर्ष के भीतर ही संस्था की नींव को समाप्त कर दिए होते।

यहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय मजदूर संघके आदर्शों कार्यक्रम तथा नीति की ऐतिहासिक आवश्यकता के कारण चारों तरफ मांग होने के बावजूद हम अपनी रफ्तार उतनी ही रखे हैं जिसमें अपने कार्यकर्ताओं की संख्या सही माने में संस्था की जिम्मेवारी लेने लायक हो।

 * "जहाँ वास्तविक ट्रेड यूनिजनज्म होगा, वहाँ कम्युनिज्म कभी नहीं आ सकता ! *
 * जहाँ कम्युनिज्म लाना है वहाँ ट्रेड यूनिजनज्म को सही ढंग से मत चलने दो" *
 * *
 * —कार्ल मार्क्स *
 * *****



भारतीय श्रम का मानवीय विवेचन

डा० प्रकाश चरण प्रसाद 'मुकुल'

एम० ए० डि० लिट०

उपाध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय मंच, बिहार प्रदेश

भारतीय जन-जीवन का इतिहास धर्म, कर्म और श्रम पर आधारित है। यदि मानव इतिहास के क्रमिक विकास में धर्म ने आध्यात्मिक मानववादी गुणों का श्रोत प्रवाहित किया और कर्म ने सांसारिक जीवन पद्धति को सजाया तो श्रम ने आर्थिक विकास को चरम सीमा पर पहुँचा कर भारत को एक श्रेष्ठ मानवीय देश के रूप में खड़ा किया। भारत की आत्मा से धर्म कर्म, और श्रम की संस्कारित एवं सुसंस्कृत आवाज "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः; सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख माप्नुयात्" अनवरत गति से निकलती रही और सारे संसार में व्याप्त होकर एक ठोस विश्व का निर्माण किया। भारत ने ही श्रम की मर्यादा को मूर्त रूप देकर सर्वप्रथम इस पावन वसुन्धरा को माँ के रूप में देखा।

माता भूमिपुत्रोऽहमृष्विवयाः" के फलस्वरूप ही भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम् की जीवन धारा प्रवाहित कर न केवल मानव में ही समभाव और समानता का दिग्दर्शक किया, अपितु सृष्टि के जड़-चेतन में भी उस महान गुण की झाँकी पाई।

ईशा वास्यमिदं सर्वयत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम् ॥
अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ जड़ चेतन स्वरूप जगत् है यह सब ईश्वर से व्याप्त है। अर्थात् सृष्टि की हर चीज एक सर्व शक्तिमान सर्व कल्याण गुण स्वरूप से व्याप्त है उस सर्व कल्याण गुण स्वरूप को साथ रखते हुये त्याग पूर्वक भोगते रहो, आसक्त मत होओ, क्योंकि भोग्य पदार्थ किसी का नहीं है।

त्याग पूर्वक भोग ही एकात्म-मानववाद का आधार मिला है। त्यागपूर्वक भोग से संचय की प्रवृत्ति नहीं बढ़ती, जब संचय नहीं होता है तो पूँजीवादी दुर्व्यवस्था नहीं पनपती है। शोषण उसी व्यवस्था का मार्गस्त्र बन जाता है। भारतीय श्रम सिद्धान्त के अनुसार शोषण एक सामाजिक कोढ़ है जिसके कारण सारा मानव समाज नष्ट होकर जर्जर हो जाता है। सामाजिक शोषण के इस कुचक्र को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखा। संघर्ष गुणात्मक नहीं होता है यह तो प्रतिघातक होता है। इस वर्ग संघर्ष में समाज को उसने स्पष्ट रूप से दो वर्गों में खड़ा किया गरीब और अमीर सर्वहारा और बुजुआ। मार्क्स का विचार था कि समाज के दो बुनियादी वर्गों अर्थात् बुजुआ और सर्वहारा वर्ग के क्रान्तिकारी संघर्ष के परिणाम स्वरूप पूँजीवादी समाज के स्थान पर एक नये समाज का निर्माण होगा। उन्हें इस कारण से यह संघर्ष और भी संभावित दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उस समय पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत समाज के दो सुदूर कोठों पर गरीबी और अमीरी निरंतर रूप से बढ़ती जा रही थी और इस समाज को समय-समय पर आनेवाले आर्थिक संकट झकझोर रहे थे। पूँजीवाद का अभिशाप गरीबी ने मार्क्स के मन में यह विश्वास जगा दिया कि इस समस्या को सुलझाने का एक मात्र रास्ता क्रांति ही है। इस क्रांति में दोनों वर्गों के बीच घृणा के भाव का जन्म हुआ, फलतः क्रांति हिंसात्मक और बर्बरता पूर्ण हो गया। मार्क्स ने अपनी क्रांति की रचना अर्थ वृद्धि के सिद्धान्त पर निरूपित नहीं कर रक्तपात से लिखा। बर्बरता का

इतनी छूट मिली कि अमीरों के घर पैदा लेने वाले मामूम बच्चों के खून से होली खेल कर दानव की तरह अट्टहास करने लगा। उसने समाज में घृणा के बीज जो माबवीय दुर्गुण है इतना बो दिया कि अमीरों के खून से पैदा लेने वाले को उसने समूल नाश करने की कंस परम्परा को अपनाया, यद्यपि साम्यवाद के स्तम्भ एंजिल भी एक अमीर घर में ही जन्म लिया था, सामाजिक शोषण की प्रति-क्रिया में यह विचार पनपा उसे प्रगतिशील कहना कहीं तक उचित होगा प्रगतिशील विचार तो वह हो सकता है जिसमें सारा समाज प्रेमभाव से जी सके आपस में हिंसा तथा घृणा की भावना पनपे तक नहीं 'माँ हिंसात अहिंसा परमोधर्मः, जैसे मानवीय विचार दर्शन ही बसुर्बैव कुटुम्बकम्' के प्रतीकात्मक प्रगतिशील विचार दर्शन है।

भारतीय परम्परा ने भी सामाजिक शोषण के कुचक्र को देखा पर उसने इस कुचक्र को मिटाने के लिये प्रति क्रियावादी विचार न देकर प्रगतिशील विचार दिया और सारे समाज को एकात्मवाद में बांध कर एक परमविश्व की कल्पना की जहाँ घृणा का बास नहीं। वरन सहानु-भूति और प्रेम के सूत्र से सटा समाज बंधा रहे। यजुर्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है।

मित्र स्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे ३६.१८

मैं मनुष्य क्या सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूँ। हम सब भी परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। कल्याण की बात समष्टि के लिये होना चाहिये न कि किसी एक वर्ग विशेष मनुष्य को सबके लिये हित और कल्याण सोचना चाहिये चाहे वह किसी भी श्रमिक वर्ग का हो या पृथ्वी के किसी भी भूभाग का हो।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उतशूद्र उतार्ये (अर्थव० १९.६२.१)
एक दूसरे की सर्वथा रक्षा और सहायता करना मनुष्य का प्रथम कर्त्तव्य है और यही सच्चा प्रगतिशील विचार है। जिसमें हिंसा तथा घृणा का भाव नहीं हो। भारतीय विचार परम्परा ने सम्पूर्ण पृथ्वी को माता के रूप में देखा।

'माता पृथ्वी महीयम' ऋ० १.१६४.३३

भारतीय अर्थ दर्शन में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। हे भयवन ! ऐसी कृपा कीजिये जिसमें मैं मनुष्य मात्र के प्रति चाहे मैं उसको जानता हूँ अथवा नहीं सद्भावना रख सकूँ।

याँश्च पश्यानि याँश्चन तेषुमा सुमतिं कृधि।

अर्थव १७.१७

शोषण के सारे कुचक्रों का विश्लेषण कर भारतीय दर्शन उस कुचक्र की समाप्ति के लिये एक ऐसे सामुहिक विचार का आह्वान किया जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया "आओ हम सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करें जिसमें मनुष्यों में परस्पर सुमति और सद्भावना का विस्तार हो" इसी आदर्श को स्वर्गीय पं० दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का प्रगतिशील विचार कहा। उनका विचार है हर मनुष्य जन्म से श्रमिक होता है। श्रम उसका अन्तरमुखी गुण है। इसलिये उन्होंने कहा 'हर हाथ को काम' मिलना चाहिये।

श्रम सिद्धान्त को भारतीय तत्त्ववेत्ता व्यास ने प्राणि-वाद के सिद्धान्त को समाज के समक्ष रखा जिसमें हाथ को ही जीवन का मूल माना गया। उन्होंने सूत्र रूप में कहा

कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वति
करमूले तू गोविन्दः प्रभाते कर दर्शनम्।

हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी का वास है उद्योग से लक्ष्मी और श्रम की व्यावहारिकता है परन्तु श्रम या उद्योग नैतिकता पर आधारित हो, अन्यथा उद्योग और श्रम में शोषण का स्थान हो जायगा। नैतिकता को स्थायित्व देने के उद्देश्य से ही कर के मध्य में सद्-ज्ञान की देवी सरस्वती का वास माना गया है। श्रम या उद्योग लोक कल्याण के हेतु प्रतिपादित होना चाहिये तथा श्रम में विश्व रूप की मर्यादा पायी जा सकती है इसलिये कर के मूल में जगत पालक गोविन्द का वास माना गया है।

पाश्चात्य देश में श्रम या तो पूँजी विशेष है या सत्ता विशेष। पूँजी विशेष में पूँजीवादी देश आते हैं जैसे अमेरिका इंग्लैन्ड आदि। सत्ता विशेष में साम्यवादी देश (रूस चीन आदि) देश आते हैं। पूँजी विशेष दे

में धन का शोषण होता है। अर्थोपार्जन में काला धन का स्थान हो जाता है। इस व्यवस्था में मानव का आर्थिक शोषण होता है। साम्यवादी देशों में श्रम का शोषण होता है उसमें श्रम की गुणात्मक उपयोगिता का स्थान नहीं है। सत्ता मनुष्यों से अपनी इच्छानुसार श्रम लेता है जिसमें स्वयं मानव गौण हो जाता है। दोनों अपना अपना प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि के लिये साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं। परन्तु भारतीय श्रम सिद्धान्त में समाज विशेष श्रमिक व्यवस्था है जिसमें लोक कल्याण के आदर्श की मर्यादा निहित है। राजनैतिक ढंग से यह लोकतांत्रिक शान्ति व्यवस्था में विश्वास करता है। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठभूमि इस बात का द्योतक हैं कि भारतीय राजनीति ने कभी भी साम्राज्यवाद की दुहाई नहीं दी। एक प्रखर राष्ट्रवाद में अवश्य विश्वास किया। प्रखर राष्ट्रवाद में एकात्म मानववाद है न कि साम्राज्यवाद का शोषण। आज के विश्व मंच पर यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पूँजीवादी व्यवस्था वाले देश अमेरिका और साम्यवादी देश चीन दोनों आतंकवादी साम्राज्यवाद में विश्वास करते हैं। पर भारत जहाँ की विचार धारा में प्रखर राष्ट्रवाद है जिसने १९७१ में मानवता की रक्षा हेतु 'बांग्ला देश' की सांस्कृतिक भावना के संरक्षण हेतु युद्ध की घोषणा कर कंस परम्परा में विश्वास करने वालों का सर्वनाश किया।

माक्स ने भी अपने ग्रन्थ पूँजी में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि भारतीय श्रमिक पद्धति विलकुल दूसरे ढंग की है। यहाँ के श्रम पर न तो पूँजीपतियों का अधिकार है न सत्ता का। वह स्वयं में अपनी एक अलग इकाई है किन्तु वह समाज की धूरी है। श्रम जिसके हाथ है उस पर उसी का अधिकार है। एक बढ़ई, स्वर्णकार, लौहकार आदि अपने श्रम का पूरा पूरा मालिक है। वह अपनी आवश्यकतानुसार पारिश्रमिक पाता है जिसका वह मौलिक अधिकारी है। यहाँ समाज का

वर्गीकरण श्रम के आधार पर हुआ जैसे स्वर्णकार, लौहकार, बढ़ई, ब्राह्मण, आदि राजनैतिक या सामाजिक घृणा के आधार पर नहीं है। प्रत्येक वर्ग एक फूल की तरह है जिसे एकात्मवाद मानववादी भारतीय सूत्र में पिरो विश्व के विराट रूप के निर्माण हेतु श्रम का सामाजिकरण किया गया है। इसी मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 'दुनिया के मजदूरों एक हो' के स्थान पर 'मजदूरों दुनिया को एक करो' का नारा बुलन्द किया है।

भारतीय सिद्धान्त के अनुसार जड़ चेतनात्मक जगत की रचना कर्म सिद्धान्त पर ही होती है। श्रम कर्म का व्यावहारिक रूप है। यह जगत स्थिर और विकासशील तभी तक रहता है जबतक संसार कर्म प्रधान रहता है परन्तु कर्म विहीन होते ही संसार प्रलय की ओर बढ़ता है। कर्म विहीन होते ही समाज में शोषण चक्र चल जाता है जो विनाश का कारण बन जाता है। कर्म प्रधान संसार में श्रम की मानवीय मर्यादा है जिसके कारण मनुष्यत्व का यथार्थ स्वरूप सामने आता है तभी "आत्मावा अरे द्रष्टव्यः (याज्ञवल्क्य) आप ही आप उपस्थित हो जाता है। श्रम एक प्राकृतिक गुण है। सृष्टि और विकास के तीन अंतरगुण, (१) त्वष्ट्र—विश्वनिर्माणकी की योजना (२) पूषन्—विकास की परम्परा (३) वैवस्वत-नैतिकता का पोषक, समाज में क्रमशः शारीरिक श्रम, गृह श्रम और क्षात्र श्रम का जन्म दिया। ये तीनों श्रमिक अंग समाज के एकीकरण में बल देने की दृष्टि से व्यवस्थित किये गये हैं। इन तीनों श्रम के सामाजिकरण से ही पूर्ण विकास सम्भव है। इस सामाजिकरण में न तो साम्यवाद ही सहायक है और न पूँजीवाद ही। हम देखते हैं साम्यवादी सिद्धान्त श्रम शोषण पर आधारित है और पूँजीवाद अर्थ शोषण पर परन्तु भारत परम्परागत ढंग से श्रम का सामाजिकरण गुणात्मक उपयोगिता पर विश्वास करता है। और तभी विश्व का मंगल सम्भव है।



Labour's Onward March

D. B. Thengdi

From --

Master and Servant Relationship

Through—

Better Deal;

Joint Consultation;

Participation in Management;

Auto Management; and

Participation in Ownership

To—

Workers' Ownership.

The Surplus Value

Is Managed By

i Employers	Under	Capitalistic	Order
ii State	Under	Communitic	Order
iii Workers	Under	Bharatiya	Order

Government Employees' National Forum—

(Objects and Functions)

B. L. Sharma (Prem)

Secy. All India Govt. Employees' National Forum

Government Employees' National Forum is not a Union or Service Association. It does not necessarily claim to directly take up the matters of Government employees' interest, their demands, grievances or their representations with the Government or the administrative authorities. The Forum is only a non-trade union Organisation of the type of an active study circle capable of mobilising the employees. Its membership will circumscribe all the civil departments in the Government services. Cent per cent membership in offices or working centres or even large scale membership is not insisted by the Organisation. At the same time the Forum does not forbid any of its units from enrolling cent-per-cent membership among employees. The Government Employees' National Forum being a non-trade union platform, it does not affiliate any union or association directly as is the practice with the National Federations of Central Government employees and does not also affiliate any All India Union or Federation as is the practice with the All India Confederation of Central Govt. Employees' and Workers. And even with this direct membership of the Central Government employees of all departments, the Forum is not of the pattern of some of the Federations of State Government employees which do not have unions but only direct membership in various departments.

Though it may not be possible or necessary here to mention all of them, the Government Employee's National Forum is to

strive for all the objectives of a trade union. It is not meant for an easy chair or club like activity to be carried on only with academic interest or with outsiders' indifference. It aims at bettering living standards, working conditions and even the social life of the employees by a very sincere, consistent, scientific, regular and even massive activity from a non-trade union platform supplementing the efforts of the trade unions and associations already functioning and by forming such unions and associations in the services wherever there are no such organisations.

Present Trade Union Movement :

What It Lacks :

It is not the intention to find fault with the present trade union movement of the Government employees nor lay finger on its weak points. We also do not want to indulge in analysing details with reference to the history of the struggles, with reference to the gains or losses, the moments of glory or the reasons of failures. The struggles will always be punctuated by moments of glory and sighs of sufferences. We all as Government employees, as soldiers of the struggles, as drops in the stream and constituents of the movements share the honours and the defeats. We have to be prepared for self criticism to correct ourselves and have to receive and react to everything as participants of the movement. And therefore without attributing things and by way of self-criticism it is to be inferred that the Government employees' movement

lacks organisation, comprehensiveness, education and confidence. One may enumerate so many things. But without even mentioning any of them it can be stated that if these deficiencies are made good the countrywide strength would take a shape and a footing to evolve a dynamic movement with constructive and creative activities aiming at bettering the living conditions and working conditions of the employees as a section of the people of the country.

Why Non-Trade Union Pattern ?

It surprises many to have a non-trade union pattern for organising employees and for conducting their activities with the objective of betterment of their living and serving conditions that is with the trade union objective. The employees or workers rather find themselves uncomfortable amidst vigorous activities from a platform from which there is no chance for negotiating, for representing, for channeling the dividends of movement. Though it is not wholly correct it may be seen that such would generally be the reaction from one who has not been for long on a non-trade union platform at the same time remaining in the trade union as well. We would deal in detail with this aspect later on, but now it would suffice to say that organisation, comprehensiveness, education and confidence which present trade union movement of the Central Government employees lack, can be inculcated or created by rallying on a non-trade union pattern. It may be minutely seen for ourselves that trade unions have so many functions and activities in the attainment of its objectives. But many of its functions such as education, organisation, etc. Do not necessarily require a trade union platform. These are necessarily trade union activities in themselves but for these, trade union platform is not a must. We

have to conceive of a proposition to make up for the deficiencies of the trade union movement of the Central Government employees from outside the unions and associations, from a non-trade union rallying ground. We can see whether such a proposition can be a practicable one or not. But the point remains that the very fact that despite active trade Union movement suffered from lack of organisation, its comprehensiveness, education in trade union matters—both organisational and academic—and the confidence which comes as a result of strength and experience and enlightenment is indicative of the fact that the present pattern of functioning of trade unions has ignored these aspects or that the scope, frequency and quality of the functioning do not cope with the requirements which would result in amassing organisational strength, in circumscribing new fields within the scope of activity, in training the membership in theoretical and practical aspects and thereby in creating an atmosphere of confidence. The activities and functions of the present trade union movement have therefore to be supplemented.

Misconceptions of Non-Trade Union Pattern :

In entertaining doubts whether this non-trade union platform would really be necessary and adequate in attaining the objectives for which it stands, there have been some misconceptions. The misconception is that we think that the non-trade union activity of the Forum should in itself be adequate or complete which cannot be the case in any circumstances. We have in our mind only the activities on the rallying ground of Forum and we ourselves get completely oblivious of the trade unions which exist and which are a must. For those who get themselves uncomfortable with the mere organisational or

study circle activity without any function to negotiate, represent or bargain and who cannot reconcile with such activity, do so not for want of conviction but as a matter of inexperience. The availability of chances for every individual and for the entire membership as well to work on both the platforms that is one of the trade union and the other of the non-trade union pattern should therefore be sufficient to serve the needful. And maximum co-ordination between the two by way of common or dual participation by members would further add to the perfection.

Forward March :

So far, it has not been possible to attract sympathy and support of the masses for the Government employees' cause and to enlist their cooperation for its fulfillment. This would be possible by education and propagation not only of the justness of the demands but also of the hardships of the trade union world. The demands have to be formulated so as to fit in the national economic set up of the country. We have to lay stress on duty as on rights and bargain with and on the basis of improved performance. We have to rescind from isolating ourselves from the

people and on the contrary have to identify ourselves as one with them. We intend to improve our lot but we are to partake a common fate with the rest and therefore have to better the same. We can win their faith and confidence if they could experience our honesty and industry, our aptness to work for the common cause. The wheel can be set in motion by invigorating the activity. Every town in the district, every state in the country, every office in the town and every department in the State and the country has to be roused for a comprehensive and vigorous activity. Maximum channels of contacts, cooperation, give and take, have to be opened and operated. Wedded to the national cause, apt to be dutiful, loving in service, conscious of strength and aware to all perils, assertive in claims but never in absolute manner or out of way, fitting in with convenience and comfort in the general set up of the national social machinery if we all unite, the maximum of us, on the nationalistic rallying ground at every place in the country, it will forge a tremendous potential. Whosoever may now be on the score of the trade union march, will go forward hand in hand, in cooperation and harmony to unite or to merge and ultimately be two faces of a coin.

मेसर्स फ्रेडस् इन्जीनीयरिंग वर्क्स

नया बाजार, लखीसराय (मुंगेर)

सर्वोत्तम स्पेशल ग्रै कास्टिंग, नन फेरस कास्टिंग एवं सभी प्रकार के मशीनों के पूजे

का

एकमात्र निर्माता

परीक्षा प्रार्थनीय

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत

जगत नारायण पाण्डे

केन्द्राधीक्षक, श्रम शोध संस्थान, सिन्दरी

११ अप्रैल १९१९ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। यह लीग आफ नेशन्स का अंग रहा।

प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका की समाप्तोपरांत शान्ति की अनिवार्य आवश्यकता का अनुभव संसार के सभी राष्ट्रों को हुआ जिसके फलस्वरूप लीग आफ नेशन्स की स्थापना हुई और इसी के साथ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी जन्म हुआ। उस समय तक औद्योगिक संबंधों और समस्याओं ने विश्व व्यापी रूप धारण कर लिया था किन्तु यह शान्ति भी स्थायी न रह सकी। मानवीय दुर्बलता ने फिर इस बांध को तोड़ दिया और युद्धलोलुप राष्ट्रों ने विश्व शान्ति को विश्व युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया। किन्तु राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ फिर इसे पुनर्जन्म मिला और १४ दिसम्बर १९४६ को राष्ट्र संघ की वृहत् सभा ने इसे स्वीकृत कर दी। इस संगठन में सरकार उद्योगपति और श्रमिकों के प्रतिनिधि का त्रिकोणात्मक रूप प्रत्यक्ष रहता है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य सारे संसार में कार्य क्षमता और जीवन स्तर को समुचित करना है। To improve the working and living conditions all over the world इसका व्यापक उद्देश्य संसार के राष्ट्रों में विश्व बन्धुत्व की भावना की स्थापना करना है; जहाँ इस निरंतर प्रगतिमान संपन्नता के मध्य सभी जातियाँ पारस्परिक सद्भाव और शान्ति में जीवित रहें।

इस संगठन ने सर्वप्रथम इस अन्तर्राष्ट्रीय घरातल पर श्रमिकों के मानवीय रूप को पहचाना और १९४४ के अपनी घोषणा में इसका उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि All Human living have the right to persue both their material well being and the spiritual condition of freedom dignity of ecc-equality, & equal opportunity. इस संस्था ने अपनी घोषणा में निम्नलिखित मौलिक सिद्धान्त

को आधार मानकर अपना संगठनात्मक रूप निश्चित किया।

१ श्रम एक जड़ पदार्थ नहीं है।

२ प्रगति की स्थिरता के लिए संगठन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है।

३ विश्व के किसी भी कोने में पड़ी निर्धनता सारी संवृद्धि के लिए खतरा है।

४ सभी मोर्चों पर अभावों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना आवश्यक है।

भारत का योगदान :—

भारत इस अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का १९१९ से ही सदस्य रहा है। और १९२२ से इसे संगठन में स्थायी स्थान प्राप्त रहा है। क्योंकि उस समय के प्रमुख १० देशों में भारत भी था। तत्कालीन भारत सरकार के प्रतिनिधि इस संगठन में रहे और इस संगठन द्वारा मनो-नित्त प्रायः सभी समितियों में इनका स्थान रहा। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए और भारत की आन्दोलनात्मक स्थिति पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि रखने के लिए ही इस संगठन में भाग लिया था क्योंकि जालियावाला काण्ड इसी के आसपास हुआ था, जिसमें लाखों निरपराध लोगों की हत्या हुई थी। किन्तु स्वाधीनता के बाद राष्ट्रीय घरातल पर कार्य प्रारम्भ हुआ। फलतः १९४८ में भारतीय प्रतिनिधि, प्रबंध समिति का अध्यक्ष चुना गया। और तत्कालीन श्रम मंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम अधिवेशन के ३३ वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यह अधिवेशन जेनेवा में जून १९५५, में हुआ था।

भारतीय दृष्टिकोण से १९५८ का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्योंकि इसी वर्ष ४२ वें सत्र में भारत ने अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराये। साथ ही

कई समितियों के संगठन और क्रियान्वयन में भी इसका अपूर्व योगदान रहा है। इसी की प्रेरणा से अक्टूबर १९४४ में प्रीपरेटरी एशियन रिजनल कान्फ्रेंस की बैठक नई दिल्ली में हुई जिसमें एशिया के विकाशशील देशों श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया गया। इसके बाद १९४९, १९५६ और १९५७ में अनेक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ।

मार्च १९५९ तक भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रतिज्ञाओं का दृढ़िकरण कर दिया था। इन प्रतिज्ञाओं का विशेष संबंध निम्नलिखित तथ्यों से रहा।

- १ औद्योगिक संस्थाओं में काम के घंटे।
 - २ रात्रि में बच्चों और महिलाओं से काम लेने पर प्रतिबंध।
 - ३ दुर्घटना में मृत्यु या चोट का मुआवजा।
 - ४ दुर्घटना से कर्मचारियों की सुरक्षा।
 - ५ अनिवार्य श्रम पर रोक।
 - ३ श्रम निरीक्षण की व्यवस्था।
 - ७ कुछ उद्योगों में न्यूनतम वेतन निर्धारण।
 - ८ समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष सभी को समान वेतन।
 - ९ स्वदेशोत्पन्न का जन जातियाँ की आवादी की रक्षा।
 - १० नियोजन सेवा संस्थापना।
- संगठन के अन्य प्रतिज्ञाओं दृढ़िकरण इसलिए न हो सका कि उनका संबंध विशेष औद्योगिक प्रगति प्राप्त

देशों से रहा। कुछ प्रतिज्ञाओं का संबंध कृषि से रहा लेकिन अभी इधर ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि प्रधान देश होते हुए इसे उद्योग प्रधान माना गया है। यह एक खेद का विषय है।

इस संगठन में रहने से भारत को लाभ भी हुए हैं। अनेक आर्थिक एवं औद्योगिक संबंधों, समस्याओं जैसे उत्पादकता की वृद्धि नियोजन, सूचना, कार्यक्रम, श्रम, शक्ति योजना, व्यवसायों में वर्गीकरण की योजना के भीतर प्रशिक्षण की योजना श्रम एवं कानून आदि।

भारत में समय-समय पर आर्थिक सहयोग एवं सहायता प्रदान की है जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:—

वर्ष—	राशि	कुल वजत का प्रतिशत
१९४९	६६०,०००,००	४-७७
१९५०	१२०३५०१००	४-५५
१९५१	११६९९७७००	४-३३
१९५२	११६६००१०९	४-१७
१९५३	१०५६६३३२१	४-१३
१९५४	११४९७३९००	४-१३
१९५५	१२१७४०७१३	३-१३
१९५६	१०३५६६८८१	३-४१
१९५७	११४७७३७३६	३-३६
१९५८	१२०१४६२०६	३-३५
१९५९	१२७०६१७२६	३-३२

कलकत्ता ईलेक्ट्रीक हाउस

फोन नं० ११३

मेन रोड, बेगुसराय (नजदीक बरौनी उद्योग नगरी)

बिजली के सभी समानों के थोक एवं खुदरा डिलर्स बजाज लैम्पा एवं लाईटिंग फिटिंग

के

प्रमुख

परीक्षा प्रार्थनीय

विद्युत उद्योग-विस्तार, महत्त्व-कर्तव्य-श्रमपेक्षा

बालकृष्ण साठये,

अखिल भारतीय महामंत्री, भारतीय विद्युत मजदूर संघ

मानव का आकर्षण बिजली

बिजली का मानव को पहले से ही आश्चर्य, भय और आकर्षण रहा है। उसको अपने बश में लाने की बश में रखने की लालसा दिखायी देती है। काले-काले बादलों से मँडरे हुए आसमान में अंधकार को क्षणमात्र के लिए नष्ट करती हुयी इसे आदमी ने देखा। तभी वह इससे लालायित हो गया। आँधी और तुफानों में गरजती हुयी और बादलों को चीरकर चमकती हुयी इस सौदामिनी को देखते ही मानव भयकंपित जरूर हुआ होगा किन्तु इसको भी मैं प्राप्त कर लूँगा ऐसी भी एक ईर्ष्या उस के मन में जरूर पैदा हुई। इस सौदामिनी को आसमान में अतीव बैंग से संचार करते हुये और कभी कभी इसके धक्के से प्रचंड वृक्ष, मानव निर्मित बड़े बड़े मकान क्षणमात्र में नष्ट होते हुये इसने देखा। कई बार खुद मानव भी क्षणमात्र में खतम होते हुये देखा और इसमें हृदय में एक उमंग उठी, मैं इसे समेट लूँगा, इसे बाँधकर रखूँगा। जो दुनियाँ को क्षणमात्र प्रकाशित करती है उसे सदा के लिए अंधेरे में प्रकाश दिलाने के लिए अपने पास रख लूँगा। जिसको किंचित मात्र धक्के से प्रचंड उथलपुथल ही जाती है ऐसी ताकत पर अपना कबजा रखूँगा।

बिजली, विद्युत, तड़ित, सौदामिनी कितने, नामों से इसने इसको संबोधित किया था। आज वह मानव के बश में आ गयी है। १८७० में एडिसन ने जब इस के सहारे बत्ती जलायी तब से एक नया युग शुरू हुआ। विद्युत हर राष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। प्रकाश और चलन शक्ती का यह स्रोत है। हर एक देश की प्रगती विद्युत निर्मिती की तथा विनियोग की क्षमता पर

नापा जाता है। इस उद्योग की विशेषता है कि बिजली का संचय नहीं किया जा सकता है। उसकी निर्मिती उतनी ही होगी जितना आप उसका उपयोग कर सकेंगे।
It should be always on tap.

भारत में विद्युत निर्मिती का प्रारंभ

भारत में सर्व प्रथम १८८३ में आर्क लैंप से सूरत शहर में बिजली के दिये जलाये गये। किन्तु ताप्ती नदी के बाढ़ में यह विद्युत निर्मिती केन्द्र खतम हो गया। सूरत नगर पालिका ने इस कम्पनी पर मुकदमा चलाया और बड़ी भारी कीमत मांगी। कम्पनी का दिवाला निकला। धीरे-धीरे विद्युत निर्मिती का शास्त्र प्रगती होते रहा और १८९७ में दार्जिलिंग के नजदीक एक छोटा-सा जल विद्युत केन्द्र खड़ा किया गया। तुरन्त बाद कलकत्ता में बाष्प विद्युत निर्मिती का केन्द्र बना। १९०२ में मैसूर राज्य में काबेरी नदी के शिवसमुद्रम जलप्रताप के नजदीक जल विद्युत निर्मिती केन्द्र खड़ा किया गया। और पहली बार ९२ मील पर कोलार के खदान क्षेत्र में विद्युत पहुँचाई गयी। १९०३ में एक कानून के अन्तर्गत बंबई और कानपुर, १९०७ में मद्रास तथा दिल्ली और १९१४ में टाटा कम्पनी को सह्याद्री के घाटी में खोपोली ग्राम के पास जल-विद्युत केन्द्र प्रारंभ करने की इजाजत दी गयी। १९२० के अन्त तक भारत में विद्युत कुल १३०,००० k. w. तैयार होने लगी थी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात १९२० के बाद विद्युत का औद्योगिक महत्त्व लोगों ने ठीक समझा और फिर उस दिशा में प्रयत्न शुरू हुये। १९२० से २७ तक पायकारा, मेटर, पापनाशम में, प्रकृत्य मन्नास

में, कृष्णराज सागर, मैसूर में भवपुरी और भिरा महा-राष्ट्र में, गंगानदी के नहरों पर तो उत्तर प्रदेश में इन केन्द्रों का एक ताता ही लगा,। ठहल नदी पर पंजाब में भी जल-विद्युत केन्द्र खड़े हुये। कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर में बाष्प विद्युत केन्द्रों का विस्तार हुआ। १९४७ में कुल विद्युत निर्मिती १,३६०,००० k. w. हुयी।

स्वाधीनता के पश्चात्, इस उद्योग के महत्त्व को भारत सरकार ने आँका औप अपनी पंचवार्षिक योजना के अन्तर्गत कई करोड़ रुपया खर्चकर, सार्वजनिक क्षेत्र में इस उद्योग को खूब बढ़ाने की कोशिश की, प्रथम योजना के अन्त में इस क्षेत्र में १.१ दशलक्ष k. w, दूसरी योजना के अन्त में ५.६६ दशलक्ष k. w. तीसरी के अन्त में १०.१७ दशलक्ष k. w. विद्युत निर्मिती होने लगी। आज वह १३ दशलक्ष k. w. है। १९७३-७४ तक वह २२ दशलक्ष k. w. और १९८०—८१ तक वह ५६ दशलक्ष k. w. तक जायेगी।

आर्थिक प्रगति का मापदंड-विद्युत

राष्ट्र की आर्थिक प्रगतिओं का एक मापदंड, हर व्यक्ति विद्युत कितना उपयोग करता है यह है। भारत में १९५० में वह १८ k. w. Hrs. था १९६७ में ६६ k. w. Hrs. था। दुनियाँ के तुलना में यह नगण्य है। एशिया में यह २००० k. w. Hrs. इंग्लैण्ड में ३०००, अमेरिका में ५४०० और १२००० नावों में और १७,००० जापान में है। १९८० तक भारत का वही अंक ३५० k. w. Hrs होगा।

विद्युत उद्योग की विशेषता

विद्युत उद्योग के लिए धन काफी लगता है। It is a capital intensive Industry. विद्युत निर्मिती के लिए बड़ी-बड़ी मशीन भारत को खरीदना पड़ता है। उनकी चलशक्ति, कोयला, पानी, तेल तथा आजकल atonic reactor होती है। इसके लिए बड़े-बड़े जलाशय बनाने पड़ते हैं। खदामों से कोयला तथा तेल निकालना पड़ता है। इस शास्त्र की अत्याधुनिक

प्रगति से विद्युत निर्मिती की कीमत कुछ कम हो नहीं है। जल विद्युत निर्मिती की सबसे सस्ती होनी है। इस विद्युत के वितरण के लिए तांबे की, सीसेकी, तारों का जाल देशभर में बिछाना पड़ता है। और इसको सुचारु रूप में प्रवाहित करने के लिए कम खर्च में दूर अन्तर तक पहुँचाने के लिए बड़े-बड़े Towers, Transformers खड़े करने पड़ते हैं। यह सारा यंत्रों का काम है। लाखों आदमी इस काम में आज लगे हुये हैं। इस देश में सारी नदियों में बँटने वाले पानी को विद्युत निर्मिती में लाया जाय तो कुल ४१.१ दशलक्ष k. w. विद्युत पैदा हो सकेगी। २४० प्रकृत्य खड़े करने पड़ेगे। २० दशलक्ष k. w. विद्युत गंगा और ब्रह्मपुत्र से प्राप्त हो सकेगी। किन्तु निर्मिती के स्थान उपयोगिता के स्थान से कई मील दूरी पर रहेंगे।

कोयला भारत में काफी है। थोरियम भी काफी है। तेल की निर्मिती सीमित है किन्तु नये-नये तेल क्षेत्र मिल रहे हैं। थोरियम से आगामी ३० साल के लिए ५ से १० दशलक्ष विद्युत निर्मिती हो सकेगी। किन्तु ये सारी निर्मिती की चीजें देश में समान रूप से बिखरी हुयी नहीं है अतः इस विद्युत वितरण के लिए देशव्यापी कुछ योजना (Electric Grid) बनानी पड़ेगी। आज देश को ५ भागों में बाँटकर उसकी Grids बनायी जा रही है। (दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्वी तथा उत्तर पूर्व) इन सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ने की योजना है।

जैसे पहले ही मैंने कहा पूर्वी प्रधान उद्योग है। सार्वजनिक क्षेत्र में १९६५-६६ तक इसमें १०६०-२५ करोड़ रुपया लगा है। जिसमें शासन से लाया हुआ कर्ज तथा अन्य लोगों से लाया हुआ कर्ज है। इसके साथ Depreciation fund, retained profits को मिलाकर कुल १३६२-६५ लगे हैं। चौथी योजना के अन्त तक के विकास के लिए २११५ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी।

हरित क्रांति का अग्रदूत

इतना यह महत्त्वपूर्ण उद्योग न केवल रेल, कारखाने

चलाता है अपितु सुदूर खेतों में कुएं से पानी खींचता है। घर में, गाँव में दिये जलाता है पंखा चलता है एवं सम्पूर्ण समाज के अंगों को स्पर्श करता है। यह इस में काम करने वाले कर्मचारी भूल नहीं सकते। सम्पूर्ण समाज जीवन सुचारू रूप से चलाना या ध्वस्त करना इन कर्मचारियों के हाथ में है। इस लिए इस को Life line कहा जाता है। यह एक क्रांतिकारी उद्योग है। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में बाष्प पर आधारित उद्योग थे इसलिये उनकी रचना केन्द्रित थी। बिजली के कारण वह रचना बदल गयी। उद्योग में विकेन्द्रीकरण की क्रांति इसने लायी। खेतों में हरित क्रांति का यह अप्रदूत रहा। कोयला तेल तथा आष्विक धन के आधार पर विद्युत निर्मिती को काल मर्यादा है। किन्तु जल विद्युत अखंड रूप से अनन्त कालतक चल सकता है।

विद्युतीकरण का महत्त्व

यही सोचकर रशिया में लेनिन ने इस की निर्मिती को तथा बिजली पर चलले वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया। जब तक पूरे देशभर विद्युत पहुँचायी नहीं जाती तब तक देश में कम्युनिज्म यशस्वी नहीं हो सकता यह उसने कहा। प्रगति के खोखले नारों से प्रगति नहीं होगी, नारे लगाने वालों से मात्र प्रगति नहीं होगी उसके लिए यांत्रिक ज्ञान की साथ लगेगी। उसका बड़ा भारी महत्व है। यह लेनिन ने पहचाना था। और उसी के कारण लेनिन को बड़ी भारी मात्रा में यंत्रज्ञों को विकास के कार्य में नियुक्त करना पड़ा उस पर पुराने लोगों ने टीका टिप्पणी की। तब इसने बताया था, One Technician twenty communists और कम्युनिज्म Electrification communes देश के पुननिर्माण कार्य के लिए लोगों को नियुक्त करते समय केवल पक्षनिष्ठा देखकर नहीं चलेगा, नारे बाजी को देखकर नहीं चलेगा तो उनका यांत्रिक ज्ञान तथा अनुभव भी देखना पड़ेगा ऐसा उन्होंने कहा और उनको बढ़ावा दिया।

कम्युनिस्ट और विद्युत उद्योग

कम्युनिस्टों ने दूसरे और एक दृष्टि से भी इस

उद्योग का महत्व पहचाना। देश की सुरक्षा तथा संरक्षण के दृष्टि से Railway यह life line मानी जाती है। आर्थिक नियोजन तथा विकास के दृष्टि से Banking यह life line मानी जाती है। और औद्योगीकरण के दृष्टि से विद्युत तथा परिवहन life line मानी जाती है। और इसीलिए जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों का शासन है वहाँ इस उद्योग में शान्ति रहे Go slow और strikes ने हो यह देखा जाता है। उस दृष्टि से कानून बनाये जाते हैं। किन्तु जहाँ कम्युनिस्टों का शासन नहीं वहाँ इस उद्योग में काम करनेवालों की संघटना अपनी पकड़ रहे अपना प्रभाव रहे यह देखा जाता है। इन देशों में, इस उद्योग में गड़बड़ी पैदा करने की उन्होंने चेष्टा की। लेकिन जहाँ उनका शासन है वहाँ पर इस उद्योग में पैदा हुई अशान्ति को बिलकुल Heavy hand से कठोरता से कुचल दिया है। क्योंकि यह देश में एक strategic उद्योग होता है यह उन्होंने पहचाना था।

ब्रिटेन में National Electrical workers Union नाम की इस उद्योग से संबंधित एक प्रबल संघटना थी, इसपर अपना कबजा करने के लिए ब्रिटिश ट्रेड युनियन कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच खूब झगड़े १० साल तक चलते रहे, और अन्त में कम्युनिस्टों ने इस पर कबजा किया तब BTUC ने इस युनियन को अपने से disaffiliate कर दिया। यह संघटना काफी तगड़ी होते हुए भी यह धीरज बांधा, राष्ट्रीय प्रवृत्ति के कामगारों की एक अलग संगठन बनाकर राष्ट्रद्रोही इस संगठन को तोड़ने का निश्चय किया और एक आन्दोलन छेड़ा, यह एक जो विशेष तरह का बर्ताव BTUC. ने नेशनल इलेक्ट्रिकल वर्कर्स युनियन के साथ किया इसका उद्देश्य आप समझा सकेंगे।

विद्युत उद्योग और शासन की नीति

अब अपने यहाँ इस महत्वपूर्ण उद्योग के प्रति शासन ने ठीक ध्यान नहीं दिया है। देशव्यापी ऐसे इस महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में शासन ने कोई राष्ट्रीय नीति

(National policy) अपनाई नहीं है। १९६६ साल में पहली बार सभी राज्य विद्युत मंडल तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत विद्युत उत्पादक तथा वितरक और सभी राज्य विद्युत मंडलों से स्थापनों में काम करने वालों कामगारों के लिए एक केन्द्रीय वेतन मंडल नियुक्त किया गया। किन्तु राज्य विद्युत मंडलों संचालन में ठीक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो अपने को यह प्रतीत होगा कि इनकी (Administrative setup) संचालन की पूरी यंत्रणा (Top heavy) बहुत खर्चीली है। इसका एक विशेष कारण यह है कि प्रत्यक्ष उत्पादन कार्य में लगे हुये कामगारों की संख्या के मात्रा में उनपर निरीक्षण करनेवालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। वैसे देखा जाय तो सभी शासन से संचालित उद्योगों में यह दोष दिखता है। किन्तु विद्युत क्षेत्र में तो यह अत्यधिक ही है।

इस क्षेत्र में सरकार का उत्पादन के बढ़ोत्री के तरफ देखनेका दृष्टिकोण बिल्कुल Beaucroatic है। अभ्यासकों ने, यह क्यों होता है, इसका विचार करते समय एक नियम बताया है। वह Parkinson law नाम से प्रसिद्ध है। वह नियम यह है कि व्यरॉकसी सदैव खुद की संख्या बढ़ाते रहती है। इस तत्व के अनुसार वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों की संख्या बढ़ती है और इसके कारण efficiency गिरती जाती है। इसका भी कारण peters Law में ग्रंथित किया है। वह कहते है व्यक्ति की Inefficiency का परमोच्च बिन्दु जबतक पहुँचती नहीं तब तक उसकी पदोन्नति की जाती है। Person goes on reaching the highest post by way of promotion as long as he does not reach his climax of inefficiency—यह नियम विद्युत मंडलों में Supervisory, Class II, Class I के बारे में लागू होता है। व्यक्ति efficiency के दृष्टी से जबतब निरूपयोगी सिद्ध नहीं होती तबतक Promote होती रहती है।

इस नौकर शाही के approach में अधिकारियों को भरती करना, उनकी मुखसुविधाओं की चिन्ता करना आदि चीजों के प्रति, उत्पादकता के प्रति ख्याल करने से,

ज्यादा विचार किया जाता है। इस दृष्टि से इन चीजों को टालना यह विद्युत मंडलों के संचालन में आवश्यक है। वैसी व्यवस्था रचना होनी चाहिये।

विद्युत मंडल सच्चे अर्थ में स्वायत्त निगम बनें

दूसरी भी एक बात है। इस उद्योग का Consolidation का विचार होना जरूरी है। ये सारे विद्युत मंडल सच्चे अर्थ में स्वायत्त होने चाहिये। आज वे autonomous याने स्वायत्त है ऐसा बताया जाता है किन्तु वह स्वायत्तना कागजी है। शासन का इनके संचालन में बहुत ही Interference हस्तक्षेप होता रहता है। यदि कर्मचारियों ने, Service Rules जैसे शासकीय नियम के बंधन हमें नहीं चाहिये, हमारे सेवा नियम इस उद्योग के दृष्टि से अलग बनाये जाय यह माँग रखी तो बताया जाता है ये आस्थापन निगम-शासकीय होने से शासकीय कर्मचारियों की सेवा शर्तें ही आपको लागू की जायगी। और यदि उनकी सारी सुविधाओं के लिए विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने माँग रखी तो कहते हैं यह एक industry है, हमारे इस विषय के नियम अलग रहेगे। तो इस प्रकार कई सुविधाओं से इनको वंचित रखा जाता है। इसी विषये भारतीय विद्युत मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ ने अपने अधिवेशन में इन विद्युत मंडलों को सच्चे अर्थ में स्वायत्त निगम बनाया जाय यह प्रस्ताव पारित किया। इनके संचालन में नौकरशाहों का प्रभुत्व न रखते हुए ग्राहक और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को अधिकार प्राप्त हो यह हमने कहा। व्यवस्थापन में निर्णय लेने के अधिकार कर्मचारियों को प्राप्त हो यह हमने माँग की। इन मंडलों के अर्थ व्यवस्था पर भी इनका नियंत्रण रहें यह माँग की।

विद्युत मंडल चालकों को आवाहन

और भी एक विचार इसी के साथ हमने रखा है। वह याने इस राष्ट्र के महत्वपूर्ण रचनात्मक उद्योगमें राष्ट्रभक्त याने इस कर्मचारियों की ताकत बढ़े और उसी दृष्टि से विधायक दृष्टिकोण लेकर कार्यरत संस्था को बढ़ावा देना

यही संचालकों की नीति होनी चाहिये। क्योंकि कर्मचारियों की उचित मांगे रखकर इनके प्राप्ति के लिए प्रशंगवशात् मंडल के अधिकारियों के साथ झगड़ा करने का अधिकार देशभक्त के नाते उन्हीं को होता है। जैसे महाभारत में द्रौपदी की छूत में लगाकर हारने के बाद उसको सभा में विवस्त्र करने का कौरवों का कुप्रयास पाँडव केवल देखते रहे। धर्मराज उन सब का ज्येष्ठ भाई था किंतु वह भी देखते रहा। यह भीम सह नहीं सका और उन्होंने अपने छोटे भाई सहदेव को कहा सहदेव ! थोड़ा अग्नि लाओ मैं इस युधिष्ठिर के हाथ जला डालूँगा। यह कहने का अधिकार उसीको था क्योंकि आगे चलकर महाभारत युद्ध में अपने प्रचंड सामर्थ्य के साथ युधिष्ठिर की रक्षा की। दुर्योधन या कर्ण को यह कहने का यह अधिकार प्राप्त नहीं होता यह हम समझ लें।

इस दृष्टि से विद्युत् जैसे इस मूलभूत उद्योग में

Basic Industry में राष्ट्रभक्त कामगार संघटनों की ताकत बढ़नी चाहिये क्योंकि राष्ट्र के आर्थिक पुनरुत्थान कार्य के हम पथिक हैं। एक तरफ शासन के एक पक्षीय दृष्टिकोण के खिलाफ झगड़ते हुए दूसरी तरफ पेकिंग और मार्क्सवादियों के साथ घनघोर संग्राम करने की हिम्मत रखनेवाले यही होते हैं इसलिए इन्हीं लोगों की ताकत इस क्षेत्र में बढ़नी चाहिये।

राष्ट्रद्रोही लोगों को यहाँ स्थान नहीं, शासन यदि उनका प्रवेश होने को सहायता देगी तो उस शासन के साथ हमारा संघर्ष होगा। इसी भावना से अगर इस देश में कार्य हो तो विद्युत् को अपने वश में रखकर मानव के कल्याण कार्य में जुटाने की अनादि काल से हमारे मन में रही उमंग को हम साकार कर सकेंगे, अन्यथा वह मानव का संहार ही करते रहेगा।

National Chemical Corporation.


Govt. INDUSTRIAL E STATE,

BARUN (G A Y A)

Manufacturers of Industrial Chemical i. e.

Chloral Hydrate, Hydrochloric Acid etc.

Trial Solicited.



बीमा कर्मचारियों की राष्ट्रीय संगठन

नरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव

अ० भा० मंत्री, नेशनल आर्गनाइजेशन आफ इन्स्योरेंस वर्कर्स

१९५६ के जनवरी एवं सितम्बर में क्रमशः जीवन बीमा उद्योग का सरकारी करण एवं भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। उस समय इस उद्योग में एक ही यूनियन—आल इन्डिया इन्स्योरेन्स इम्प्लाइज एसोसियेशन कम्युनिस्ट प्रभावित कार्यरत था। यह सभी वर्गों तथा विचारों का प्रतिनिधित्व न कर पाया फलतः ऑल इन्डिया लाइफ इन्स्योरेन्स एसोसियेशन तथा ऑल इन्डिया नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स एम्प्लोइज फेडरेशन (इन्ट्रुक) का उदय हुआ। फिर भी कर्मचारियों की आशा-उत्साहपूर्ण होने के बजाय उत्तरात्तर धूमिल होते गये। १९६३ में द्विपाक्षिक समझौते हुए आशायें अपूर्ण रही, युद्ध को (भारत-चीन) ही कारण ठहराकर अपनी कुकृत्य को छिपाने का भरसक कोशिश किया गया। नेताओं ने किसी भी कीमत पर एकता को बनाये रखने में समझ नहीं हो सके।

१९६६-६७ में मांग पत्र प्रस्तुत करने का समय आया। जानबुझकर विलम्ब किया गया। निगम ने इसी समय "ओटोमेशन" योजना चालू किया बम्बई में। कलकत्ते में विरोध के कारण यह टल गया। सांकेतिक हड़ताल हुए। कम्युनिस्टों ने कहा Automation की समस्या हल हो जाय तो बाकी मांगे हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने दोनों समस्याओं के लिये देश-व्यापी अनिश्चित कालीन हड़ताल का आवाहन किया एवं पक्ष में ९३-०४ मत प्राप्त किए। इसके लिए समय समय पर बातचीत एवं पत्राचार होते रहे। हड़ताल को वापस ले लिया गया क्योंकि कर्मचारियों में तैयारियाँ नहीं

थी। नेताओं ने एक दूसरे को जिम्मेदार उहराने में जट गये। सरकार ने सारी बातों को निपटाने के लिए "वेतन परिषद्" Tribunal का गठन किया। Tribunal के प्रति कर्मचारियों में न्याय पाने में तथा दीर्घसूत्रता के कारण विश्वास कम होने लगे। निगमाध्यक्ष के रूप में श्रांपाई नियुक्त हुए। उन्होंने द्विपाक्षिक वात्तालाप के द्वारा आंशिक शान्ति उद्योग में लाने के लिए प्रयत्न किए पर समाधान न कर पायें—निराशा का चमत्कार प्रमोशन नीति पर पता चला। निगम में प्रमोशन का वास्तविक एवं वैज्ञानिक ढंग पर कोई ऐसी नीति नहीं है। निगम के उक्त नीति को सभी यूनियनों ने अपना समर्थन देकर बदनाम का भगीदार बनी।

बीमा कर्मचारियों का राष्ट्रीय संगठन :-

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ इन्स्योरेन्स वर्कर्स, भारतीय मजदूर संघ का एक शक्तिशाली विचारों से परिपूर्ण अद्भूत नेतृत्व देनेवाला महासंघ है। माननीय दत्तोपन्त ठेगड़ी एम० पी०, गाजाननराव गोखले जैसे मणिषियों का प्रारम्भ से ही मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। १९६९ के ३ एवं ४ अगस्त को पूना में इसका श्रीगणेश हुआ। इसी समय बीमा अधिनियम का धारा ४०ब को रद्द करने के लिए हस्ताक्षर संग्रह किए गये एवं उन्हें प्रधानमंत्री को अर्पित किया गया। यह कर्मचारियों की वेतन सीमा को नियंत्रित करती है (Ceilling of expense on renewal premium limited upto 15%)। Promtion Policy का यथार्थ रूप में कर्मचारियों के

सामने एक पुस्तक के रूप में निगम को प्रस्तुत किया गया जो निगम तथा कर्मचारियों में बहुत ही लोकप्रिय रहा। इसके पूर्व १९७० में २० जून को जो द्विपाक्षिक समझौता हुआ इसके त्रुटियों को NOIW ने सर्वप्रथम कर्मचारियों के सामने लाए। वर्षों तक नेतृत्व करने वाले AIFA भी इन त्रुटियों परीक्षको रूप से स्वीकार करते हुए अपने कुकृत्य को छिपा न सका।

प्रबन्ध समिति (Board of Directors) आदि से लेकर विभागीय स्तर पर सभी प्रकार के समितियाँ बनाकर कर्मचारियों को योग्य प्रतिनिधित्व ले, ऐसा एक सुस्पष्ट नीति भी अपनाया इस महासंघ ने संगठनात्मक दृष्टि से आज प्रायः २५ रजिस्टर्ड तथा ३२ विभागीय संगठन है। यह AIFA के बाद है, कहा जा सकता है। बम्बई में दूसरा अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ। समय-समय पर कार्य समिति या सचिवस्तरीय बैठक में इसका कार्यक्रम विस्तार पूर्वक बनता रहा है। २५ अप्रिल ७२ को एक दिन का सांकेतिक हड़ताल २०% प्रतिशत बोनस आदि आर्थिक विषयों के लेकर किया। कर्मचारियों में

अपना बढ़ता हुआ प्रभाव और दृढ़ किया। NOIW ने भी जगह-जगह पर काफी सक्रिय पार्ट अदा किया और अधिकांशतः बिहार में NOIW इसके आव्हान एवं मांगपत्र का समर्थन मिला।

बिहार में तीन विभाग है—तीनों विभागों में अपना काम है। पटना एवं मुजफ्फरपुर में रजिस्टर्ड यूनियन हैं। बिहार में गोखले जी का प्रवास दो बार हुए। महामंत्री ब्रह्मसागर डोगरा जी का प्रवास भी पटना में हुआ। प्रान्तीय स्तर पर एक समिति गठित हुई जिसके अध्यक्ष है श्री जगदम्बी प्रसाद यादव एम० पी० एवं श्री लखन कुमार श्रीवास्तव महामंत्री निर्वाचित हुए। बम्बई अधिवेशन में बिहार से सात प्रतिनिधि तीनों विभाग से सम्मिलित हुए। बिहार का काम अखिल भारतीय उपाध्यक्ष श्री नित्यगोपाल चक्रवर्ती के नेतृत्व में चल रहा है। आगे के दिनों में अपने कर्म से कर्मचारियों को हृदय जीत पायेगा, ऐसा नेताओं का संकल्प है। भारतीय मजदूर संघ कार्य विस्तार में भी NOIW का प्रारम्भ से रुचि रहा है।

जयभारत

With

Best

Compliments

from

ZENITH DROP FORGINGS. LTD.

ADITYAPUR (Jamshedpur)

मजदूरों की समस्याएँ

नित्य गोपाल चक्रवर्ती

कोषाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश एवं उपाध्यक्ष, नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ इन्धोरैन्स वर्कर्स

आजकल समाचार पत्रों के पन्ने उलटने पर नजर पड़ता है, सम्पूर्ण समाज में घोर अशान्ति फैली हुई है। छात्र, शिक्षक, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी आदि क्षेत्र के लोग अपने वेतन एवं विभिन्न भत्ताओं से सन्तुष्ट नहीं हैं। इसके समाधान के लिए वे कई प्रकार के आन्दोलनात्मक कार्रवाईयाँ करते रहते हैं। दीवालियों पर पोस्टर चिपके रहते हैं। जुलूस निकाले जाते हैं। ब्रत्रियों के बंगले पर घेरा डाला जाता है अपनी मांगों की पूर्ति के लिए। आश्वासन देने पर स्थगित कर दिया जाता है। कमीशन बनते हैं। उसके परिणाम आने में कई वर्ष लग जाते हैं। सरकारी नियंत्रित उद्योगों में काफी घाटे लगते हैं। उत्पादन क्षमता क्रमशः क्षीण होते जाते हैं। ऐसी अवस्था में राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से कैसे स्वावलम्बी बन सकता है। विदेशी-ऋण का बोझ हमें आतंकित कर रहा है। स्वतन्त्र रूप से राजनैतिक, आर्थिक निर्णय लेने में बाधक बन जाता है। ऐसी अवस्था में राष्ट्रोत्थान का पुण्य कार्य कैसे सम्भव हो ?

आज आवश्यकता है—प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता-नुसार भोजन, वस्त्र एवं आवास का सुप्रबन्ध कर दिया जाय। राष्ट्र के हर व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा एवं संविधानानुसार प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रबन्ध कर दिया जाय। वेतन का निरूपण उसके स्वभाव जलवायु, उत्सव, परिवार, विवाह आदि विषयों पर होने

वाले खर्च के अनुसार होना चाहिए। हर साल बजट सत्र प्रत्येक। चीजों पर मूल्य वृद्धि लेकर आते हैं। पुराने वेतन का अवमूल्यन हो जाता। लोग क्षतिपूर्ति के लिए जुट जाते हैं। मंहगाई भत्ता संगठित श्रमिकों को ही मिलता है। सरकार जानबुझकर अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए मजदूरों को बरगलाती है कि मंहगाई भत्ता मजदूरों का वेतन वृद्धि है। यह क्रम कई वर्षों से दिख रहा है। इसे रोकना होगा।

कर्मचारी गण एक नयी किस्म की समस्या से परेशान हैं कि उनके पुत्र भाई आदि सम्बन्धी कार्यक्षम होने पर भी बेकार हैं। उन्हें काम नहीं मिलता है। वे बोझ बन कर खड़े हैं। इसके लिए बेकारी भत्ता दिया जाय जबतक उसे योग्यतानुसार नौकरी नहीं मिलते। यदि मजदूर वर्ग असंतुष्ट रहा तो राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील नहीं हो सकता। सरकार का श्रम-विभाग भी उदासीन है। कानूनों की जटिलता अनेकता ने इसे मंहगा एवं दीर्घसूत्री बना डाला है तथा यह सर्वस्पर्शी भी नहीं है। इसे सहज सुगम एवं कम खर्च में उपलब्ध होना चाहिए। इन सब समस्यायों का सही ढंग से सभी वर्गों के सहयोग से निराकरण करना पड़ेगा। श्रमिक भी राष्ट्र पर विपत्ति आने पर किसी से कम आगे नहीं बढ़ता है। उसे उत्साहित करते रहना चाहिए और यह तभी सम्भव है जब उनकी हर जायज मांगों पर सरकार भी सहानुभूतिपूर्ण विचार करे।

शुभकामनाओं सहित

श्री राधा सिनेमा

गमारिया, आदित्यपुर

(सिंहभूम)

With Best Compliments from :-

PAHARI TRADERS

HARDWARE MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

Head office : 12A, RAMANANDA CHATTERJEE STREET

CALCUTTA-9

Branch office : STATION ROAD, P. O. TATANAGAR

JAMSHEDPUR-2

With best compliments from :-

M/s INCANDESCENT FOUNDRY CO. (P) LTD.

A-29 & A-30 INDUSTRIAL AREA

A D I T Y A P U R Jamshedpur

With best Compliments from :-

M/s SERAIKELLA WOOD CRAFTS.

P. O.—KANNDRA (SinghBhum)

Manufacturers of Packing Box

Furniture and other Wooden

ACCESSORIES

कोयला खदानों में काम करनेवाले श्रमिकों की स्थिति

लालचन्द महतो, महामंत्री

कोलियरी कर्मचारी संघ बिहार एवं मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, बिहार-प्रदेश

कोयला खदानों में मुख्यतः तीन प्रकार के श्रमिक काम करते हैं, प्रथम वे कर्मचारी जो कोयला काटने में लगे हैं अर्थात् मलकट्टा, दूसरे वे जो कोयला उत्पादन में सहयोग करते हैं अर्थात् टाली भान, हुकमैन, फिटर, पम्प सलासी आदि एवं तीसरा जो कोलियरी की व्यवस्था या स्थापना में लगे होते हैं जैसे अधीक्षक, प्रबंधक, मुन्शी आदि।

कोलियरी का स्वामित्व भी १६ अक्टूबर १९७१ से तीन प्रकार का हो गया है। इसके पहले दो प्रकार का था। नयी व्यवस्था के अनुसार कोयला निजी मालिक, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एवं केन्द्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत प्रबंधक के अन्तर्गत है।

विभिन्न प्रकार के स्वामित्व के अन्तर्गत मजदूरों की भलग-अलग समस्याएँ हैं जो निम्नलिखित हैं।

१. निजी स्वामित्व के अन्तर्गत जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी स्थिति यह है कि न उन्हें जान की सुरक्षा है और न नौकरी की। निजी कोयला उद्योग में अधिकांशतः मजदूर कंजुअल लेबर के रूप में हैं जिन्हें न तो कारखाना अधिनियम के अनुसार कोई सुविधा मिलती है, और मालिकों की जब इच्छा हुई निकाल भी दिया जाता है। उन्हें रहने के लिए न मकान दिया जाता है, और न वास्तविक वेतन ही मिलता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों की भावना उभरने नहीं पाये इसके लिए वे गुण्डे भी पाल कर रखते हैं जो मजदूरों की भावना को लाठी के बल पर दबाने में सिद्ध होते हैं। समय-समय पर वेतन मंडल के द्वारा वेतन निर्धारण के लिए सिफारिश भी किए जाते हैं परन्तु उन्हें लागू नहीं किया जाता है। दुःख की बात तो यह है कि उन्हें वेतन मंडल के सिफारिश को लागू करने का प्रमाण पत्र भी श्रम विभाग द्वारा मिल जाता है। इस प्रकार से श्रम विभाग के द्वारा भी मालिकों को प्रोत्साहन मिलता है और श्रम संस्थायें भी जो मान्यता प्राप्त है वह भी मजदूरों का हित न कर मालिकों की दलाली में लगे रहते हैं।


२. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा राष्ट्रीयकृत कोलियरी कोयला निगम अफसर शाही का अखाड़ा है।

निजी क्षेत्र में मजदूरों को मालिकों के शोषण का शिकार बनना पड़ता है तो निगम के अन्तर्गत भ्रष्ट अफसर के कुकृत्यों का कोपभाजन बनना पड़ता है। यहाँ भी वेतन मंडल के सिफारिशों को लागू नहीं करना, आकस्मिक (Casual) दृष्टि नहीं देना, बोनस से हाजरी का शर्त खत्म नहीं करना तथा आवास की सुविधा नहीं इत्यादि समस्याओं से मजदूरों को गुजरना पड़ता है। मजदूरों के साथ दोहरी निति अपनायी जाती है। जो अफसरों के खुशामद में लगे रहते हैं उन्हें तो सारी सुविधा प्राप्त होती है और जो ऐसा नहीं करते उन्हें अनेक तरह से परेशान किया जाता है। इन गलत नीतियों का परिणाम है प्रत्येक वर्ष निगम को घाटा का सामना करना पड़ता है।

३. १६ अक्टूबर १९७१ से २१४ कोलियरियों का केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् मजदूरों में एक आशा जगी थी कि मजदूरों को न्याय मिलेगा तथा सारी समस्याओं का निराकरण होगा।

परन्तु परिणाम आशा के विपरीत हुआ। मजदूरों की कोई भी समस्या का हल नहीं निकला। वेतन बोर्ड के अनुसार अभी भी वेतन मजदूरों को नहीं मिल रहा है, आवास की कोई सुविधा नहीं मिली है। एक-एक कमरे वाले मकान में पन्द्रह बीस मजदूर रहते हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद सबसे बड़ा जो इनाम मिला है वह है हजारों मजदूरों की छुट्टी। जो मजदूर पन्द्रह वर्षों से ठिकेदार के अधीन काम कर रहे थे उन्हें आज बेकारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी अफसर शाही चरम सीमा पर पहुँच रही है।

इन सारी समस्याओं का निराकरण जत्र तक मजदूरों को व्यवस्था में हिस्सा नहीं मिलता, तब तक सम्भव नहीं। इसके लिए सरकार के द्वारा कदम उठाये जायें, सामूहिक सौदेबाजी समिति (Composite bargaining agency) का निर्माण हो तभी सही माने में मजदूरों का काया पलट होगा।



औद्योगिक शान्ति एवं श्रम नीति

दत्तोपंत ठेंगड़ी, संसद् सदस्य

महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ

पिछले युद्धोपरांत हिन्दुस्तान के मजदूरों के लिए एवं मजदूर संस्थाओं के लिए राष्ट्रपति जी एवं प्रधान मंत्री महोदय द्वारा बार-बार आह्वान किया जा रहा है कि युद्ध के कारण जो आर्थिक संकट आयी है, उसके कारण तीन साल तक हड़ताल एवं तालाबन्दी का निषेध किया जाय।

औद्योगिक अशान्ति

जहाँ तक राष्ट्रीय संकट एवं सुरक्षा का प्रश्न है भारतवर्ष के मजदूरों ने हमेशा द्वितीय रक्षा पंक्ति का काम किया है। पिछले युद्ध के दौरान देखा गया है कि मजदूरों ने ओभरटाइम का पैसा न लेकर युद्ध का हथियार बनाया है। युद्ध स्थल पर लड़ रहे जवानों को जान की बाजी लगा कर हथियार पहुँचाया। परन्तु जहाँ तीन साल का प्रश्न है, और जबकी प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं चल रही है, उस हालत में मजदूरों के मन में बिना प्रेम और विश्वास का भाव पैदा किए उक्त आह्वान का कार्यान्वयन सम्भव नहीं है। युद्ध काल में ऐसा देखा गया कि मजदूर Second line of defence के नाते अपनी समस्याओं को भूल कर देश की सुरक्षा कार्य में लगे थे और दूसरी ओर प्रबंधक वर्ग समाज एवं विशेषकर मजदूरों के शोषण कार्य में लगे हुए थे, मानों यह उनके लिए स्वर्ण अवसर था। गत दिसम्बर माह के पूर्व

सरकार ने प्रथम बायदा किया था कि मजदूरों को उद्योगों की व्यवस्था में साझेदार माना जायगा और दूसरा कि ८.३३% बोनस का कानून बनाया जायगा। परन्तु दोनों आश्वासनों को दिसम्बर के पहले ही भंग कर दिया गया। युद्ध काल में ही Gratuity से संबंधित एक विधेयक संसद में पेश हुआ। उसमें यह कहा गया कि बीस साल की नौकरी हो तथा पचीस साल की परन्तु Gratuity पन्द्रह साल का ही मिलेगा। इसी में एक और धारा थी। अनुशासन हीनता के आरोप के कारण मालिक Gratuity नहीं भी दे सकता है। अनुशासनहीनता (Misconduct) का अर्थ इतना अस्पष्ट है कि इसका सहारा लेकर मालिक जो मन में आए वह कर सकता है। यह ठीक उसी प्रकार का हुआ जैसे बन्दर के हाथ में मसाला देना जहाँ चाहो आग लगाओ।

एक और विधेयक जो उसी समय पेश हुआ वह था बीमार मिलों के सम्बन्ध में। इस विधेयक में कहा गया कि जो भी मिल बन्द है उसे सरकार अपने हाथ में लेगी पुराने सभी मजदूरों की नौकरी खतम हो जायगी। प्रबंधक पर पहले का जो बकाया होगा, वह देना या न देना यह तय करने का अधिकार सरकार का होगा। नौकरी की शर्तें पुनः तय की जायगी। कितना घंटा

काम लेना कितना पैसा देना, यह सारा तय करने का काम सरकार का होगा। वहाँ कोई अधिनियम जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम इत्यादि भी लागू नहीं होंगे। यह सब मजदूरों को चिढ़ाने वाला बिल लड़ाई के समय ही सरकार द्वारा आया, इस कारण एक औद्योगिक अशान्ति सम्पूर्ण देश में निर्माण हुई। १९६८ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी उसमें आश्वासन दिया गया था कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन (need based minimum wage) मिलेगा, परन्तु तृतीय वेतन आयोग के term of reference में कहा गया कि आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने के लिए देने की क्षमता (Capacity to pay) पर भी विचार करना होगा।

Capacity to pay के सम्बन्ध में भी सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार कहती है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को देने के लिए सभी राज्य सरकार की Capacity to pay का भी विचार किया जायगा जबकि Capacity to pay केवल देने वाले की तय की जानी चाहिए। केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए केवल केन्द्रीय सरकार की Capacity to pay का विचार करना चाहिए। यह सम्पूर्ण term of reference बदलना होगा। तृतीय वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए विशेष हितकर नहीं होगी। ये सारी घटनाएँ हैं जिससे मजदूरों के मन में शंका पैदा हुई है। अतः सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार का कदम उठाये जिससे मजदूरों के मन में विश्वास पैदा हो। सरकार को एक आदर्श नियोजन होना चाहिए। औद्योगिक शान्ति के लिए भारतीय मजदूर संघ निम्नलिखित सुझाव सरकार के समक्ष रखती है।

उपयुक्त श्रम नीति

(१) औद्योगिक शान्ति के लिए आवश्यक है कि हर औद्योगिक संस्थान में संयुक्त प्रबन्ध समिति Joint management Council का निर्माण होना चाहिए।

और जब तक यह समिति एकमत होकर फैसला नहीं करती तब तक कोई भी फैसला मान्य नहीं होनी चाहिए।

(२) वर्तमान मान्यता (Recognition) के तरीके को बदल कर सामुहिक सौदेबाजी समिति (Composite bargaining agency) का निर्माण किया जाय। उस समिति में सभी श्रमिक संस्थाओं का अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो।

(३) वेतन के नाते बोनस को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक महीने का बोनस का कानून होना चाहिए और यह सुविधा हरेक मजदूर को मिलनी चाहिए।

(४) उद्योगों का श्रमिकीकरण का सिद्धान्त सरकार को मान लेना चाहिए। केवल पैसे के भरोसे उत्पादन नहीं होता है, पैसे के साथ पसीने का भी सम्बन्ध है।

(५) उद्योग के स्वामित्व का ढाँचा भी विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए। सभी बीमारी का एक ही इलाज राष्ट्रीयकरण अव्यवहारिक है। स्वामित्व के कई ढाँचे हो सकते हैं जैसे सहकारिता, (Cooperativisation) Self Employment, democratization इत्यादि। परिस्थिति एवं उपयोगिता के अनुसार इनका अलग-अलग उपयोग करना चाहिए।

(६) एक गोल मेज सम्मेलन (Round table Conference) बुलायी जाय जिसमें चार बातें तय की जाय।

- (i) National Employment policy.
- (ii) National Production policy.
- (iii) National Price policy.
- (iv) National Interest policy.

यदि वास्तव में सरकार राष्ट्र को षज्वत करने के लिए मजदूरों का सहयोग चाहती है तो इन श्रम नीतियों को अवश्य लागू करना चाहिए। मजदूरों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार को भी मजदूर के साथ सहयोग करना होगा।



बिहार राज्य विद्युत पर्वद एक-भांकी

वशिष्ठ नाथ त्रिपाठी, महामंत्री

बिहार प्रदेश विद्युत श्रमिक संघ, एवं
उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, बिहार

२७ मार्च १९५८ के पूर्व बिहार प्रदेश विद्युत उद्योग कुछ कम्पनियों तक ही सीमित था। बिहार विद्युत पर्वद की स्थापना के पश्चात् सम्पूर्ण विद्युत उद्योग पर्वद को सौंप दिया गया। विद्युत पर्वद में सरकार के द्वारा सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें दो तरह के कर्मचारी हैं, एक तो वे सरकारी कर्मचारी जिनकी सेवा पर्वद में स्थानान्तर कर दी गयी तथा दूसरे वे जो डेपुटेशन पर सरकार के द्वारा भेजे गये हैं। प्रथम प्रकार के कर्मचारियों को वे सारी सुविधा प्राप्त नहीं है जो डेपुटेशन पर आये हुए कर्मचारियों को प्राप्त है। पर्वद को श्रमिकों की अपेक्षा अधिकारियों पर अधिक वेतन व्यय करना पड़ता है। विद्युत आपूर्ति भी अन्य प्रदेशों से मँहगा है फिर भी पर्वद भँयकर घाटे में चल रहा है। पर्वद के घाटा का मुख्य कारण है :—

(१) पर्वद का स्वायत्तशासी नहीं होना (२) प्रबन्ध की ढिलाई (३) भ्रष्टाचार (४) ताप विद्युत केन्द्र अकुशल लोगों द्वारा संचालित (५) भारीमात्रा में विद्युत शक्ति की चोरी (६) आवश्यकता से अधिक पदाधिकारी (७) ठेकेदारी प्रथा जारी रखना

विद्युत पर्वद अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हमेशा कम वेतन भोगी मजदूरों पर आरोप लगाती है कि मजदूर अशान्ति के कारण यह घाटा है। मजदूर युनियनों के द्वारा अनेक संघर्ष के बावजूद भी आज विद्युत कर्मचारियों को न वेतन, न आवास और न चिकित्सा की समुचित सुविधा है। बगल में ही डी० भी० सी० के कर्मचारियों की तुलना में यहाँ के कर्मचारियों को काफी असुविधा है। पर्वद में वेतन के मामले में एकरूपता नहीं है। कुछ कर्मचारियों को Replacement Scale मिलता है और कुछ को Tribunal award। वही बात छुट्टी के साथ भी है। इस प्रकार कर्मचारियों की सेवा शर्तें ही दो प्रकार

की है। जहाँ एक ओर विद्युत पर्वद के घाटे एवं अव्यवस्था के प्रबन्ध दोषी है वहीं कर्मचारियों की दयनीय दशा के लिए प्रबन्धक की मजदूर विरोधी नीति तथा मान्यता प्राप्त युनियन की राजनैतिक अड्डाबाजी है। एक ही मान्यता प्राप्त युनियन के अन्तर्गत विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं का जमघट हो गया, और वे सभी मजदूर हित भूलकर अपना-अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे थे। फलस्वरूप पिछले वर्ष १९७१ का ऐतिहासिक हड़ताल नेतृत्व की आपसी झगड़े के कारण असफल हुआ। मजदूरों की केन्द्रीय विद्युत वेतन आयोग की सिफारिश संशोधन के साथ लागू करने की मांग थी, वह नहीं मिली। उसके बदले में प्रान्तीय स्तर पर विद्युत वेतन पर्वद का गठन मई १९७१ में हुआ। इसमें मुख्य रूप से मजदूरों के वेतन, पद एवं श्रेणी आदि पर विचार करने का निर्णय हुआ।

इस बीच मान्यता प्राप्त युनियन पर अधिकार करने में असफल साम्यवादी तत्त्व युनियन से अलग हो गया। फलस्वरूप युनियन काफी कमजोर पड़ गयी। गुटों से दूर स्वतंत्र एवं राष्ट्रवादी संस्था के रूप में बिहार प्रदेश विद्युत श्रमिक संघ का गठन १९७० में ही गठन हुआ। अपनी ठोस एवं अनुशासित शक्ति को लेकर यह आगे बढ़ रहा है। यह तय है कि विद्युत कर्मचारियों के बीच साम्यवादी शक्तियों को समाप्त करने की क्षमता तेजी से बढ़ती हुई विद्युत श्रमिक संघ को ही है।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए आज आवश्यकता है बिहार विद्युत पर्वद की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय। इन समस्याओं के निवारण का प्रथम उपाय है कि वर्तमान विद्युत पर्वद को विघटित कर इसे स्वायत्तशासी पर्वद बनाया जाय जिसमें सरकार प्रबन्धक उपभोक्ता तथा मजदूरों का प्रतिनिधित्व हो। इसके अतिरिक्त घाटे के कारणों को शीघ्र दूर किया जाय।

प्रदेश अधिवेशन : एक परिचय



स्वागताध्यक्ष का भाषण

डा० एन० एम० नड्डा

अध्यक्ष, व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग

पटना विश्वविद्यालय

अध्यक्ष महोदय, मा० दत्तोपंत ठेंगाजी जी, प्रतिनिधिगण एवं मित्रों

बड़े हर्ष का विषय है कि आज इस प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ के इतने कर्णधार यहाँ मजदूरों की कठिन समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिये एकत्र हुए हैं। मुझे इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष के नाते इस पुण्य कार्य में हाथ बंटाने के लिये आये हुए सब महानुभावों का स्वागत करना है। पर इसके पहले कि मैं स्वागत की भूमिका अदा करूँ, मैं आपके संघ के पदाधिकारियों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिनकी कृपा से मैं आपके बीच उपस्थित हो कर सेवा और संघर्ष के तपे-तपाये सेनानियों से प्रेरणा प्राप्त कर रहा हूँ। इस सम्मेलन में भाग लेने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिये मैं सदा आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगा।

मित्रों, मजदूर आन्दोलन को नई दिशा देने में संलग्न आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने मजदूर आन्दोलन के समक्ष नये आदर्श रखे हैं। मजदूरों में राष्ट्रीय भावना की नयी ज्योति जगाई है। उद्योग को मजदूरों के हाथ सौंपने का नया स्वप्न देखा है और देश का तेजी से औद्योगिकरण कराने का संकल्प लिया है। आपने मजदूर समस्याओं के हर पहलू पर गंभीर विचार किया है और सिद्धान्तों को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसकर उनका निखार किया है। पर दुनिया परि-

वर्तनशील है। रोज नई समस्याएँ पैदा होती हैं, पुरानी समस्याएँ नया मोड़ ले लेती हैं। आज के सर्वमान्य सिद्धान्त कल के लिये पुराने पड़ जाते हैं। यही कारण है कि समय-समय पर इस प्रकार के सम्मेलन अवश्य हो जाते हैं, आपसी विचार विमर्श जरूरी हो जाता है। इन सम्मेलनों में अनुभव का अदान-प्रदान होता है और आगे के लिये सुनिश्चित कार्यक्रम बनता है।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। आप जितने जल्दी अपने विचार-विमर्श के काम में जुट जायें, उतना ही अच्छा होगा। मैं यहाँ न तो नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने आया हूँ और न मानित सिद्धान्तों की व्याख्या करने। हाँ, वाणिज्य का विद्यार्थी होने के नाते आपका ध्यान सीधी-सादी भाषा में एक दो समस्याओं की ओर अवश्य आकृष्ट करना चाहता हूँ।

मजदूर वर्ग-एक विस्तृत क्षेत्र

मजदूर आन्दोलन की प्रगति, संघों की नीतियों, और उनके कार्यवृत्त पर नजर डालने से लगता है कि मजदूर वर्ग के भाईचारे का दायरा कुछ संकुचित है। क्यों न इसे कुछ विस्तृत कर दिया जाय। वास्तव में मजदूरों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग वह है जो रोजी कमा रहा है और दूसरा वह जो रोजी की खोज में दर-

दर की ओकरें खा रहा है। मजदूर संघों की कई मांगे और नीतियाँ ऐसी हैं जो इन दो वर्गों में खाई पैदा करती है। एक का लाभ दूसरे की हानि बन जाता है। स्थिति वैसी ही लगती है जैसी रेलगाड़ी में पहले से बैठे और प्लेटफार्म से गाड़ी में चढ़ने वाले मुसाफिरों की होती है। गाड़ी का हर सवार चाहता है कि उसके डिब्बे में कोई नया मुसाफिर न आये किन्तु जब नया मुसाफिर किसी तरह डिब्बे में घुस जाता है तो डिब्बे में पहले बैठे लोगों से उसका भाईचारा हो जाता है। धीरे-धीरे उसका भी रंग बदल जाता है और कुछ ही देर में उसे भी डिब्बे में दूसरे व्यक्तियों का प्रवेश भारी लगने लगता है। यह स्थिति उस समय और स्पष्ट दिखाई देती है जब गाड़ी के भीतर और बाहर सब जगह भीड़ ही भीड़ हो। हमारे देश के मजदूर वर्ग की प्रायः ऐसी ही स्थिति है, बेरोजगारी की समस्या ने मजदूर वर्ग को इन दो श्रेणियों में साफ-साफ बांट रखा है यदि मजदूर आन्दोलन का एक आदर्श राष्ट्र का उत्थान करना हो तो हमें अपनी उन सभी नीतियों में परिवर्तन करना होगा जो मजदूरों की इन दो श्रेणियों में विरोध और दुश्मनी की स्थिति पैदा करती हों। इस संदर्भ में क्या हमें अपनी नीतियों पर फिर से विचार नहीं करना चाहिये। मजदूरी निर्धारण, तरक्की, ऊँचे पदों पर नियुक्ति आदि की नीतियाँ इसी प्रकार की हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मजदूर संघ को ऐसी नीतियों का अनुसरण करना चाहिये, जो सम्पूर्ण मजदूर समुदाय के लिये हितकारी हों। मैं तो समझता हूँ कि व्यापक दृष्टि से मजदूर समस्याओं को देखने पर बेरोजगारी दूर करना भी मजदूर संघ के कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग बन जाना चाहिये। वह मजदूर आन्दोलन जो केवल रोजगार में लगे मजदूरों के हित को देखता है न तो व्यापक रूप से मजदूर वर्ग का हित साधन करता है, न प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में सहायता करता है, न देश के उत्पादन को बढ़ाना देता है और न राष्ट्रीय हित को ही प्रथम देता है। मैं समझता हूँ कि यह एक विचारणीय विषय है। अच्छा हो यदि आप विभिन्न समस्याओं पर विचार करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखें। यह सामूहिक सौदाकारी (Collective Bargaining)

तो सभी मानते हैं कि मजदूरी का निर्धारण सामूहिक सौदाकारी के आवार पर होता है। वाणिज्य का विद्यार्थी होने के कारण मैं तुरत मजदूरी को माल के उत्पादन की लागत के एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में देखता हूँ। मजदूरी को प्रत्येक हल-चल लागत रेखा को बदल देती है। लागत का प्रत्येक परिवर्तन मूल्यों में उथल-पुथल पैदा कर देता है। मूल्य परिवर्तन वस्तुओं का पारस्परिक संतुलन बिगाड़ देता है। इससे बिक्री पर असर पड़ता है और बिक्री का रोजगार पर। इसलिये सामूहिक सौदाकारी (Collective Bargaining) का देश की आर्थिक स्थिति से सीधा और गहरा सम्बन्ध है। पश्चिम बंगाल की बढ़ती हुई बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण वहाँ के मजदूर संघों की सामूहिक सौदाकारी की नीति हो सकता है। अतएव परिस्थितियों का पूर्ण विश्लेषण आवश्यक है। सामूहिक सौदाकारी की सीमायें निर्धारित करना आवश्यक है। मांगों में संयम का प्रयोग आवश्यक है पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि सामूहिक सौदाकारी हो ही नहीं या रहन-सहन के स्तर को गिरने दिया जाय। पर इतना याद रहे कि यदि उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि की दर से गिर गई तो सामूहिक सौदाकारी किसी प्रकार रहन-सहन के स्तर को गिरने से रोक नहीं सकेगी।

संघर्ष नीतियाँ

संघर्ष कई मजदूर संघों का आदर्श सा बन गया है। वे छोटी-छोटी बातों पर और कभी-कभी समय-समय के अन्तर पर संघर्ष का वातावरण तैयार करना आवश्यक समझते हैं। कुछ संघों के लिए तो संघर्ष ही जीवित रहने का एक मात्र साधन रह गया है। यही कारण है कि संघर्ष के नये नये तरीके ढूँढ़े जा रहे हैं और खुलकर उनका प्रयोग किया जा रहा है। हड़ताल तो अब पुराना अस्त्र हो गया, नियम भर कार्य (Work to rule), कलम छोड़ो (Pen-down), ठंडा काम (Slow down), बैठ जाओ (sit in) और अब घेराव, संघर्ष के नये तरीके हैं। प्रगति त्याग से नियमोलंघन और पर-पीड़न की ओर है, अहिंसा आग्रह से यातनापूर्ण कार्यक्रम की ओर। यदि प्रगति की दिशा यही रही तो आगे दिन हिंसा

की घटनायें होती रहेंगी और राष्ट्रीय शान्ति का स्वप्न केवल स्वप्न भर ही रह जायगा ।

यह तो हुआ संघर्ष का सामाजिक पहलू इसका नैतिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । संघर्ष के किसी भी तरीके का असर जन साधारण पर तभी पड़ता है और जनमत संघर्ष करने वालों के पक्ष में तभी आता है, जब इसे अन्तिम अस्त्र के रूप में ही काम में लाया जाय । इसलिये संघर्ष की उपादेयता को कायम रखने के लिए इसके प्रयोग में भी संयम और सीमाओं के निश्चयन की आवश्यकता है ।

संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वस्तुओं की लागत पर इसका असर । वस्तुओं का लागत मूल्य उनका विक्रय मूल्य, उनकी प्रतियोगिता शक्ति, सभी एक दूसरे से सम्बन्ध हैं । इसलिये संघर्ष किस उद्योग में किस स्थाव पर, कब, कितनी बार और किस हद तक किया जाय यह भी परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर तय किया जाना चाहिये । अच्छा हो यदि मजदूर संघ अध्ययन के आधार पर, सब स्थानों पर और सब उद्योगों के लिये सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कर लें और उन्हीं की पूर्ति के लिये संघर्ष का प्रयोग करें । लक्ष्यों के निर्धारित करने के लिये परिस्थितियों के अध्ययन और आपसी विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है । यही कारण है कि सम्मेलन में आप सब का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है ।

विदेशी व्यापार

भारत का व्यापार बढ़ता जा रहा है । उसे बढ़ाना राष्ट्रीय हित के लिये भी आवश्यक है । उसके बिना हम विदेशों से मशीन, संयंत्र, तकनीकी सहायता, प्रतिरक्षा सामग्री, उद्योगों में काम आने वाली कई दुर्लभ वस्तुयें इत्यादि नहीं प्राप्त कर सकते । फलतः चतुर्थ पंचवर्षीय

योजना में ८,३०० करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वाणिज्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं फिर उत्पादन लागत की बात को दुहराता हूँ । इसका असर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों व्यापारों पर पड़ता है । खेद है कि राष्ट्र के कर्णधार, कुशल संगठन, कुशल कार्यक्षमता, लागत नियंत्रण इत्यादि के प्रति जागरूक नहीं हैं । वे इन्हें इस देश को आगे ले जाने वाले आवश्यक तत्व नहीं समझते । उत्पादन की लागत विश्व व्यापार की वह आधार शिला है जिसने इस समय संसार के बड़े-बड़े राष्ट्रों में उथल-पुथल मचा रखी है । सुट्ट डालर को नीचा देखना पड़ा है । अमरीका के निर्यात में रुकावट पड़ गई है, जापान में उत्पादित वस्तुयें संसार के प्रत्येक बाजार में प्रवेश कर गई हैं । पश्चिमी जर्मनी भी वैसे ही आगे बढ़ रहा है । यह सब क्यों हुआ ? इसे जानने का प्रयत्न करना अच्छा होगा । शायद अमरीका का बढ़ता हुआ लागत खर्च और जापान और पश्चिमी जर्मनी का लागत पर संयम और कुशलता पर जोर ही विश्व को हिला देने वाली इस आर्थिक घटना का मुख्य कारण है । मैं चाहता हूँ कि आप इन तथ्यों का अध्ययन करें और इनके प्रति जागरूक रहें ।

मित्रों, मेरा पूरा विश्वास है कि कर्तव्य के प्रति भारतीय मजदूर संघ की निष्ठा, विचार गोष्ठियों का आयोजन, संयम की शिक्षा और विश्लेषण और अध्ययन के आधार अवश्य ही आपको अपने काम में बल और सफलता प्रदान करेंगे ।


मैं स्वागत समिति तथा स्वयं अपनी ओर से फिर से आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके कार्यक्रम की सफलता की मंगल कामना करता हूँ ।

With best compliments from :—

ASSOCIATED ENGINEERING Co.

Mechanical Engineers & Contractors

Jamshedpur



उद्घाटन भाषण

दत्तोपंत ठेंगड़ी, संसद् सदस्य

सहामंत्री, भारतीय मजदूर संघ

माननीय अध्यक्ष महोदय, नड्डा साहब, आदरणीय भारतीय जी, उपस्थित सज्जन वृन्द !

वाह्य परिस्थितियाँ क्या रही हैं उसके अन्तर्गत संगठनात्मक हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं, मजदूर किन समस्याओं से मुकाबला कर रहे हैं—इनमें से रास्ता कैसे निकाला जाय। मजदूरों को मार्गदर्शन करने वाले कुछ प्रस्ताव पारित किये जायें, संगठनात्मक मजदूर की दृष्टता कैसे लाई जाय ये सारी बातें लेकर हम यहाँ आते हैं। यह एक औपचारिक (Formal) बातें हुई, लेकिन हम लोगों को मन में विशेष आनन्द इसलिये होता है कि भारतीय मजदूर संघ यानि एक परिवार—मजदूर कार्यकर्ताओं का एक परिवार और उस पारिवारिक वायुमंडल में अपने परिवार वालों के साथ मिलने का मौका और साथ ठहरने का अवसर मिलेगा। इसके कारण हरेक के मन में आनन्द होता है वह भी विशेष कर भारतीय मजदूर संघ कांस्टीट्यूशन के आधार पर खड़ा नहीं है, यद्यपि कांस्टीट्यूशन उसकी है। जैसे हमारा परिवार कांस्टीट्यूशन के आधार पर खड़ा नहीं होता यद्यपि परिवार में भी कुछ न कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें कौन सा काम कब करना इसकी व्यवस्था होती है। इसी व्यवस्था को हमने भी लिखा है। यही हमारा कांस्टीट्यूशन है। लेकिन वास्तव में कांस्टीट्यूशन के कौन से क्लॉज हैं

जिसके आधार पर भारतीय मजदूर संघ नहीं चल रहा है, तो पारिवारिक वायुमंडल के आधार पर चल रहा है। हम लोगों में यह चर्चा है कि कांस्टीट्यूशन हमारा एक साधन है, कांस्टीट्यूशन के आधार पर हम खड़े नहीं। हम पारिवारिकता के आधार पर खड़े हैं और इसी कारण यहाँ आते समय हरेक कार्यकर्ता के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं भी दिल्ली से यहाँ आते समय इसी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। भाषण के प्रारम्भ में ही क्षमा याचना करना भी आवश्यक है क्योंकि आने में कुछ देर हो गयी। अब इसमें कोई कसूर भी तो नहीं, पुराने जमाने में लोग कहते थे मंत्राधीनम् जगत सर्वमम्। अब प्रोग्रेसिव लोगों का हो गया यंत्राधीनम् जगत सर्वमम् हमारा जो आने का यंत्र था उसमें गड़बड़ हो गयी। मंत्र में गड़बड़ होती नहीं यंत्र में होती है। जिसके कारण यहाँ आने में देर हो गयी, जिसके कारण सब लोगों को असुविधा हुई ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब इसके लिए हमें क्षमा करें।

अभी हमारे स्वागताध्यक्ष महोदय नड्डा साहब ने कुछ बातें रहीं। मैं यह उचित समझता हूँ कि आज की हमारी परिस्थिति के बारे में वृत्त विवरण करने के पूर्व



उद्घाटन समारोह—श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, संसद् सदस्य, अखिल भारतीय महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए ।



स्वागताध्यक्ष, डा० एन० एल० नड्डा, अध्यक्ष व्यवहृत अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य, पटना विश्वविद्यालय अतिथियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए ।



श्री राम मिह भारतीय, संपादक—दैनिक प्रदीप, उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाषण करते हुए ।



श्री रमाशंकर सिंह, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ,
बिहार प्रदेश, अध्यक्षीय भाषण देते हुए ।



श्री रामदेव प्रसाद, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश,
प्रादेशिक वृत्त प्रस्तुत करते हुए ।



अधिवेशन-स्थल पर प्रतिनिधियों का एक दृश्य



श्री दत्तोपंत टेंगड़ी, खुला अधिवेशन को संबोधित करते हुए ।

नड्डा साहब ने जो कुछ कहा उसके विषय में थोड़ा सा बोलना यहाँ उचित तथा आवश्यक है ऐसा मैं समझता हूँ ।

सम्पूर्ण मानव हित का विचार

जैसे आपने कहा है भारतीय मजदूर संघ मजदूरों को बाकी बचे हुए शेष राष्ट्र से अलग पृथक मानता है ऐसा नहीं । यह राष्ट्र-शरीर का ही एक अंग यानि मजदूर ऐसा मैं मानता हूँ और इस दृष्टि से जहाँ मजदूरों का हित सिद्ध होना चाहिए यह चिन्ता होती है, वहीं आज जो-जो हैं उनका भी क्या होगा यह भी विचार भारतीय मजदूर संघ के सामने है । और मैं प्रार्थना करूँगा कि हमने नवम्बर ६९ में महामहीम राष्ट्रपति महोदय को चार्टर आफ डिमाण्ड आफ इण्डियन लेबर इन आर्डर आफ इयूटीज एन्ड डिसिप्लीन का चार्टर दिया हुआ है उसमें बेरोजगार का विचार, पेन्सनर का भी विचार, इतना ही नहीं तो सम्पूर्ण मैन पावर का विचार किया है । भारतीय मजदूर संघ आज जो सविनय में है उनको ही कर्मचारी, मजदूर नहीं समझता है तो मजदूर से हमारा मतलब है Entire Man power of the country देश में जितने मनुष्य हैं उनका भला कैसे होगा और उनका उपयोग देश के भलाई के लिए कैसे होगा यह विचार हमारे सामने है । यह बात In order of duties and discipline से आपको ख्याल में आ जाएगा । हम भारतीय मजदूर संघ हैं । हमारा आधार भारतीयता है और भारतीयता का मतलब केवल हमारा कुछ पुराना ख्याल है, इसलिए हम भारतीय हैं ऐसी बात नहीं । भारतीयता का आविष्कार आज भी राष्ट्रीय जीवन के हरेक क्षेत्र में होना चाहिए यह हमारा आग्रह है ।

नयी औद्योगिक ब्यूह रचना

इस दृष्टि से ज्यादा गहराई में न जाते हुए मैं यह कहूँगा कि नड्डा साहब ने जो प्रश्न खड़ा किया है इस दृष्टि से भा० म० संघ ने नई Industrial Strategy का सुझाव दिया है । और उस ब्यूह रचना के प्रमुख अंग है एक technology दूसरा उद्योग का type तीसरा उद्योग का location और चौथा औद्योगिक प्रांगण का ढांचा । मैं संक्षेप में इतना कहूँगा कि technology के बारे में उत्पादन की प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीकरण जिनके कारण हो सकता है चाहे पावर के सहारे हो या चाहे

Nuclear energy के सहारे हो किन्तु उत्पादन की प्रक्रियाओं की विकेन्द्रीकरण जिनके कारण हो सकता है, इस तरह से भारतीय technology को evolve करना चाहिए । बड़े-बड़े शहरों में केवल उद्योगों की केन्द्रीकरण होने के कारण इसमें हर तरह का झंझट आता है । वायुमंडल का झंझट माने वायुमंडल को झंझट करने से मनुष्य के चरित्र झंझट करने तक नागरिकरण के कारण अति नागरिकरण के कारण, over worldnisation के कारण जितने भी वितरण होते हैं और मनुष्य गण की सम्पत्ति यह उत्पादन के साधनों का जो केन्द्रीकरण होता है इन सब दोषों से बचने के दृष्टि से उद्योग का size क्या रहे इसके संबंध में पुनर्विचार, आवश्यक अपरिहार्य है । बाकि जहाँ तक बने वहाँ तक small scale, medium sized industry उसका विचार हो और फिर location जिसमें उद्योग बड़े-बड़े शहरों से चारों ओर फैल सके । Dispersal of industries और फिर pattern of ownership में यह चिन्ता रखना की वहाँ भी केन्द्रीकरण न हो यह न सरकार के हाथ और न व्यक्ति विशेष सरमायेदार के हाथ में हो । अलग-अलग जो प्रकार हो सकते हैं उद्योग के स्वामित्व के ढाँचे के जिसमें co-operativisation, Municipalization of industries, Democratisation of industry, fixed Employment आयेगी, Nationalisation भी कुछ मात्रा में आएगा किसी भी एक ही Pattern of industrial ownership को सभी बीमारी का एक मात्र इलाज न मानते हुए अलग-अलग उद्योगों की अलग-अलग विशेषताएँ हैं, हर एक औद्योगिक विशेषताओं का अध्ययन करते हुए फिर एक योग्य या suitable इस तरह का pattern of ownership स्वामित्व का ढाँचा दिया जाय । किन्तु कुल मिलाकर स्वामित्व का भी विकेन्द्रीकरण ज्यादा-से-ज्यादा हो यह सोचा जाय । इस तरह से technology, size, location, pattern of industrial ownership चारों को लेकर एक सुस्पष्ट इस तरह की industrial strategy औद्योगिक ब्यूह रचना भारतीय मजदूर संघ ने दी है । यहाँ मैंने उसका निर्देश मात्र संक्षेप में किया

क्योंकि बहुत सारी बात मजदूर संघ के साहित्य में भी है। तो हमारा यह पूरा विश्वास है कि यह विभिन्न प्रश्न हमारे स्वागताध्यक्ष महोदय ने जो उपस्थित किए हैं, बहुत से प्रश्नों का उत्तर इस Industrial strategy को लेने से, अपनाने से उसके ठीक उत्तर मिल सकेंगे। मैंने केवल थोड़े शब्दों में इसलिए जिक्र किया कि आपने जो इस विचार के नाते कुछ बातें रखी थी इनके विषय में कुछ तो अपना अभिप्राय प्रकट न करना यह अनुचित होगा। ऐसा मैं समझा और इसलिए थोड़े विचार इसके विषय में प्रगट किए।

अभी हम लोग जानते हैं कि एक साल के बाद वार्षिक अधिवेशन के रूप में हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। अब अपने प्रदेश की समस्यायें हैं हर एक उद्योग की समस्याएँ है इन पर हमें आज और कल बैठकर विचार भी करना है। देश के सामने भी कुछ समस्याएँ है। सभी समस्याओं पर हम विचार करेंगे। किन्तु उससे पूर्व थोड़ी भी पृष्ठ भूमि आपके सामने उपस्थित करना यह मैं आवश्यक समझता हूँ। पिछले अधिवेशन के पश्चात इस अधिवेशन तक भा० म० संघ से सम्बन्धित जो प्रमुख घटनाएँ है यह इस तरह की है।

वर्तमान घटनायें

एक तो इसी अवधि में सर्वप्रथम भारतीय मजदूर संघ को लेबर कान्फ्रेंस में बुलाने का विचार सरकार ने किया। वैसे तो पिछले पार्लियामेंट चुनाव के बाद यद्यपि भा० म० संघ राजनीति से दूर है फिर भी राजनीति किसी को भी अछूता छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती, इसलिए सबका यही विचार था कि पिछले पार्लियामेंट चुनाव के बाद और अब तो भा० म० संघ के भी आगे बढ़ने के सारे रास्ते बन्द हो गये क्योंकि राजनीतिक वायुमंडल विपक्ष में है। हम भी कहते थे राजनीतिक से हमारा कोई संबंध नहीं तो राजनीतिक वायुमंडल का हमारे ऊपर क्या असर होगा? लोग बताते थे आप राजनीति से भले ही दूर रहें लेकिन राजनीति आपको छोड़ेगी नहीं। अब विशेष मैं नहीं कह सकता क्योंकि राजनीति के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन इतना हुआ किन्हीं कारणों से क्यों नो ह पिछले पार्लियामेन्टी चुनाव के बाद government ने भा० म० संघ को बुलाया, कहा भाई अभी यह बात हम जानते

हैं कि भा० म० संघ का यदि सहयोग न रहा और उसको यदि हमने मान्यता अखिल भारतीय स्तर पर न दी तो मान्यता न मिलने कारण भारतीय मजदूर संघका काम रूकेगा ऐसा नहीं, इसलिए उसके कारण हमारा काम रूक सकता है। औद्योगिक शान्ति में बाधा आ सकता है, प्रगति की उत्पादकता में बाधा आ सकती है तो उस दृष्टि से कुछ विचार किया जाय ऐसा हम सोचें, ऐसा बताया। पिछले मई महीने में जो लेबर कान्फ्रेंस हुई उसमें CITU, (CPM के) हिन्द मजदूर पंचायत के साथ भा० म० संघ को भी निमंत्रण था। इसके पश्चात दिसम्बर माह में जब लड़ाई शुरू हो गयी उस के बाद जो कान्फ्रेंस बुलायी गयी भा० म० संघ को हिन्द मजदूर पंचायत और CITU को निमंत्रण दिया था। और १६ दिसम्बर को पिछले जो tripartite conference त्रिदलीय सम्मेलन हुई उसमें भी हमलोगों को निमंत्रण था। यह एक नयी बात पिछले साल हुई और यह भी बताऊँ कि हर समय में INTUC ने objection उठाया, आगति उठाया और हर समय उनको कहा इस समय बुला रहें हैं वह Adhoc basis पर है, बाद में सारा विचार करेंगे। पुर्नविचार हम सब बातों का कर रहे हैं। अगस्त माह में पिछले जो राज्य श्रम मंत्रियों की परिषद् हुई थी उसमें केन्द्र श्रम मंत्रालय से यह विचार रखा गया कि जिस समय त्रिदलीय सम्मेलन की रचना सर्वप्रथम की गयी उस समय मजदूर क्षेत्र की जो स्थिति थी, पावर पोजीशन जो थी उसमें भी परिवर्तन आया है। इसलिए यह देखने की आवश्यकता है जो पुराने मान्यता प्राप्त संस्था है उनकी शक्ति आज कितनी है। जो नयी संस्थायें मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र दे रही उनकी शक्ति क्या है। और जिस तरह अखिल भारतीय मान्यता का और त्रिदलीय सम्मेलन के सदस्यत्व का नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, यह एक बात राज्य श्रम मंत्री ने सम्मेलन में विचार किया उसके अनुसार भारत सरकार ने अखिल भारतीय मान्यता का प्रश्न सभी लोगों के लिए खुला कर दिया और उन्होंने सभी छोटे बड़े Federation को ऐसा कहा कि भाई आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। आपकी जाँच होगी सबकी जाँच होगी कौन-कौन अखिल भारतीय मान्यता चाहते हैं। सबने अपना अपना विवरण भेजना चाहिए। यों आपके स्मरण के

के लिए केवल, आप जानते हैं कि सर्वप्रथम अखिल भारतीय संस्थायें चार थी INTUC, AITUC, Hind Mazdoor Sabha, U. T. U. C. जिसमें से utuc की सदस्यता कम होने के कारण इसकी Recognition छीन ली गयी। Observer के नाते अभी भी बुलाया जाता है। फिर भा० म० संघ, Hind Mazdoor Panchayat, CITU विभिन्न ट्रेड यूनियन संस्था जो अखिल भारतीय होने का दावा रखती हैं। इसके अलावे भी तीन संस्थायें थीं जिन्होंने इसी मौका का लाभ उठाकर प्रार्थना पत्र दिया, विवरण पत्र भी दिया। एक तो द्राविड़ मुनेत्र कड़गम की ट्रेड यूनियन संस्था दूसरी बिहार और बंगाल में जिनका काम है वह Indian federation of independent trade union वह संस्था और तीसरा बिहार, बंगाल, आसाम और उड़ीसा में जिनका काम है, ऐसे national front of Indian trade union जिसके नरेनसेन प्रमुख कार्यकर्ता हैं यह संस्थायें और जितनी संस्थायें थी इस तरह के आवेदन पत्र दिया। इसमें हरेक की जब Membership मांगी गयी तो इन संस्थाओं की ओर से जो Membership गयी उसमें CITU माने CPM प्रबल ८ लाख मेम्बर सीप दिखाई उन्होंने यह कहा कि यह आठ लाख है वह ३१ दिसम्बर १९७० तक नहीं तो वह उस समय से से Annual return देने के पश्चात् १९७१ में हमारी ट्रेड यूनियन शुरू हुई और उनके कारण १९७१ में आठ लाख मेम्बर है, ऐसा उन्होंने कहा। हम लोगों ने १९७१ को जो अपनी मेम्बरसीप थी वह नहीं दिखायी क्योंकि सरकार वह तो नहीं मांगी थी। उन्होंने ३१ दिसम्बर १९७० तक जो मेम्बर सीप मांगी थी हम लोगों ने पाँच लाख दी फिर बाकी जो तीन संस्थायें थी मैंने कहा एक द्राविड़ मुनेत्र कड़गम, Independent और National front तीनों ने अपनी मेम्बर सीप जो दिखाई वह पौने दो लाख से कम थी। इसलिए उन लोगों को तो अखिल भारतीय मान्यता के लिए विचार नहीं होगा ऐसा आमतौर पर माना जाता है। फिर जो ये संस्था रही हिन्द मजदूर पंचायत और उन्होंने तो कहा हम Revolutionary है। हम उनके पास विवरण क्यों

भेजें। वो सरकार कौन है। तो यह बहुत Revolutionary क्रान्तिकारी भूमिका लेने के कारण सरकार हमें क्या मान्यता देती है हम ही सरकार को मान्यता नहीं दे रहे ऐसी भूमिका लेने के कारण उन्होंने Return भेजा नहीं। उसके पश्चात् यह भी आया था कि हिन्द मजदूर पंचायत, हिन्द मजदूर सभा में विलीन हो गयी। इसके कारण चार लाख मेम्बरसीप हिन्द मजदूर पंचायत ने हिन्द मजदूर सभा को दे दी। इस प्रकार हिन्द मजदूर सभा की Membership नौ लाख हो गयी और उसके कारण हिन्द मजदूर सभा हिन्दुस्तान की क्रमांक एक की मजदूर संस्था बन गयी। यह सारा जो कुछ अखबार में आया, इसका ज्यादा कुछ पता नहीं क्योंकि जहाँ जहाँ दौरे पर जाता हूँ हिन्द मजदूर सभा के लोगों से मिलता हूँ वे कहते हैं भाई ये ऐसा कुछ दान का दक्षिणा है कि देने वाले ने दे दी, लेने वाला है उसके हाथ में अभी पहुँचा नहीं। कहीं किसी भी संस्था का हिन्द मजदूर पंचायत का हिन्द मजदूर सभा के साथ विलयन नहीं हुआ, विलयन होने की आशा भी कुछ खास ज्यादा नहीं। अब यह परिस्थिति है। इसके पश्चात् अपनी Record की जाँच शुरू होगी इसके लिए अक्टूबर में हम लोगों को सरकार ने कहा था भाई हम १० नवम्बर से Membership की verification शुरू करना चाहते हैं तो हम लोगों ने कहा शुरू कर दीजिए। लेकिन जैसे ही हमने सोचा था वैसे INTUC, AITUC ज्यादा समय मांग लिया। इसके कारण हो सकता है इस महीने से या अगले महीने से Verification शुरू होगा। तो इस तरह से और एक नयी परिस्थिति मजदूर क्षेत्र में है वह है अखिल भारतीय मान्यता का विचार। दूसरी बात इसी समय जैसे अखिल भारतीय मान्यता की बात हो रही है वैसे एक उद्योग या औद्योगिक संस्थान में यूनियन की मान्यता का प्रश्न का भी नये सिरे से विचार हो रहा है। और इस दृष्टि से भारत सरकार ने एक अपना सुझाव दिया। वो सुझाव INTUC के अलावा सब लोगों ने मान लिया। सुझाव था Composite bargaining agency का। Composite bargaining agency का

मतलब है Recognition as bargaining agent यानि वह संस्था National agreement कर सकती है। वह संस्था संघर्ष का नारा दे सकती है माने Collective सामुहिक जितनी बातें हैं वो सारी करने का अधिकार उस दृष्टि से bargaining agent का अधिकार यही Recognition का मतलब होता है। इतने दिनों में खास कर ढाई तीन साल में ऐसा दीखा कि आज जो एकाध युनियन को या एक दो युनियन को एक-एक उद्योग में Recognise करने का तरीके हैं उसके कारण Recognition का जो उद्देश्य है वह Serve नहीं हो रहा है ऐसा दीखा। क्योंकि Recognition का उद्देश्य यह है कि एक युनियन को Recognise करने के कारण उसके साथ जो समझौता होता है तो फिर औद्योगिक शान्ति होनी चाहिए। किन्तु ऐसा दीखा कि कुछ युनियन को Recognition दिया जाता है उनके साथ समझौता भी किया जाता, लेकिन अन्य जायज मांगों को लेकर Unrecognised युनियन भी खड़े हो जाते हैं। अन्दोलन के लिए हड़ताल का नारा देते हैं। हड़ताल शत प्रतिशत सफल होता है। Unrecognised union के द्वारा जो हड़ताल का नारा दिया गया वह हड़ताल Hundred percent Successful होता है और जो Recognised union है उसके पदाधिकारी केवल असहाय पर्यवेक्षक के नाते केवल देखते रहते हैं। यह बात कई बार होती है और इसके कारण सरकार ने सोचा आज की Recognition की System औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में सफल नहीं हो सकती है। इस दृष्टि से उन्होंने यह सोचा एक युनियन को Recognition देना यह System को बन्द करते हुए Recognition के लिए माने bargaining agency के नाते एक Composite bargaining agency ही खड़ी की जाय। Composite से उनका मतलब था कि एक एक उद्योग में या औद्योगिक संस्थान में विभिन्न युनियन हैं उन सबका प्रमाण बद्ध proportional representation इस agency में होगा और संयुक्त bargaining agency को गुप्त मतदान के आधार पर निर्वाचित की जाय। माने आज वह Recognised union का जो काम है वह एक और दो युनियन

करते हुए यह जो Collective bargaining agency संयुक्त bargaining agency है वह Recognition का सारा काम करेंगी। और युनियन का अपना जो नियमित कार्य है वह करता रहना चाहिए। यह एक सुझाव सरकार की ओर से आया था। INTUC के आलावा बाकी सब लोगों ने मान लिया था। लेकिन INTUC ने इसको माना नहीं। उन्होंने कहा इसके बारे में और विचार करना होगा। हम जो बाकी संस्था के लोग हैं हम भी इस मान्यता की दृष्टि से Queue में खड़े हुए हैं और जो पुरानी मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं आज उन संस्थाओं की प्रतिनिधियों की एक समिति बनायी गयी है। अब उन्होंने unanimously एक मत से दिल्ली के Industrial union के Recognition के बारे में कुछ unanimous सुझाव यदि दिया तब तो सरकार मान लेगी और unanimous सुझाव न रहा तो फिर सरकार स्वयं अपने ढंग से स्वयं विचार कर के युनियन के Recognition का नया कानून बनायेगी, ऐसा कहते हुए पिछले दिसम्बर में यह कमिटी बनायी गई। कमिटी अभी तक unanimous नहीं हो सकी, अब अभी सरकार ने उनसे कहा है कि दो तीन महीने के अन्दर आप unanimously सुझाव नहीं देंगे तो Indefinitely हम ऐसा राह नहीं देख सकते, प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो इसके बारे में सरकार विचार करेगी : इस दृष्टि से तीन मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय संस्थाओं की एक कमिटी इस विषय में काम कर रही है। किन्तु यह इतना ही नहीं केवल, यह जो तीन अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं की कमिटी थी इन समिति की प्रस्ताव में एक ही उद्देश्य था कि Recognition के बारे में सुझाव दे। लेकिन अब उन्होंने एक बृहत् कार्य अपने कंधों पर ले लिया है। यह बृहत् कार्य क्या है? वह है कि अब सम्पूर्ण देश में एक ही युनिटी का निर्माण होना चाहिए ऐसा उनके मन में, सबके मन में, हरेक के मन में है। इस दृष्टि उन्होंने एक National Council अपना बनाया। तीनों का मिश्रण अब यह National Council इसका पता लगाते की मैंने बहुत कोशिश की पर मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि आदमी वही form समझ सकता है जो form कभी देखा है। इसी सद्श

यह ational Council है। और तीनों की एकता इसमें हो गयी। लेकिन जो प्रमुख प्रश्न इसके सामने विचारार्थ रखा गया कि एक-एक युनियन के Recognition के बारे में क्या अवस्था है इसके बारे में तीनों का एक मत नहीं। और दूसरी बात International Council का नाम आ गया तो भी हरेक संस्था के प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो विभिन्न पदाधिकारी हैं वो एक दूसरे के साथ इतने ही जोर से लड़ रहे जितने पहले लड़ते थे। क्योंकि अपना-अपना निहित स्वार्थ local level पर और State level पर ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ आ जाता है। National level पर तुम भी भले हम भी भले, बुद्धिजीवी के ऐसा करते रहेंगे कोई खास बाधा नहीं आती। लेकिन जहाँ Vested interest local या State level पर या Industrial level पर होता है वहाँ झगड़ा कर किसी भी तरह की एकता अभी तक हुई नहीं। तो इस तरह की एक युनिटी जिसमें युनिटी का कोई भी ass:mbly कोई आधार नहीं है इस प्रकार की एकता अभी निर्माण हुई। किन्तु फिर ये एकता क्यों निर्माण हुई उनके ही नेता समझ सकते हैं। ये न Recognition के आधार पर एकमत हो सकते हैं और न विभिन्न स्तरों पर सभी कार्य-कर्त्ताओं में एकता होनेवाली है फिर National Council क्यों बनी? प्रत्यक्ष में यहाँ दिखाई देता है जैसाकि अभी स्वागताध्यक्ष महोदय ने भाषण में उपमा दी कि थर्ड क्लास कम्पार्टमेंट की मेंटालिटी कुछ और ही है। जो एक बार घुस जाते हैं वे सोचते हैं और बांकी लोगों को घुसने नहीं दें। All India Recognition के बारे में भी Third class Mentality आयी है। और उसके कारण ये जो पुरानी तीन संस्थाएँ अन्दर घुस बैठी है वे सोचती हैं और किसी को अन्दर नहीं आने देंगे। चाहे वह भा० म० संघ चाहे यह CIU हो कोई भी संस्था हो हम बैठे हैं हम ही रहेंगे। किसी को आने नहीं देंगे। यह एक तरह से नयी संस्था जो आना चाहती है उसके विरोध में एक United front यही वास्तव में उसका Negative नकारात्मक ऐसा स्वरूप है, प्रतिक्रियात्मक स्वरूप है। Positive भावात्मक कोई खास उपलब्धि इस National Council की

अभी तक नहीं है। ये संस्था जो अपने को अखिल भारतीय मान्यता प्राप्त होने के कारण हम ही प्रतिनिधि हैं बांकी कोई नहीं है ऐसा दावा करते हुए ऐसी तीनों संस्थाओं को हमारे और CITU के खिलाफ United मोर्चा खड़ा करने की आवश्यकता महसूस हुई, यह तो हम समझते हैं कि यह भी हमारी कोई उपलब्धि है। इस तरह मैं यह कहूँगा कि इस अवधि में भारतीय मजदूर संघ आगे बढ़ रहा है Membership भी बढ़ रही है। और पिछले जो रिकॉर्ड है Membership का हमें यह कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं कि हमारी जो योग्यता है उसके हिसाब से काम कुछ ज्यादा बढ़ा है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम बहुत काम करते, काम कुछ बढ़ नहीं रहा है। अपने बारे में कुछ उल्टा है। मुझे स्मरण है कि १९५५ की जुलाई में जिस समय भा० म० संघ का प्रारम्भ ही हुआ था उस समय हमारे पास एक भी युनियन नहीं थी, एक कार्यकर्त्ता नहीं था, एक पैसा नहीं था कुछ नहीं था, शून्य से हमारा कार्य प्रारम्भ हुआ था।

वर्त्तमानकाल में सरकार से मजदूर की अपेक्षाएँ

पिछले अक्टूबर में जब हमलोगों ने सरकार को अपना विवरण दिया है उस समय छः लाख अपनी मेम्बर-शिप थी तो शून्य से लेकर छः लाख की हमारी प्रगति है। जिस ढंग से यह प्रगति है वह प्रगति न केवल संतोषजनक है अपितु हमारी योग्यता से भी अधिक है। इसे कैसे संभाला जाय, सम्पन्न कैसे किया जाय यह सोचना पड़ेगा। आपकी प्रगति, यह जो अपनी शक्ति है उसको लेकर अपने जो उद्देश्य हैं उसे सामने रखते हुए और आज जो देश की स्थिति है उसमें हमारा क्या कर्त्तव्य है इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मैं विशेष विस्तार से इसे नहीं लेना चाहता, संक्षेप में केवल एक बात रखना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति महोदय ने तीन साल तक हड़ताल एवं तालाबन्दी न करने का आह्वान किया है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार भी शान्तिपूर्वक सोचे। लेकिन तीन साल विभिन्न आर्थिक सम्बन्ध के है उनका व्यवहार क्या रहेगा इसका विचार रखना चाहिए। इसी दृष्टि से भा० म० संघ इस विषय में अभी तक

यह सोच रहा है कि हम राजनीति से दूर हैं। सरकार किस ढल की है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम राजनीति में दखल नहीं देते, राजनीति को मजदूर क्षेत्र में दखल नहीं बना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। यदि कोई दखल देने का प्रयास करेगा तो उसे ठीक ठाक करने की ताकत भा० मजदूर संघ को है। इससे डरने की कोई विन्ता नहीं। लेकिन जहाँ तक प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति जी के आह्वान का सम्बन्ध है हमलोगों की स्पष्ट नीति है कि मजदूर देश भक्त है और देश के लिए ज्यादा उत्पादन देने की तैयारी रखता है, औद्योगिक शान्ति रखने की इच्छा रखता है लेकिन यह बिना शर्त इस समय नहीं हो सकता है। तो हमारी सरकार के बारे में भी नीति क्या है? जितनी मात्रा में जितने अनुपात में सरकार मजदूरों के साथ Cooperation करेगी उतने मात्रा उतने अनुपात में to that extent मजदूर सरकार के साथ सहयोग करेगी। और जितनी मात्रा में जितने अनुपात में to the extent to which सरकार मजदूरों के खिलाफ कारवाई करेगी उतनी ही मात्रा में उतने ही अनुपात में to that extent exactly मजदूर सरकार के खिलाफ कारवाई करेगा। मानो Responsive Cooperation की भाव हमारे आनेवाले तीन साल के लिए रहने वाली है। प्रतिवेदी सहकारिता की नीति हमारी रहने वाली है। सरकार के विषय में हमारे मन में न प्रेम न द्वेष है। Clean slate हमारे हृदय में है। इस Clean slate पर सरकार की कौन सी प्रतिक्रिया लिखी जानी चाहिए यह तय

करना सरकार का जिम्मा है। सरकार का वह कर्तव्य है और सरकार किस ढंग से साथ देगी उस ढंग से हमारा प्रतिवाद होगा। जिस ढंग से सरकार की क्रिया होगी उसी तरह से हमारी प्रतिक्रिया होगी। सरकार सहयोग देगी तो हमारा सहयोग रहेगा। इस तरह से Responsive Cooperation की नीति लेकर तीन साल हमें चलना है यह भारतीय मजदूर संघ का विचार है। यह जो सारी परिस्थितियाँ है मानों यह संगठनात्मक दृष्टि से हमारी जो आगे प्रगति हुई, आज विभिन्न संस्थाओं की जो स्थिति है, जो परिस्थिति देश में है, तथा देश के औद्योगिक क्षेत्र में जो परिस्थिति है वह और राष्ट्र के आवश्यकता के नाते सरकार से जो आह्वान हुआ है वह इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए और फिर देश में विशेष रूप से बिहार प्रदेश की जो औद्योगिक समस्याएँ हैं, मजदूरी की समस्याएँ हैं; उस पर आज और कल दो दिन लगातार बैठकर हमें साँच विचार करना है। अपना जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी हैं उसको भी स्मरण रखते हुए अपने जो अधिकार हैं उन्हें भी न भूलते हुए इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए समस्याओं पर आज और कल विचार करना है और उस विचार मन्थन से प्रस्ताव के रूप में जो निकलेगा वह एक सम्पूर्ण प्रदेश के मजदूर क्षेत्र में मार्ग दर्शन करने वाला इस तरह का एक document बनने वाला है। तो इस जिम्मेवारी को समझते हुए हम आज और कल पूर्ण संयुक्त विचार मजदूर समस्याओं पर करेंगे यही अपेक्षा इस समय प्रगट करना पर्याप्त होगा। ●

With best compliments from :—

Telco Colony Stores

12, Azad Market, Telco

Jamshedpur—4

अध्यक्षीय भाषण

श्री रमाशंकर सिंह, अध्यक्ष

भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश

माननीय टेंगड़ी जी तथा प्रतिनिधि भाइयों !

आज हम जिस महानगरी में एकत्र हुए हैं उसका एक उज्वल अतीत सदा से प्रेरणा का अजस्र स्रोत रहा है। देश की राजनीतिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक परम्परा में यहाँ के विचारकों, श्रम-पुत्रों एवं मनीषियों का अपूर्व योगदान रहा है और समय-समय पर एक नूतन क्षितिज का उदय हुआ है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम श्रमिक संगठन आन्दोलन को सबल, सशक्त और क्रान्तिकारी लक्ष्यों तक पहुँचाने के लिए आज श्री टेंगड़ी जी के नेतृत्व में बद्ध परिकर हैं, जो स्वयं भगीरथ बन कर श्रमिक आन्दोलन की भागीरथी को देश-देशान्तर में पहुँचा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ की आवश्यकता इसी बात की द्योतक है। मजदूर आन्दोलन के विगत ५० वर्षों के इतिहास का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि इस देश में स्वतंत्रता के पहले और बाद में श्रमिक आन्दोलन में दलों की बाढ़-सी आई और श्रमिक नेताओं की नीतियों और गतिविधियों ने श्रम, श्रमिक, उद्योग और राष्ट्रहित एवं समाज हित का गला घोट कर असा-माजिक तत्वों की एक विशाल सेना खड़ी कर दी है। ये श्रमिक संगठन, गांधीवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, समाजवाद आदि, न जाने कितने राजनीतिक नारों से प्रेरित होकर श्रमिक हित की बात करते रहे। यदि गहराई से इनके दृष्टिकोण की परीक्षा की जाय तो एक बात बहुत स्पष्ट दिख पड़ती है कि इन सभी संगठनों ने मनुष्य को अर्थात् श्रमिक को Animal तथा Creature, चाहे वह Social हो या rational या human से अधिक कुछ नहीं समझा है। श्रमिक भी एक पुर्जा है, औजार है, यंत्र है, पदार्थ है। यही कारण है कि We can not live without bread तथा We live to eat जैसे वाक्य इनके आदर्श-वाक्य बन गए। पाशविक प्रवृत्तियों को सामाजिक न्याय का आधार

मानकर जड़ता का नियम प्रमुख माना गया, फलतः सारे श्रमिक लोक में मौलिक आवश्यकताओं की व्याख्या अत्यन्त भ्रामक और आदर्श-च्युत हो चली। मौलिक आवश्यकताओं की जो व्याख्या भारतीय संविधान में है उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि मौलिक आवश्यकताएँ उसे मिले ही। फिर भी श्रमिक आन्दोलन की वर्तमान स्थिति पर दृष्टिपात करने से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि सभी श्रमिक आन्दोलन इसी मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ है कि आज प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक उद्योग और श्रमिक आन्दोलन एक अजीब कुण्डा से प्रसित हो चला है। असामाजिक तत्व अधिक सक्रिय हो चले हैं। Wealth अब किसी भी अर्थ में Wealth न होकर Capital हो चुकी है जिसके कारण श्रमिक उद्योग, श्रमिक आन्दोलन और अन्ततः समस्त समाज ही पारस्परिक द्वेष, हत्या, भ्रष्टाचार और अनैतिकता का केन्द्र बन गया है।

असामाजिकता की इन घोर रात्रियों में “भारतीय मजदूर संघ” नामक श्रमिक संगठन की आवश्यकता, स्थिति और सक्रियता ‘बाल अरुण’ की किरण के समान क्रमशः प्रखर और प्रभावशाली बनती जा रही है। अपने अल्पकाल में ही इस संगठन की इकाइयों की संख्या में वृद्धि, सदस्य संख्या की वृद्धि और अखिल भारतीय स्तर पर संगठनात्मक रूप की संरचना और श्रमिक आन्दोलन को नई चिन्तन-दिशा, नूतन किन्तु स्पष्ट तथा मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, श्रमिक आन्दोलन जो विदेशी विचारों से आक्रान्त रहे उन्हें भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक घरातल पर दृढ़ता से खड़ा करना और

साथ ही साथ श्रमिक को एकांगी धरातल से ऊँचा उठाकर बहुस्यामी सिद्ध करना आदि इसकी गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। आज का श्रमिक Social animal नहीं है। वह multi-dimensional Being हो चला है। आज वह स्पष्ट घोषणा करता है कि man can not live by bread alone. आज के श्रमिक का जीवन केवल रोटी तक सीमित नहीं। जीवित रहने के लिए केवल रोटी पर्याप्त नहीं, उसकी भूख केवल शारीरिक ही नहीं, कुछ मानसिक, वैचारिक या और भी कुछ है। आज के श्रमिक को दाने के लिए धरती की आवश्यकता है तो आदर्श-प्राप्ति के लिए उड़ने के लिए खुला आकाश भी चाहिए। रोजी-रोटी, मकान, दवा, सेवा, शिक्षा की धरती भी चाहिए और वैचारिक, सामाजिक एवं आत्मिक सेवा का उन्मुक्त गगन भी चाहिए। ऐसी मनोहर धरती और ऐसा मनोहर आकाश यदि किसी श्रमिक संगठन के पास है तो वह है श्रममनीषी श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी द्वारा प्रदत्त भारतीय मजदूर संघ।

भारतीय मजदूर संघ, श्रमिक को विश्वकर्मा का रूप मानता है। श्रम की गंगा में नहाकर वह नए लोक का निर्माण करता है। यह बंध है, आराध्य है, क्यों? इसलिए कि सृष्टिकर्ता कभी बैठता नहीं, निष्क्रिय नहीं होता। बराबर श्रम-रत रहता है, गतिशील रहता है। जिस दिन यह गतिशीलता समाप्त हो जाएगी उस दिन श्रम की यह फुलवारी उजड़ जाएगी।

श्रमिक संगठनों की इस गतिशीलता को स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में यह सोचना आवश्यक है कि आज का श्रमिक क्या चाहता है। स्वतन्त्र देश में उद्योग की वृद्धि के साथ श्रमिकों की संख्या में तो वृद्धि स्वाभाविक है ही, साथ ही श्रमिक संगठनों की संख्या में और कथित श्रमिक नेताओं में भी। श्रमिक संगठनों ने मजदूरों की जीवन लीला को आदर्शहीन एवं खोखला बना छोड़ा है। मजदूरों का सर्वांगीण विकास तो दूर रहा उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या भी वहीं पड़ी है जहाँ आज से ५० वर्ष पहले थी। आज के श्रमिक आन्दोलन की दशा ठीक उन यात्रियों की सी है जो रातभर नदी में नाव चलाते-चलाते थक गए किन्तु भोर होने पर पता चला कि नाव की रस्सी खूँटे से खोलना ही भूल गए।

आज का श्रमिक एक आदर्श समाज सेवा का लक्ष्य चाहता है जिसके परिवेश में वह अपने जीवनस्तर को सर्वांगीण रूप में विकसित करके राष्ट्र की अमूल्य निधि बन सके। समाज सेवा का यह आदर्श उसे प्रिय है और यही कारण है कि इस आदर्श की पूर्ति में जहाँ कहीं भी बाधा आती है उसे असह्य हो उठती है। सारे संघर्षों के मूल में यही भावना सक्रिय है। चाहे वह उद्योगपति हो, सरकारी अधिकारी वर्ग हो या श्रमिक नेतृवर्ग हो या अन्य कोई प्रभावशाली तत्व हो, यदि मजदूर के इस आदर्श में बाधक है तो उसे सह्य नहीं है। आज का उद्योगपति स्वार्थान्ध होकर जब इस समाज सेवा की भावना के विरुद्ध आचरण करता है तो मजदूर उसे असामाजिक, अनैतिक और आत्म केन्द्रित तथा स्वार्थ लोलुप समझता है और उससे संघर्ष का प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से द्वेष नहीं होता वरन् अपने से विशेष राग होता है।

हमारी कठिनाइयाँ :—

आज का श्रमिक आन्दोलन मानवीय दुर्बलताओं के उभरे हुए रूपों के विकराल सम्बन्धों की कहानी है। श्रमिक, उद्योगपति, सरकारी, अधिकारी और राजकीय श्रमनीति एवं श्रम कानून के बीहड़ जंगलों में एक भयंकर हिंसक, रक्तपिपासु एवं विषधर तक्षक अपनी अपनी घात लगाए बैठे हैं। पूंजीपति, उद्योगपति का एक मात्र लक्ष्य यही रह गया है कि उद्योगहित और राष्ट्रहित की बात छोड़कर केवल स्वार्थान्ध होकर श्रमिकों का सर्वांगीण शोषण करें। सरकारी शासन यंत्र की दशा इससे भी भयंकर है। लालफीताशाही, जातीयता, प्रांतीयता एवं अन्य दुर्बलताओं से ग्रस्त आज का राजकीय अधिकारी, आदर्शवादिता की बात तो दूर रहे, कोई भी स्वतन्त्र एवं शीघ्र निर्णय लेने तथा श्रमिक समस्याओं का उचित और न्याय पूर्ण समाधान निकालने में भी असमर्थ है। साथ ही श्रम कानून की अस्पष्टता, दुष्टता और अक्षमता के कारण एक ऐसा दमघोंट वातावरण निमित्त होता चला जा रहा है जिससे श्रमिक का आदर्श सेवा-लक्ष्य कुण्ठित एवं अवदमित होता जा रहा है। आज ऐसी अनेक जटिल समस्याओं से श्रमिक लोक भीतर-भीतर क्षुब्ध एवं अशान्त है। स्थिति विस्फोटक

है क्योंकि श्रमिकों की सारी समस्याएँ, शिकायतें और मांग आज कानून के दरार में अटक कर पूंजीभूत होती चली जा रही है। परिणाम यह हुआ कि मूल प्रश्न पीछे छूट गया है। वास्तविक आदर्शों का महल अन्धकार पूर्ण हो चुका है।

आज 'भारतीय मजदूर संघ' के सामने यही कठिनाई है। श्रम-लोक के सभी कोने से सड़ांध पूर्ण गंध आ रही है। दिन-प्रति-दिन की समस्याओं का समाधान

भी वह कानूनी, बौधानिक और शान्तिपूर्ण तरीके से करना चाहता है किन्तु उसे अपने निर्धारित आदर्श-समाज सेवा के विरोधी तत्वों की सेना इतनी प्रबल दिख रही है कि यह कार्य असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य दिख रहा है। फिर भी हम ज्योतिपुत्र इस अन्धकार से डरनेवाले नहीं। हम अपने आदर्शों के विरोधियों का दुर्ग तोड़ करके ही दम लेगे। और इसके लिए श्रमिकों की एक सेना सुरक्षित, संगठित एवं अनुशासित करके अन्त तक जूझते रहेंगे।

With best Compliments from :—

S. CHAND & COMPANY (P) LTD.

KHAZANCHI ROAD, PATNA-4

(Head Office :—RAMNAGAR, NEW DELHI)

JULLUNDUR, LUCKNOW, BOMBAY, CALCUTTA,

MADRAS, HYDERABAD, INDORE.



बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का वृत्त

रामदेव प्रसाद, महामंत्री

भारतीय मजदूर संघ, बिहार-प्रदेश

बिहार प्रदेश भारतीय मजदूर संघ से विभिन्न उद्योग जैसे लोहा, कोयला, चीनी, अबरख, सिमेन्ट, विद्युत, परिवहन, स्टोनक्वारी, इन्जीनीयरींग, रेल, बैंक एवं बीमा दुकान एवं प्रतिष्ठान आदि के लगभग ५० निबन्धित तथा ७ अनिबन्धित युनियन है, जिसकी सदस्य संख्या ८२ हजार है। प्रदेश स्तर पर ९ युनियन मान्यता प्राप्त है। प्रदेश में ७ सम्पूर्ण समय देकर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं।

कोयला उद्योग में हजारीबाग के बेरमो, चलकरी, करगली, भुरकुंडा तथा झरिया क्षेत्र के कुस्तौरा, भौरा, लोदना आदि स्थानों पर अपना कार्य है। चीनी उद्योग में सिवान तथा वनमखी में कार्य है। खाद उद्योग में निन्दरी, विद्युत में पतरानु एवं बरोनी थर्मल, इन्जीनीयरींग में हेवी इन्जीनीयरींग राँची, टेल्को, प्रदीप लैम्प, आदि में अपना कार्य विशेष रूप से है। रेलवे के पूर्वी, दक्षिण पूर्व, उत्तर-पूर्व तथा सीमान्त रेलवे के अतिरिक्त डालमियानगर के लाइट रेलवे में अपना कार्य चल रहा है। पूर्व रेलवे में अपनी प्रगति काफी अच्छी है। बैंक की दृष्टि से मुख्य रूप से पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक आदि में कार्य है। लोहा उद्योग में टिस्को एवं वोकारो में अपनी निबन्धित युनियनों कार्यरत हैं। दुकान एवं प्रतिष्ठान में जमशेदपुर, राँची, झरिया, पटना, मुजफ्फरपुर, त्रिवेणीगंज आदि स्थानों पर काफी सक्रिय

है। परिवहन की दृष्टि से राजपथ परिवहन पटना, जमशेदपुर, छपरा मोटर कर्मचारी संघ तथा मुंगेर के जहाज कम्पनी में अपनी युनियनों कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त कान्द्रा ग्लास, रोहतास इण्डस्ट्रीज डालमियानगर लक्षी बिस्कुट कम्पनी, पटना, बन्दुक कारखाना, मुंगेर आदि में भी अपनी युनियनों सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।

२—प्रमुख बातें

सरायकेला ग्लास वर्क्स कर्मचारी संघ के द्वारा अप्रिल ७० में एक समझौता (Agreement) प्रबन्धक से हुआ जिससे कर्मचारियों का १० रुपया प्रतिमाह मँहगाई भत्ता में वृद्धि, ५४ अस्थायी मजदूरों को स्थायी तथा ग्रेच्युटी स्कीम लागू किया गया। अप्रिल ७१ में प्रबन्धक से समझौता के फलस्वरूप १५ (पन्द्रह) रुपया प्रति माह मँहगाई प्राप्त हुई। उक्त दोनों वर्षों में बीस-बीस प्रतिशत बोनस प्राप्त किया गया।

झरिया में भीरा कोलियरी में गत अक्टूबर ७१ में बोनस की मांग को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें अपने को सफलता मिली। कोलियरी कर्मचारी संघ द्वारा गत अक्टूबर माह में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के जनरल मैनेजर के समक्ष ५६ सूत्री मांगें रखी गयी जिसमें एक दिन प्रदर्शन भी हुआ। इसमें अधिकांश

मांग मान ली गयी है। श्रम न्यायालय तथा समझौता पदाधिकारी से अनेकों विवाद का फैसला अपने पक्ष में हुआ। भौरा कोलियरी में ५० मजदूरों को काम से हटा दिया गया था। अपने द्वारा आन्दोलन के फलस्वरूप पुनः प्रबन्धक को काम पर लेना पड़ा।

बिहार प्रदेश विद्युत श्रमिक संघ द्वारा पतरातु थर्मल के मुख्य अभियन्ता कार्यालय के समक्ष अपनी ४० सूत्री मांगों को लेकर ९ दिनों तक जत्थावार भूख हड़ताल भी की गयी जिसमें अधिकांश मांगों को प्रबन्ध ने मान लिया। पंजाब नेशनल बैंक, राँची के अपनी युनियन द्वारा एक माह तक प्रदर्शन आदि आन्दोलन के माध्यम से राँची के सभी बैंकों में प्रोजेक्ट भत्ता दिलाने में सफल रहे।

बोकारों में बहुत से अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कराने में सफलता मिली। सुपरफास्फेट श्रमिक समिति ने ३७ मुअत्तल कर्मचारियों को मुअत्तली अवधि में मिलने वाली अन्तरीम सहायता जो ट्रिव्युनल द्वारा बन्द हो गयी थी, उसे सुप्रिम कोर्ट से प्राप्त करने में सफल हुए।

जमशेदपुर, राँची, झरिया, मुजफ्फरपुर आदि के दुकान कर्मचारी-संघ ने मजदूरों को बहुत महत्वपूर्ण लाभ दिलवाया है।

पटना प्रदीप लैम्प के कर्मचारियों को ६ प्रतिशत बोनस के अतिरिक्त लगभग चार-पाँच वर्षों से २५ मुअत्तल कर्मचारियों को पुनः काम दिलाया गया। लक्की बिस्कुट कम्पनी में कर्मचारियों को ५ रुपए एवं ८ रुपए प्रतिमाह दिलाया गया। अप्रैल ७१ में इन्टक की युनियन को मान्यता सम्बन्धी चुनाव में हराकर न्यु सिवान चीनी मील कर्मचारी संघ मान्यता प्राप्त किया। रोहतास कर्मचारी संघ डालमियानगर में सभी युनियनों से अधिक लगभग ५५ व्यक्तिगत विवाद श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला पाकर मजदूरों को लाभान्वित किया।

विस्तार कार्य-क्रम :—

बिहार के लगभग सभी प्रमुख उद्योगों एवं प्रतिष्ठान

में अपना प्रवेश हो गया है। परन्तु संतोषजनक कार्य के लिए चीनी, इस्पात, अवरल, कोयला, बिजली एवं पथपरिवहन में अपना विस्तार करना आवश्यक है। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में इन्टक का थोड़ा प्रभाव है। इन क्षेत्रों में विरोधी पक्ष कोई अधिक बाधक नहीं है। साधन एवं कार्यकर्ताओं का अभाव ही बाधक है।

अन्य संगठन की स्थिति एवं अपना सम्बन्ध :—

इस प्रदेश में यों तो किसी भी संगठन का कार्य प्रभावशाली नहीं है। किसी एक का किसी भी उद्योग में प्रभाव नहीं है। सभी संगठनों को अलग-अलग उद्योगों में अलग-अलग प्रतिष्ठानों में कार्य है। अपना सम्बन्ध मुख्य रूप से: यु० टी० यु० सी० से है। कुछ स्थानों पर इन्टक से भी अच्छा सम्बन्ध है।

श्रम विभाग :—

श्रमिक समस्याओं को सुलझाने में श्रम विभाग काफी निष्क्रिय तथा उदासीन रहता है। यों तो समान रूप से श्रम विभाग इन्टक का ही पक्ष लेता है। फिर भी मजदूर संघ का कोई बहुत बुरा सम्बन्ध नहीं है। अपना अस्तित्व भी श्रमविभाग स्वीकार करता है।

श्रमिक स्थिति :—

बिहार के श्रमिक क्षेत्र की वही स्थिति है जो देश के अन्य क्षेत्रों में। स्टील, कोयला तथा हेवी इन्जीनीयरींग आदि के कर्मचारियों के वेतन के अनुपात में अवरल, चीनी तथा अन्य क्षेत्रों के मजदूरों के वेतन स्थिति बहुत ही कम है।

प्रमुख समस्याएँ :—

श्रम विभाग की मालिक परस्त नीति, मान्यता प्राप्त युनियन ही कर्मचारियों की सामान्य मांग को उठ सकता है—इसलिए अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक सौदाबाजी कम होना। मजदूरों का वेतन कम तथा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएँ बहुत कम प्राप्त होना।

प्रदेश के समाचार पत्रों में अपने संघ के समाचार प्रायः छपते ही हैं। प्रादेशिक रेडियो भी अपना समाचार को प्रमुखता देता है। अपने सभी

प्रमुख कार्य-क्रमों का प्रकाश होता है। मा० टेंगड़ी जी के प्रेस कन्फ्रेंस में संवाददाताओं की बहुत ही अच्छी उपस्थिति रहती है।

राजनैतिक क्षेत्र में भी भारतीय मजदूर संघ का स्थिति अच्छी है।

त्रिपक्षीय समितियाँ :—

अपना प्रतिनिधित्व श्रम सलाहकार पार्षद, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन समिति, शिशुश्रु समिति तथा बिहार विद्युत वेतन पार्षद में है। मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन समिति में अपना योगदान अच्छा है। इसके अतिरिक्त बिहार विद्युत वेतन पार्षद जो एक अस्थायी समिति है, उसमें भी अपना प्रभावशाली योगदान है।

श्रम क.नून में परिवर्तन :—

दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन हुआ है, जिसका श्रेय अपने दुकान कर्मचारी संघों का है। संशोधन से दुकान खूलने एवं बन्द होने तथा कर्मचारियों की छुट्टियों में लाभ हुआ है।

अन्य बातें :—

जून ७० में पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संघ का प्रादेशिक अधिवेशन पटना में तथा अगस्त में पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिकसंघ का अधिवेशन समस्तीपुर में हुआ।

१९७१ में प्रादेशिक अधिवेशन पतरातू हुआ। जिसमें एक सौ पाँच प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस

बार अप्रैल १९७२ में पटना में अधिवेशन हुआ, जिसमें १५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन का प्रचात्मक महत्व बहुत ही उत्तम रहा।

गत अक्टूबर एवं दिसम्बर में धनबाद, राँची, भुरकुंडा तथा जमशेदपुर चार स्थानों पर मा० टेंगड़ी जी की उपस्थिति में एक द्विदिवसीय वर्ग हुआ।

इसके अतिरिक्त नवम्बर माह में श्री रामनरेश सिंह जी, का कार्य-क्रम जमशेदपुर, पटना, राँची, बोकारो, बेरमो तथा गिरिडीह हुआ।

इसके पूर्व जून माह में मा० गोखले जी का कार्य-क्रम पतरातू, जमशेदपुर, राँची, पटना, मुजफ्फरपुर में हुआ। मा० गोखले जी का कार्य-क्रम मुख्य रूप से बैंक तथा जीवन बीमा के लिए हुआ।

श्रमिक शिक्षण केन्द्र के माध्यम से पतरातू, सिवान, पटना, जमालपुर, बोकारो, सिन्दरी, डालभियानगर, बेरमो आदि स्थान पर साप्ताहिक वर्ग लिया गया, जिससे कार्य-कर्त्ताओं को काफी लाभ हुआ।

गत युद्ध के समय झरिया में एक भारतीय मजदूर सुरक्षा संघ बना था जिसके माध्यम से युद्ध अवसर पर अनेक प्रकार का सहयोग के लिए आह्वान किया गया। हटिया श्रमिक संघ के कार्यकर्त्ताओं ने एच० इ० सी० को क्षति होने से बचाया। मुजफ्फरपुर के दुकान कर्मचारियों ने दो हजार रुपया चंदा कर सुरक्षा कोष में दिया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रदेश स्तर पर भारतीय मजदूर संघ की अच्छी प्रगति हो रही है। अनेक उद्योगों पर अपना प्रभाव बढ़ रहा है।

टेलीफोन : २१७९२

भरत लाल टेन्ट मर्चेन्ट


न्यू एरिया जवकनपुर

पटना—३

हमारे यहाँ सामयाना, कुर्सी, टेबुल क्राकरी एवं हर प्रकार के बर्तन भाड़े पर उपलब्ध है।

न्यू सामयाना बिक्री भी किया जाता है।


परीक्षा प्रार्थनीय है।



बैठे हुए बायें से दायें (कुर्सी पर)—सर्वश्री अनिरुद्ध मिश्रा, मंत्री, बालेश्वर शर्मा, उपाध्यक्ष, रामदेव प्रसाद महामंत्री, दत्तोपंत टेंगड़ी, अ० भा० महामंत्री, रमाशंकर सिंह अध्यक्ष, राम नरेश सिंह, अ० भा० मंत्री, बशिष्ठ नाथ त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, नित्यगोपाल चक्रवर्ती, कोषाध्यक्ष ।

बैठे हुए बायें से दायें (जमीन पर)—सर्वश्री दीपचन्द गोयल, सदस्य, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, आमंत्रित, सुनील मुंशी, संगठन मंत्री, वैद्यनाथ प्रसाद, एन० के० मुखर्जी, राम पुकार सिंह, सदस्य, लालचन्द महतो, मंत्री, कामेश्वर सिंह, सदस्य ।

तृतीय पंक्ति बायें से दायें (खड़े हुए)—सर्वश्री भगीरथ राम, महामंत्री, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय मंच, कृष्णा ठाकुर, मंत्री, राजदेव प्रसाद, कार्यकर्ता, शम्भु प्रसाद श्रीवास्तव, चन्द्रभान प्रसाद, सदस्य, कार्यकर्ता, रामाधार तुलस्यान, लल्लू मिह, शालीग्राम पाण्डेय, शारदा प्रसाद मिश्रा, पशुपति नाथ सिंह, राम कृपाल 'राकेश', सदस्य, अयांघ्यानाथ मिश्रा, कार्यालय मंत्री, योगेन्द्र प्रसाद सोनी, राम राज राम, सदस्य ।



भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध पटना डिवीजन इन्स्योरेन्स वर्कर्स
 आर्गनाइजेशन द्वारा २५ अप्रैल को सांकेतिक हड़ताल मनाया गया।
 जीवन बीमा के पटना कार्यालय "जीवन प्रकाश" भवन के मुख्य द्वार पर
 श्री नित्य गोपाल चक्रवर्ती, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, नेशनल आर्ग-
 नाइजेशन ऑफ इन्स्योरेन्स वर्कर्स, के नेतृत्व में प्रदर्शन का एक दृश्य।



सप्तम वार्षिक अधिवेशन, १९७२

भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश की एक झाँकी

अयोध्या नाथ मिश्र, कार्यालय मंत्री

भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश

विचारों का अदान-प्रदान एवं भावी कार्य योजना विकास की पृष्ठभूमि है। भारतीय मजदूर संघ एक परिवार है। पारस्परिक प्रेम एवं एकात्मता ही इसकी मूल प्रेरणा है। पिछले कार्यों का आकलन एवं उसके आधार पर भविष्य की योजना बनाने की दृष्टि से प्रतिवर्ष अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। सप्तम वार्षिक अधिवेशन उसकी एक कड़ी है।

अधिवेशन स्थल—

इस वर्ष अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया कि सप्तम वार्षिक अधिवेशन पटना में ही की जाय और इस हेतु राजेन्द्र नगर कम्युनिटी हाल पटना १६ में अधिवेशन स्थल तय हुआ। सभी कार्यकर्ताओं के पारस्परिक सहयोग एवं अदम्य उत्साह एवं श्री लल्लू सिंह स्वागत मंत्री के कठिन परिश्रम के कारण अधिवेशन की पूरी तैयारी सम्पन्न हो सकी।

स्वागत समिति—

बिहार के मूर्धन्य अर्थशास्त्री विद्वान डा० एन० एल० नड्डा (स्वागताध्यक्ष) के नेतृत्व में एक स्वागत समिति बनी जिसके मंत्री श्री लल्लू सिंह एवं कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद हुए। प्रदेश मंत्री श्री रामदेव प्रसाद का कुशल मार्ग दर्शन सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाश स्तम्भ था।

प्रतिनिधि—

१६ अप्रिल के प्रातः बिहार के कोने-कोने से प्रतिनिधियों का आना शुरू हो गया। बिहार के ४० स्थानों, छोटे-बड़े ६० युनियनों से कुल १५० प्रतिनिधि अधिवेशन में भाग लिये। स्वागत समिति के लोगों द्वारा स्टेशन एवं जहाज घाट पर प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया तथा उनके ठहरने का प्रबन्ध कम्युनिटी हॉल में हो किया गया। भारतीय मजदूर संघ, पटना के कार्यकर्ता श्री नित्य गोपाल चक्रवर्ती के नेतृत्व में सभी स्थानीय व्यवस्थाओं ठीक को रखने में जुटे रहे।

उद्घाटन—

उद्घाटन कार्य वन्दे मातरम् से शुरू हुआ। स्वागताध्यक्ष महोदय ने सभी प्रतिनिधि बन्धुओं तथा अधिकारियों एवं आगन्तुक का परिचय कराया। स्वागत मंत्री श्री लल्लू सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं अनेक शुभेच्छुओं द्वारा भेजे गये शुभ सन्देश को पढ़ कर सुनाया। अखिल भारतीय महामंत्री मा० दत्तोपन्त ठेंगडी जी ने अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन किया। दैनिक प्रदीप के सम्माननीय सम्पादक श्री राम सिंह भारतीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

प्रदेशाध्यक्ष श्री रमाशंकर सिंह ने अध्यक्षता की।

मा० टेंगड़ी जी का मार्गदर्शन—

मा० टेंगड़ी जी ने अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय मजदूर संघ का हृदयग्राही चित्र खींचते हुए वर्तमान श्रम समस्याओं के ऊपर सम्यक प्रकाश डाल कर अपने कार्यकर्त्ताओं को यथास्थिति का बोध कराया।

प्रदेश मंत्रों का प्रादेशिक वृत्त एवं अन्य वक्ताओं के मार्गदर्शन :—

प्रादेशिक महामंत्री श्री रामदेव प्रसाद ने अपने प्रादेशिक वृत्त में बताया कि भारतीय मजदूर संघ का बिहार में बहुत तेज कदम बढ़ रहे हैं और शून्य से आज इसकी सदस्य संख्या ७२००० पहुँच चुकी है। तथा सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर तथा सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों में युनीयन कायम हो चुकी है :

मुख्य अतिथि राम सिंह जी भारतीय ने श्रम समस्याओं पर प्रकाश डाला तथा यह घोषणा की कि श्रमिक समस्याओं के निराकरण के बिना आर्थिक शान्ति कभी नहीं आ सकती। इस संदर्भ में भारतीय मजदूर संघ के कार्य की काफी सराहना की।

कार्यक्रम—

उद्घाटन कार्यक्रम के उपरान्त विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा, युनियनसः बैठक एवं महासंघों की अलग-अलग बैठकें हुईं। अ० मा० मंत्री श्री रामनरेश सिंह जी के देख-रेख में सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। १६ अप्रिल की संध्या पत्रकार सम्मेलन हुआ तथा उसके बाद प्रबुद्ध जनों की एक गोष्ठी हुई। दोनों कार्यक्रम में मा० टेंगड़ी जी एवं श्री हुकुमचन्द कछवाय, संसद् पदस्य ने भाग लिया। दिनांक १७ अप्रिल को प्रस्ताव आदि पारित हुए तथा आगामी वर्ष के लिए नये कार्यसमिति का चुनाव श्री रमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुआ। नये वर्ष के लिए पुनः श्री रमाशंकर सिंह अध्यक्ष एवं श्री रामदेव प्रसाद महामंत्री चुने गये।

शोभायात्रा—

१७ अप्रिल की संध्या ५ बजे नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ कार्यकर्त्ताओं का एक शोभा यात्रा निकला जो टेलिग्राफ मनोरंजन क्लब (पटना जी पी० ओ० के सामने) में जाकर खुला अधिवेशन में परिणत हो गया।

स्वागत समिति के सदस्य

१	श्री डा० नारायणलाल नड्डा	अध्यक्ष व्यवहृत अर्थशास्त्र पटना विश्ववि०	स्वगताध्यक्ष
२	„ लल्लु सिंह,	विद्युत् बोर्ड	स्वागत मंत्री
३	„ लक्ष्मी प्रसाद	सरकारी कर्मचारी	
		राष्ट्रीय मंच	कोषाध्यक्ष
४	„ विजय प्रकाश मिश्र	पं० ने० बैंक	सदस्य
५	„ रुपेन्द्रनारायण सिन्हा	जीवन बीमा	सदस्य
६	„ शालिग्राम पांडेय	पथपरिवहन	सदस्य
७	„ रामेश्वरप्रसाद सिन्हा	प्रदीप लैंप	सदस्य
८	„ रामाशिष प्रसाद	प्रदीप लैंप	सदस्य
९	„ राजेश्वर मिश्र	पटना विश्ववि०	सदस्य
१०	„ भागीरथ राम	सरकारी कर्मचारी	
		राष्ट्रीय मंच	सदस्य
११	श्री निवास चौधरी	पटना विकास न्यास	सदस्य
१२	„ ज्योतिश ना० लाल	रेल	सदस्य

खुला अधिवेशन—

१७ अप्रिल की संध्या ६ बजे खुला अधिवेशन का कार्यक्रम स्वागत मंत्री ने नागरिकों, श्रमिकों तथा बिहार के कोने-कोने से आये हुए प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए शुरू किया। सभास्थल पूर्णरूपेण श्रोताओं से भर चुका था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माननीय टेंगड़ी जी ने श्रमिकों को वर्तमान परिस्थिति से जुझने के लिए ललकारा और यह भी घोषणा कि हमारी संस्कार के साथ परस्पर कर्त्तव्यता की नीति है। वह जितनी मात्रा में मजदूरों के हित में सोचेगी, उतनी मात्रा में हम भी उनके हित में सोचेंगे और जितनी मात्रा में मजदूरों के साथ विरोध करेगी, ठीक उतनी मात्रा में हम सरकार से विरोध करेंगे।

माननीय अध्यक्ष श्री रमाशंकर सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारतीय मजदूर संघ के उद्देश्य पर पूर्ण प्रकाश डालते हुए इसके बारे में फैले भ्रांतियों का निराकरण किया। अ० भा० मंत्री श्रीरामनरेश सिंह, एम० एल० सी० एवं श्री रामदेव प्रसाद ने अपने ओजस्वी भाषण से कार्यकर्त्ताओं को सम्बोधित किया। श्री नित्य गोपाल चक्रवर्ती कोषाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, बिहार के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् अधिवेशन का समारोह सम्पन्न हुआ।

TELE

Gram : "CASTING" JAMSHEDPUR.

Phone : 5296, 6078

TELEX: 026-244

With best compliments from :—

Bhoruka Industries Private Limited
Mango, Jamshedpur (India)

(Registered Office : 8/3, D. B. Gupta Road, Paharganj, NEW DELHI-55)

Export Division : —

F-4, NEW C. I. T. ROAD, CALCUTTA-12

Manufacturers of :

MULTI POINT CARBIDE TIPPED TOOLS, FERROUS

&

NON-FERROUS CASTINGS, C. T. C,
SEGMENTS FOR TEA INDUSTRY.

At the forefront of India's Industrial Progress

Seraikella Glass Works Private Limited

(Regd. Office)

P. O. KANDRA (S. E. Rly.)

Distt. Singhbhum, Bihar

The Largest Manufacturers in India

Of Quality

SHEET GLASS

(By Fourcault & PPG Process)

AND

GLASS TUBES & RODS.

Used all over with complete satisfaction

We Solicit Your Enquiries

Sheet GLASS Factory :

KANDRA (S. E. Rly.) BIHAR
Gram "GLASS" Jamshedpur
Phone "3706" Jamshedpur

GLASS Tube Factory :

P. O. Bara Baheva
KONNAGAR (E. Rly.) W. BENGAL
Gram "GLASS" Nabagram
Phone "1345" & 1578 Utterpara